

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

30 मार्च 1982

खण्ड 1, अंक 13

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 30 मार्च 1982

पृष्ठ संख्या

स्थगित तारांकित प्र न एवं उत्तर	(13)1
वाक आउट	(13)14
स्थगित तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(13)14
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(13)20
नियम 45 के अधीन सदन के मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(13)25
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(13)30
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(13)51
ध्यानाकर्षण सूचना— राज्य के बंधक मजदूरों सम्बंधी	(13)54
समितियों की रिपोर्टस पे ा करना	(13)56
वर्ष 1982-83 के बजट की डिमान्डज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान	(13)58

सदन की मेज पर रखी गई कमेटी रिपोर्टस की प्रति सदस्यगण को न मिलने संबंधी चर्चा	(13)64
वर्ष 1982-83 के बजट की डिमान्डज फार ग्रांट पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(13)66
नेमिंग आफ मैंबर	(13)78
वर्ष 1982-83 के बजट की डिमान्डज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)□	(13)92
बैठक का समय बढ़ाना	(13)92
वाक आउट	(13)97
वर्ष 1982-83 के बजट की डिमान्डज फौर ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(13)97

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 30 मार्च 1982

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधानसभा हाल, विधान भवन, सैक्टर -1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

स्थगित तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Road Accidents in the State

***2589. Shri Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Transport be pleased to refer to the the discussion on montion under rule 84 relating to the accidents on the roads in the State held on 25.9.81 in the House and to state whether any action has been taken by the Government on the suggestions and proposals made by the Members during the said discussion; if so, statement giving details of the action so taken belaid on the Tabe of the House.

Transport Minister (Shri Jagan Nath): A Statement showing details of the action taken on the suggestions/proposals made by the members in the House on 25.9.81 is laid on the Tabe of the House.

Statement

With the growth of the vehicles population the number of accidents has assumed an alarming proportion during the last few years. Though the number of accidents in Haryana Roadways is comparatively low as compared to the other State Transport Undertakings, year the following precautions and measures to minimise the accidents have been taken by the Government.

1. Fixing of speed Governors in the buses of Haryana Roads to prevent over speeding and over taking.

Over speeding is the major cause of accidents. So instructions regarding fixation of speed limit of the buses of Haryana Roadways have been repeated on 21.1.1982. All the General Managers have been asked to fix the speed limit at 65 K.M.P.H. by fixing the speed Governors. They have been directed that the roof loading and foot board loading should also be stopped. After the governors have been fixed in Haryana Roadway buses at 65K.M.P.H.H., the possibility of overtaking at high speed at any place including on bridges shall be minimum. Heavy punishments are inflicted on the drivers whose buses meet with accidents due to over taking. In such cases during the year 1981 to date the services of 5 drivers were terminated and 22 drivers are facing department enquiries, including 14 drivers who have been places under suspension.

S.P. (Traffic) Karnal has also intimated that the Govt. has also taken the following measures to prevent the accidents :-

(i) Surprise patrolling is carried out by the enforcement staff during which the vehicles found in contravention of Motor Vehicles Act, 1939 and rules thereto are challaned.

(ii) Dopplar Radars (Speed indicators) have been provided to the traffic checking squads to check the over speeding vehicles.

(iii) All the six traffic checking squads of the enforcement staff have been provided with stop watches to check the over speeding vehicles.

(iv) Breath analysers are being used to check the drivers who are habitual of indulging in drinking while driving.

(v) Every traffic checking squad has been provided with wireless fitted jeep to arrange proper patrolling on the roads as well as to check the vehicles found plying in contravention of the Motor Vehicles Act/Rules.

(vi) Three Flying Squads set up as specialised traffic accidents investigation squads are also in operation in State under supervision of Distt. Police.

(vii) Road Safety weeks are also organised from time to time to educate the Road users.

2. Checking of buses by the drivers before they are taken out from workshop and are put on road.

In this respect the following instructions have been issued to the drivers of the Haryana Roadways through the General Managers concerned :-

(i) all the wheels including the spare should contain prescribed air pressure.

(ii) every bus is provided with a spare wheel.

(iii) the breaks of each bus are in proper working order.

(iv) the wipers of the bus are functioning properly particularly during the rainy season.

(v) the vehicles are properly cleaned and washed.

(v) the radiatore of the bus contains full water.

(vii) the bus carries inspection lamp functioning propely

(viii) the bus carries a complete tool box including the fan belt.

(ix) the bus carries tarpaulin.

(x) the bus carries the first aid box and complaint book.

(xi) the engine is in proper working order.

3. Training and Refresher Courses to the drivers

A drivers training school for imparting training to the newly recruitment drivers for one month has already been

set up at Gurgaon where they are trained before they are given regular duty. Similarly, refresher course for one week is given to the drivers who are already in service. This school is helping a lot in minimising the road accidents. During the year ending 31-12-1981, 355 drivers were imparted training and 42 drivers were imparted refresher courses. During the current year upto 28-2-1982, 42 drivers have been imparted training.

4. recruitment of drivers in Haryana Roadways

In Haryana Roadways, only those persons are selected for appointments as drivers who hold heavy vehicle driving licence and possess atleast five years experience in driving of heavy vehicles. They have also to pass very rigid driving test before they are selected for the post of driver. After selection the candidates are sent for training in drivers training school set up at Gurgaon. Similarly, refresher courses for one week is also given to the drivers who are already in service. Thus every effort is made to select suitable and experienced persons for the post of driver.

5. Transfer of staff for R.T.A.

All those clerks who had completed 3 years stay in R.T.A. were transferred from here to Head Office at the time of general transfer during the year 1981-82 as per Govt. instructions.

6. appointments of departmental officers as General Managers

The post of General Managers in Haryana Roadways are filled up by H.C.S. officers as per policy of the Govt. Recently, it has been decided by the Govt. that two posts of General Managers are to be filled up from the officers of the department. Accordingly necessary steps are being taken to implement the Govt. Decision.

7. Unauthorised stoppage of Buses at Dhaba

Instructions are issued from time to time to the crew of the buses of Haryana Roadways not to stop the buses at unauthorised places. Despite this if any driver is found stopping the buses at unauthorised Dhaba or other places departmental action is taken against him. Three inspectorate staff and flying staff ensure that there was no such halts.

8. Sending of good buses in Rural Area

It is not possible to send all new buses in the rural area. However, buses in good mechanical condition are sent on rural area routes.

9. Passengers Insurance Scheme

The matter with regard to passengers insurance scheme is under the consideration of the Government.

10. Passing of vehicles and taking of bribery by M.V.Is.

No complaint has so far been received against any M.V.I. that he has passed a defective vehicle or has taken bribe. However, in August 1981 they were summoned in commercial officer's meeting and were cautioned not to pass

any defective vehicle and should observe the various provisions of M.V.Act/Rules strictly.

11. Use of Trucks during processions/Rallies

Observation of Hon'ble Members, in this behalf is based on some mis conception. No instructions have ever been issued by Government for the use of truck during processions/Rallies.

12. Use of Red Lights on the Back of vehicles

Necessary provisions exist in Rule 5.2(1)(c)(i) of the M.V. Rules, 1940. In the last meeting held at Government level on 14-1-1982. Secretaries, R.T.As as well as S.P. (Traffic) were asked to implement the provisions of the M.V. Act/Rules and the defaulters be punished.

13. Keeping of 2 drivers

Public services vehicles are run by both individuals as well as companies/Corporation etc. and their working hours are regulated under the Labour Laws.

14. Maintenance of buses of Haryana Roadways

The fleet strength of Haryana Roadways consists of 2596 Buses as on 31-1-1982. Those are divided in 14 depots. In each depot there is a well equipped workshop for the Maintenance of vehicles. Facilities are also available for general repairs in the Sub-depots as well.

The defects pointed out by the drivers are attended to promptly. After removing the defects the vehicles are

checked up by the supervisory staff before sending them on routes. A certificate to the effect is also given by them. The vehicles are also given A.B & C service at regular intervals.

The technicians of Haryana Roadways are sent for refresher courses sponsored by the manufacturers of chassis and spare parts in the Country.

15. Purchase of Genuine Spare Parts

The spare parts are purchased from the manufacturers, as also from the firms on the rate contract of Association of State Road Transport Undertakings. The goods received are inspected by the Works Manager/Store Purchase Officer of the depot, to ensure that the spare parts received are genuine.

16. Opening of Markanda Bridge at Shahbad

The State Government is pursuing this matter with the Government of India for exemption of levy of toll tax on this bridge. The bridge will be opened to traffic soon after the issue of Levy of toll is settled.

17. Construction of Bye- Pass at Panipat

It has been accepted in principle that a Bye-pass be constructed at Panipat. The estimated cost to acquire the land would be Rs. 1.4 crores. It is proposed to start the acquisition proceedings soon after the go-ahead signal is received from the Central Government. It is likely to be soon.

18. Stopping of trucks at barriers

Every truck driver while importing into or exporting from the State of Haryana any taxable goods, has to furnish the prescribed declaration at the barrier in order to ensure that the goods are transported under genuine documents. In order to ensure that no undue harassment is caused to the transporters, Senior Officers of the department have been conducting surprise checking very frequently. The driver/transporters are well aware of the procedures at the barriers. There has hardly been any case of excessive delay at the barrier which could be a reason for the driver to speed up the vehicles to cover the delay. The barriers in fact serve as speed breakers and no instance of accidents occurring near the barriers has taken place.

19. Removal of Wine Shops from the Road side

The Excise laws stipulate that no vend would be located in the vicinity of the religious places or nearby to the highways. It lays down varying distances from these points for vends to be located. The prescribed limits are being observed.

20. Removal of Rehri from the Roadside

This is a problem common to all the towns and is in more acute form along the G.T. Road. Rehri are attracted to these points for the reason that a large number of persons frequent them and thereby create a larger trade. It is primarily the duty of local bodies to keep the rehri away from such spots. Every effort is made to reduce this congestion. Where specific steps are required in individual cases they are taken. Panipat town is no exception to it.

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय, ने जवाब बड़ा लम्बा चौड़ा दिया है। सप्लीमेंटरी से एकाध ही सवाल पूछा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: आपको तो डिटेल्ड जवाब के लिए इन्हें मुबारिकवाद देनी चाहिए। इन्होंने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। आपकी मो 11 जो रूल 84 के तहत आयी, उस पर बड़ी जबरदस्त कार्यवाही की गई है।

श्री फतेह चन्द विज: क्या मिनिस्टर महोदय बतायेंगे कि गाड़ियों में गवर्नर फिट करने की जो हिदायतें दी थीं। क्या उनके अनुसार वे फिट हो गए हैं ? दूसरा सवाल यह है कि एक्सीडेंट होने के जो कारण बताएं हैं। क्या उनमें एक कारण यह भी है कि टैक्नीकल लोगो की बजाये एच0सी0एस0 आफिसर जनरल मैनेजर लगाये हुए हैं जो हर दो तीन महीने बाद ट्रांसफर होते रहते हैं ?

श्री जगन्नाथ: यह बात ठीक है कि एच0सी0एस0 आफिसर जनरल मैनेजर लगाये हुए हैं लेकिन मुख्यमंत्री और महकमे ने फैसला किया है कि सारे तो नहीं लेकिन दो जनरल मैनेजर महकमे के लगाये जाएं। हमने सभी बसों में गवर्नर लगा रखे हैं कि 65 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा बस न चलायें लेकिन ड्राइवर्ज खोल देते हैं। गडबड तो हरेक जगह हो जाती है।

डा० मंगल सैन: मंत्री महोदय, ने इन् योरेन्स स्कीम के बारे में कहा कि विचाराधीन है। क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि वह मामला किस स्टेज पर है ?

श्री जगन्नाथ: वह जल्दी ही करने जा रहे हैं।

चौधरी संत कंवर: मंत्री महोदय, ने जवाब में बताया कि जिन ड्राइवर्ज का एक्सपीरियंस पांच साल हो, उन्हें सख्त टैस्ट लेने के बाद भर्ती किया जाता है। क्या यह बात सही नहीं है कि कुछ ड्राइवर्ज ऐसे भी भर्ती किए हुए हैं जिनको ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए केवल दो साल हुए हैं। आप बे तक इंकवायरी करवा लें। अभी दस दिन पहले रोहतक डिपो में दो साल के एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर्ज यहां से जे०एस०टी०सी० से चिट लिखवा कर ले गए उसी चिट पर जनरल मैनेजर ने भर्ती कर लिया।

श्री जगन्नाथ: ड्राइवर्ज लगाने के लिए पांच साल का तजुर्बा होना चाहिए। रिकरूटमेंट के बाद गुड़गांवा ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग देते हैं। अगर कोई विशेष बात है तो आप लिख कर भेजें। हम जल्द से जल्द और सख्त से सख्त एक्शन लेंगे।
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कहा है कि मेरे पास लिखकर भेजें, जल्द से जल्द एक्शन लेंगे।

चौधरी ई वर सिंह: क्या मंत्री महोदय, को पता है कि बस में कितने पुर्जे होते हैं ?

श्री जगन्नाथ: गाडी में हजारों पुर्जे होते हैं लेकिन में सही संख्या नहीं बता सकता।

श्री जयनारायण वर्मा: इस सारे सवाल का जवाब पढने के बाद यह भी नोटिस में आया है कि जिन ड्राइवर्ज को दिल्ली से जम्मू जाना पडता है उन्हें 16 घंटे की ड्यूटी देनी पडती है। 16 घंटे की ड्यूटी के बाद ड्राइवर बिल्कुल थक जाता है। क्या यह बात सही नहीं है कि इसी कारण से लम्बे रूट पर ओवर क्राउडिंग और ओवर स्पीड की वजह से एक्सीडेंटस अधिक होते हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि क्या यह सही है कि ओवर टाईम और नाईट स्टे के चार्जिज खत्म किए जा रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ: दो गाडियां लम्बे रूटस पर दिल्ली से जम्मू और जयपुर से चण्डीगढ़ आदि चलती हैं। उन पर दो ड्राइवर्ज लगाये हैं। जिनका ओवर टाईम बनता है उन्हें ओवर टाईम भी देते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगर किसी ड्राइवर की छः या आठ घंटे से ज्यादा ड्यूटी लगने के कारण एक्सीडेंटस होता है तो मैम्बर साहेबान, मिनिस्टर महोदय के नोटिस में लाएं।

श्री जय नारायण वर्मा: स्पीकर साहब, ये कैसे कहते हैं कि दिल्ली से जम्मू तक जाने वाली बस में दो ड्राइवर्ज होते हैं। रोहतक डिपों का ड्राइवर जम्मू बस ले जाता है तो रोहतक डिपों ही ड्राइवर चेन्ज होता है।

श्री जगन्नाथ: सर, लम्बे रूट पर दो ड्राइवर्ज रखे हुए हैं। जब एक ड्राइवर थक जाता है तो दूसरा आ जाता है अगर कोई विशेष केस है तो नोटिस में लायें।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा सुझाव है। अगर यह सही बात है तो इसे दूर करें ताकि एक्सीडेंट्स न हों।

श्री सुरेन्द्र सिंह: मैं मंत्री महोदय, से जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। क्या इसी प्रकार ड्राइवर्ज को भी पेंशन दिए जाने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री जगन्नाथ: पेंशन देने का मामला विचाराधीन है। इस मामले पर मुख्य मंत्री जी की और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई है जिसमें यह विचार किया गया था कि रोडवेज कर्मचारियों की पेंशन होनी चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आपने भी इस बारे में सवाल के ऊपर एक आबजर्वेशन की थी कि एक्सीडेंट्स की तादाद बढ़ी है और हम यह महसूस भी करते हैं कि एक्सीडेंट्स बढ़ ही रहे हैं एक तो उसका कारण यह हो सकता है कि ड्राइवर्ज को लॉन्ग जर्नी तय करनी पड़ती है और यह थकावट महसूस करते हैं। फिर उनके ठहरने का बसोकं के अड्डों पर कोई बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रबन्ध नहीं है। क्या यह बात गवर्नमेंट के विचाराधीन है कि ड्राइवर्ज और कंडक्टर्ज की जहां पर डियूटी हो, वहां पर

ठहरने के लिए कोई रैस्ट हाउसिज या क्वार्टर्ज या उनके खाने का प्रबन्ध ठीक प्रकार से हो ?

श्री जगन्नाथ: स्पीकर साहब, यह बात सही है कि एक्सीडेंट्स बढ़ें हैं लेकिन एक्सीडेंट्स के साथ ही ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप अम्बाला से दिल्ली जायें तो आप देखेंगे कि जी०टी० रोड पर कई जगह इतना ट्रैफिक है जितना दिल्ली में चांदनी चौक में होगा। उसी रोड पर बैलगाड़ी, उसी रोड पर घोडागाड़ी, वही पर साईकिल और वहीं पर स्कूटर बगैरा चलते हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में हमारी स्टेट में एक्सीडेंट्स कम ही हैं। रैस्ट हाउसिज के मुताल्लिक मैं यह कहता हूँ कि यह बात सही है कि वह लोग गाड़ी चलाते चलाते तंग आ जाते हैं। यहां पर चंडीगढ़ में जाकर देख लें यहां पर एक रेस्ट हाउस है, हिसार में भी एक रेस्ट हाउस बना हुआ है। इसके अलावा हमने जीदं के अंदर एक कालोनी बनाई हुई है। इसके अलावा हम यह कोर्िा कर रहे हैं कि हरेक डिपो पर उनके लिये एक कालोनी बनायें और एक रैस्ट हाउस भी बनायें।

Constituency wise Water Supply Schemes in the State

***2711. Rao Ram Narain:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state-

(a) the Constituency wise number of water supply schemes undertaken in the State after June 1977 to date;

(b) the Constituency wise expenditure incurred on the schemes as referred to in part (a) above;

(c) the progress so far made in the water supply schemes in Salhawas Constituency; and

(d) the present position of Jhamri water supply schemes together with expenditure incurred thereon ?

Food and Supplies Minister (Shri Lachhman Singh):

(a) & (b) A statement is laid on the Table of the House.

(c) In 39 villages water supply Facilities have already been provided and in 10 other villages the works are in hand.

(d) water supply schemes has been functioning since 22-2-81. An expenditure of Rs. 1.64 lacs has been incurred thereon.

Statement showing the Constituency wise number of water supply schemes undertaken in the State after June, 1977 to date alongwith Constituency wise expenditure incurred on the schemes.

Sr. No.	Name of Distt.	Name of Constituency	Number of W/o Schemes	expenditure incurred on the
---------	----------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------

			undertaken in the State after Jun, 1977 to date	schemes from June, 1977 to date (Rupees in Lacs)
1	Ambala	Naraingarh	37	140.35
		Kalka	53	144.13
		Chhachharauli	5	27.53
		Jagadhri	1	9.08
		Sadhaura	2	0.45
		Naggal	12	33.49
		Mulana	10	33.86
		Ambala City	1	0.08
			121	388.97
2	Bhiwani	Bawani Khera	7	91.88
		Bhiwani	1	11.69
		Mundhal	5	63.34
		Badhra	5	25.54
		Dadri	4	26.23

		Loharu	6	15.26
			28	243.94
3	Faridabad	Ballabgarh	8	13.75
		Mewla	12	22.43
		Maharajpur		
		Hssanpur	3	24.05
		Hathin	13	91.88
		Palwal	2	9.60
			38	161.71
4	Gurgaon	Gurgaon	9	45.74
		Tarou	9	51.17
		Nuh	9	36.88
		Ferozpur Jhirka	6	23.20
		Sohana	11	19.71
		Pataudi	11	23.71
			55	200.41
5	Hissar	Adampur	9	214.59
		Barwala	6	51.10

		Narnaund	15	129.78
		Ghirai	6	106.62
		Hansi	8	85.91
		Fatehabad	9	86.85
		Bhattu	16	231.59
		Ratia	2	15.26
		Tohana	11	85.59
		Hissar	3	35.25
		Darba Kalan	3	22.64
			88	1055.28
6	Jind	Jind	2	1.29
		Jullana	6	22.34
		Safidon	11	94.82
		Uchana	7	36.67
		Narwana	10	26.86
		Rajaund	4	1.83
		Kalayat	7	36.41
			47	220.22
7	Karnal	Jundla	6	16.57

		Nilokheri	3	11.40
		Naultha	11	27.57
		Samalkha	11	25.29
		Gharaunda	1	2.96
			32	83.79
8	Kurukshetra	Guhla	1	7.02
		Kaithal	Nil	Nil
		Pundri	7	10.31
		Pai	2	3.22
		Pehowa	12	8.25
		Radaur	Nil	Nil
		Shahabad	10	10.44
		Thanesar	29	22.98
			61	62.22
9	Mohindergarh	Jatusana	1	10.91
		Mohindergarh	10	117.79
		Bawal	6	76.83
		Rewari	5	61.88
		Ateli	7	76.99

		Narnaul	16	85.53
			45	429.93
10	Rohtak	Hassangarh	5	15.84
		Kiloi	4	37.76
		Meham	6	38.41
		Kalanaur	6	28.28
		Beri	8	37.70
		Salhawas	5	14.37
		Jhajjar	6	10.42
		Badli	16	91.59
		Bahadurgarh	15	132.56
			71	413.93
11	Sirsa	Darba Kalan	14	123.90
		Dabwali	9	181.68
		Ellenabad	3	31.49
		Rori	15	164.56
			41	501.63
12	Sonepat	Sonepat	2	6.61
		Baroda	3	48.71

		Kaliana	8	17.50
		Rohat	6	60.75
		Gohana	4	12.81
		Rai	2	4.69
			25	151.07

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, साल्हावास हलके में सन 1977 के बाद इन्होंने 5 वाटर सप्लाई स्कीम जो बताई हैं, यह इनकरैक्ट बताई हैं, इनकी यह स्टेटमेंट बिलकुल गलत है। वहां पर केवल 3 वाटर सप्लाई स्कीमें जारी हुई हैं। दूसरी बात उन्होंने जो सवाल के पार्ट "सी" में 39 विलेजित बताये हैं, उसके बारे में मेरा सवाल यह था :-

"(c) the progress so far made in the water supply scheme in Salhawas Constituency;"

यह जो हमारे यहां 3 वाटर सप्लाई स्कीमज जारी हुई हैं। मैंने इनकी प्राग्रैस पूछी थी। इन्होंने कह दिया 39 विलेजिज ऐसे हैं जिनमें 1977 के बाद पानी दिया गया है

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, इनके हल्के में टोटल गांव 76 हैं। 39 गांवों के अंदर वाटर सप्लाई स्कीमज की वजह से आलरेडी पानी है 10 विलेजिज ऐसे हैं जिनके अंदर काम प्राग्रैस के अंदर है। लेकिन वहां पर पानी की किल्लत कम है। मेरी अभी

राव साहब से बात भी हुई थी। जे0एल0एन0 कैनल का जो पानी है वह अ योर्ड पानी नहीं है। हमने इरीगे इन वालों को यह लिख भी है कि गर आप हमें इस बात से अ योर कर दें कि पानी मिलता रहेगा तो हम इन स्कीमों को जल्दी ही मुकम्मल कर देते हैं। लेकिन उनके पास भी दिक्कत है। अब ज्यों ही एस0वाईएल0 का पानी आयेगा तो पानी की किल्लत बिल्कुल दूर हो जायेगी। यह जो स्कीमें हैं इसलिये पूरी नहीं की जा सकी हैं क्योंकि पानी अब तक अ योर्ड नहीं है। स्कीमें 39 गांवों में बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। सर इसमें गलती की कोई बात नहीं है। 10 गांवों में काम चल रहा है। ढीला क्यों है, इसका कारण मैंने बता दिया है। इसके अलावा जिन गांवों में खारा पानी है, वहां पर तो हम कैनल वाटर अ योर्ड हो जाने के बाद ही पानी की स्कीमों को पूरा करेंगे। वहां पर एक झुरमुट गांव है, वहां पर मीठा पानी मिला है। वहां पर हमने 1.64 लाख रूपया खर्च करके वाटर वर्क्स बना दिया है। जब तक जे0एल0एन0 कैनल पैरेनीयल नहीं हो जाती तब तक इन गांवों को पानी नहीं दिया जा सकता। इसलिए वहां पर अभी थोड़ी सी दिक्कत है वरनता तो अब तक वहां पर काम कम्पलीट हो चुका होता।

चौधरी भाग मल: स्पीकर साहब, मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि नारायणगढ़ में 37 स्कीमें हैं और कालका में 53 स्कीमें हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि इतनी ज्यादा स्कीमें इन कांस्टीच्युएंसिज में इसलिये हैं क्योंकि यह दोनों

कांस्टीच्युऐंसीज मिनिस्टर की अपनी कांस्टीच्युऐंसीज जबकि मेरे इलाके में बहुत कम स्कीमें हैं।

स्वामी अग्निवे 1: रिवाडी में भी 5 स्कीमें हैं।

Mr. Speaker: All villages have been connected by drinking water in Rewari area and I must congratulate the Public Health Department for this. (Interruption) Somebody raised this point. That is why I am explaining that every single village in Rewari are has been connected by drinking water. (Interruptions).

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, मैं इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। इन मैम्बर साहेबान, को आप यह कह दें कि जो यह क्वै चन आवर का टाईम है, यह बे एक सारा ही इस क्वै चन पर लगा लें और सवाल पूछते रहें। मैं रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। इसमें सच्चाई देखने वाली बात हैं। चौधरी भाग मल जी ने जो यह कहा है कि मिनिस्टरर्ज की कांस्टीच्युऐंसीज हैं इनको यह पता होना चाहिए कि कालका और नारायणगढ़ दोनों के एम0एल0ए0 समार्ट हैं और काम करने की हिम्मत रखते हैं। अब इनका मैं क्या कहूँ। यह तो अपने हल्के में जाते ही नहीं कभी कोि । । ही नहीं करते, पता नहीं कहां रहते हैं। यह लोगों का काम क्या करवायेंगे जिनको यह पता ही नहीं है कि वहां पर दिक्कत क्या है। (व्यवधान व भाोर)

उप श्रम मंत्री (चौधरी लाल सिंह): स्पीकर साहब, मैं आपकी माफत इस हाउस मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस सरकार

ने 65 करोड रूपया सिर्फ पानी पर लगाया है। आपको इस बात को सुन कर बहुत खुशी होगी कि सरकार भविष्य में सभी गांवों को पानी देगी। चौधरी भाग मल को यह पता ही नहीं है कि इसके हल्के में कौन कौन से गांव हैं। (व्यवधान व भाोर)

Ch. Bhag Mal: I challenge him in this regard.

चौधरी लाल सिंह: मैं कई बार इनके हल्के में गया था। लोगों ने बताया कि हमारा एम0एल0ए0 हल्के में नहीं आता। सरकार ने कुछ स्कीमें वहां पर चालू की हैं। यह तो गांवों में जाते ही नहीं हैं (व्यवधान व भाोर)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, मैं एक बात यहां पर कहना चाहता हूं। कैथल और पाई में कोई भी वाटर सप्लाई स्कीम चौधरी भजन लाल सरकार आने के बाद नहीं बनी है। जबकि चौधरी लाल सिंह को मैं अपने हल्के में लेकर भी गया था और इन्होंने वहां पर यह वायदा भी किया था कि यहां पर वाटर सप्लाई स्कीम बनायेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे इलाके के साथ इतना भेदभाव क्यों बरता जा रहा है ? (भाोर)

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, मेरा नाम लिया है। इसलिये मैं जवाब देना चाहता हूं। (व्यवधान व भाोर)

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, दरअसल स्टेट के अंदर 6490 प्रोब्लम विलेजि हैं इनके कुरुक्षेत्र के अंदर तो मेरे ख्याल से बहुत कम ही विलेजिज ऐसे होंगे जो प्रोब्लम विलेजिज होंगे। वहां

पर स्वीट वाटर अवेलेबल है। हम पहले वहां पर पानी देते हैं जहां पर मीठा पानी अवेलेबल नहीं है और खारा पानी है। आपको पता है कि रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, सिरसा, सोनीपत और अम्बाला जिले में रिवाजिक के पहाडियों के तीन हलके ऐसे हैं। जब तक इन इलाकों में पानी नहीं दे दिया जाता हम दूसरी जगह पर देने की बात नहीं सोच सकते। एक बात चौधरी लाल सिंह जी ने गलत बता दी मैं उसको करैक्ट करना चाहूंगा।

1954 में जब यह स्कीम बनी थी उस वक्त हरियाणा के अंदर केवल दो करोड रूपया खर्च किया गया था और जब से हमारी स्टेट अलग बनी है तब से 65 करोड रूपया खर्च किया गया है और इस 65 करोड में से 40 करोड रूपया जब से चौधरी भजन लाल मुख्य मंत्री बने हैं खर्च किया गया है।

चौधरी नारायण सिंह: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय के महकमे के स्टाफ को लेकर मैं अपनी कांस्टीच्युएंसि में गया था और वहां छः सात गांव जैसे गुगाना, माजरी और कारोला का सर्वे किया गया था। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर वाटर सप्लाई का काम कब शुरू कर दिया जायेगा ?

श्री लछमन सिंह: इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, जो लिस्ट सप्लाई की गई है। उसकी अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि नारायणगढ के अंदर 37 स्कीम्ज, कालका के अंदर 53 स्कीम्ज और

साल्हावास के अंदर केवल 3 स्कीम वाटर सप्लाई की हैं। मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे अपने काम के अंदर फेयर रहे हैं ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि यह सैमी एरियाज हैं और यहां पर पीने की पानी की बहुत कमी है। लोगों को तालाबों से पानी मिलता है। हम यहाँ के लोगों को इरीगेशन की कोई सहुलियत नहीं देते हैं। अगर उनको पीने का पानी भी न दें तो उनके साथ ज्यादाती होगी। हमने सारे हरियाणा के गांवों को पानी देना है कोई गांव छोड़ना नहीं है। जहां पर पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है वहां पर हम पहले पानीपत कर रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

वाक आउट

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ

श्री अध्यक्ष: इस सवाल पर काफी टाईम लग गया है। नैक्सट क्वैश्चन।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मेरा बहुत जरूरी सवाल है

श्री अध्यक्ष: मैंने अगले सवाल के लिए कह दिया है। आप बैठ जाइए।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, अगर मुझे आप सवाल पूछने के लिए समय नहीं देते हैं तो मैं वाक आउट करता हूँ।

(इस समय चौधरी संत कंवर सदन से उठ कर चले गये।)

स्थगित तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Bhagwat Bhagti Ashram, Rewari

***2826. Comrade Shankar Lal:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the details of buildings and lands at present standing in the name of the Ashram together with the places of their location; and

(b) whether any exemption in the matter of land ceiling has been granted to the said Ashram; if so, the reasons therefore ?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल के जवाब के लिए फरदर एक्स्टेंशन आई है।

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): स्पीकर साहब, बाबजूद हमारी पूरी कोशिशों के इस सवाल का पूरा जवाब नहीं आया है। जब पूरी सूचना मिल जाएगी तो वह मैम्बर साहेबान, को भिजवा दी जाएगी। (गौर एवं व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, आपने आज का दिन फिक्स किया था इसलिए आज इसका जवाब आना चाहिए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब यह सवाल 16 या 17 तारीख को लगा तो मन्त्री महोदय की बीस दिन की पोस्टपोनमेंट की रिक्वैस्ट आई थी लेकिन उसके बाद हाउस में दस दिन की पोस्टपोनमेंट के लिए इन्होंने ऐग्री कर लिया था और इसलिए यह सवाल तेरह दिन के बाद 30 तारीख को लगा। इसके बाद इनकी एक चिटटी आई। जो इस प्रकार है :-

“Sher Singh

D.O. No. 1073-AR(3)-82/10965

REVENUE MINISTER

Dated 27th March, 1982

Subject:- Starred Assembly Question 2826 regarding Bhagwat Bhagti Ashram, Rewari .

Respected Rao Sahib,

This is in continuation of my demi-official letter No. 1073-AR(3)-82/9266 dated 17-3-1982 on the above subject.

2. You were kind enough to accede to my request and grant an extension of ten days in which to answer the question.

3. The question is such that it is necessary to obtain information not only from the Deput Commissioner, Narnaul regarding the property in the name of the Ashram at Rewari or elsewhere in District Mahendergarh but from all other District and urban authorities in the State. Despite the best efforts of the Revenue Department to obtain this information it has not been possible within the short time available since dit involves examination of a large number of revenue and municipal records.

I would therefore, be grateful if you would be kind enough to extend the time for answering this Question by one month.

With kind regards.

Yours sincerely,

Sd/-

(Sher Singh)

Col. Rao Ram Singh,
Hon'ble Speaker,
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh.

मेरा ख्याल है कि परसों यह चिटठी आई है और इन्होंने एक महीने की ऐक्सटैन्शन मांगी है। चिटठी में लिखा है कि इस सवाल के बारे में इंफरमेशन इकट्ठी करने में दिक्कत आ

रही है। इसलिए एक महीने की ऐक्सटैन्शन दी जाए। मैंने इसका जवाब दिया है।

This is the letter written by the Secretary-

“Kindly refer to Revenue Minister D.O. letter No. 1073-AR(3)-82/10965 dated the 27th March, 1982 addressed to the Hon.ble Speaker on the above subject

While asking for extension of 10 days'time at the last occation, the Hoin Speaker felt that all these facts were in the knowledge of the Minister. It at that time an extention of the longer period had been asked for he would have allowed the same. But allowing the extension of one month a second time, he fees, it wou'd not be fair on his part and it would be difficult for him to satisfy different sections of the House tomorrow when the Question comes up for oral answer.

I, therefore, request you to kindly bring this fact to the notice of the hon. Revenue Minister so that he may answer the Question in the House Tomorrow” (Interruption and noise)

Apart from this I would like to draw the attention of the Government and of the Hon'ble Members, to pate 396 of Kaul and Shakdher, where it says-

“After a Question is placed on the printed list of Questions for a day, the right to ask for postponement is conceded to the member concerned and not to the Minister who is to answer the Question. But in exceptional cases some specific Questions which the Prime Minister desired to be

postponed for answer by him personally have been postponed under order of the Speaker.”

10.00

चौधरी भोर सिंह: स्पीकर साहब, एक मिनट मेरी बात सुन लें। यह प्र न भुरु में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को भेजा गया था और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से हमारे महकमें में पन्द्रह तारीख का आया था। स्पीकर साहब, जो सवाल पूछा गया था वह इस प्रकार था—

“The details of buildings and lands at present standing in the name of the Ashram together with the places of their location.”

अध्यक्ष महोदय, यह सारी स्टेट की सूचना एकत्रित करने संबंधित प्र न था। यह प्र न पहले उद्योग में प्राप्त हुआ था परन्तु उद्योग विभाग ने अपनी ओर से यह प्र न इस विभाग को ट्रान्सफर कर दिया। यह प्र न इस विभाग में दिनांक 15-3-82 को प्राप्त हुआ था और हमने 15-3-82 को ही उपायुक्त नारनौल को एक वायरलैस संदे 1 भेजकर यह निर्दे 1 दिया था कि वे इस प्र न के संबंध में आव यक सूचना 16-3-82 तक आव य भेज दें। क्योंकि यह प्र न 18-3-82 को उत्तर देने के लिये निर्धारित कर दिया गया था। अतः इस संबंध में उपायुक्त नारनौल को 16-3-82 को पुनः एक वायरलैस संदे 1 भेजा गया था परन्तु उनकी ओर से अपेक्षित सूचना प्राप्त न होने

के कारण इस प्रश्न के उत्तर के लिये 10 दिनों की और एक्सटेंशन मांगते हुए अध्यक्ष महोदय, से अनुरोध किया गया जिसे आदरणीय स्पीकर साहब, ने मंजूर कर लिया। स्पीकर साहब, अगर मेरी मांग इस प्रश्न का जवाब देने की नहीं होती तो भुरु से ही मैं आप से एक महीने की एक्सटेंशन मांगा लेता।

अध्यक्ष महोदय, डी०सी० नारनौल से जो इस मामले पर सूचना प्राप्त हुई उससे इस मामले की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः उन्हें दिनांक 17-3-82 को एक अर्ध सरकार पत्र भेज कर यह अनुरोध किया गया कि वह इस संबंध में अपनी पूर्ण सूचना भीघ्र ही रिकार्ड सहित हमें भेजें। इसके साथ साथ उद्योग विभाग से भी इस बारे में अनुरोध किया गया कि प्रश्न के ए भाग के संबंध में अपना उत्तर तथा जानकारी भीघ्र भेजें। उद्योग विभाग ने जो सूचना हमें भेजी, वह इस प्रकार है -

“It is intimated that the Registrar of Firms and Societies under the Indian Societies Registration Act, 1860 does not have any details relating to the buildings standing in the name of Bhagat Bhagati Ashram, Rewari nor the Societies are obliged to submit such details to the Registrar.”

अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग और डी०सी० नारनौल से प्राप्त हुई सूचना से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि भगवती भगती आश्रम के साथ कौन कौन से भवन और भूमि हरियाणा में स्थित है। म्युनिसिपल कमेटियों से भी इस बारे में पूछा गया कि इस नाम से कोई जमीन स्टैंड करती है कि नहीं पटवारी तक से भी

हमने सारी सूचना एकत्रित करने की कोशिश की है। इसी संबंध में उप सचिव राजस्व, राजस्व मन्त्री महोदय तथा उपायुक्त नारनौल के मध्य काफी विचार विमर्श होने के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस तरह की सूचना प्राप्त करने के लिये सभी उपायुक्तों को आवश्यक सूचना भेजने के लिये लिखा जाये। तथानुसार इस विभाग के वायरलैस संदेश दिनांक 24.3.82 द्वारा राज्य के सभी उपायुक्त को उक्त प्रश्न भेजते हुए यह अनुरोध किया गया था कि वे इस संबंध में अपनी सूचना 25 तारीख तक इस विभाग को अवश्य भेज दें। पर अभी तक इस संबंध में हमारे पास केवल उपायुक्त भिवानी व फरीदाबाद से भून्न्य सूचना प्राप्त हुई है। अन्य जिलों की सूचना अभी तक प्रतीक्षित हैं। इसलिये मेरी आपके द्वारा माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि जैसे जैसे भोश स्थानों से इस बारे में सूचना एकत्रित हो जाएगी। हम माननीय सदस्यों के घरों तक वह सूचना बजरिया रजिस्ट्री भिजवा देंगे क्योंकि यह सूचना उप मण्डल स्तर तक भी एकत्रित की जानी भोश है। इससे स्पीकर साहब, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने यह सूचना एकत्रित करने के लिये कितने एफर्ट्स किये हैं फिर भी सदस्य कह रहे हैं कि हम जवाब ही नहीं देना चाहते। स्पीकर साहब, जैसा कि मैंने पहले कहा है अगर मेरी यह मांग होती तो पहले ही आपसे एक महीने की एक्सटेंशन मांग लेता।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बडी ही तफसील के साथ सारी डिटेल्स यहां हाउस के

सामने रखी है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि यह एक प्राइवेट अदायरा है सरकारी नहीं है और सरकार के पास प्राइवेट अदायरों को कोई रिकार्ड वगैरह नहीं होता लेकिन फिर भी हमारी कोफ़ि । । यही होगी कि यह सूचना जल्दी से जल्दी एकत्रित की जाये और जितनी जल्दी यह सूचना हमें उपलब्ध हो जाएगी हम उस सूचना को माननीय सदस्यों के घर तक बजरिया रजिस्ट्री भिजवा देंगे ताकि इस मामले से संबंधित पूरी जानकारी उनको मिल सके। (गोर एवं व्यवधान)

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन यह है कि आपने जब इनको एक बात के लिए डायरेक्ट ऑन दे दी और मंत्री महोदय ने यह फरमा दिया कि हमने उद्योग विभाग को रेवेन्यू विभाग को और म्यूनिस्पल कमेटियों को भी इस बारे में डायरेक्ट ऑनज दी थीं लेकिन कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। स्पीकर साहब, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं फिर पोसवाल साहब तो रिवाडी में नोटीफाइड एरिया कमिटी के चेयरमैन साहब, भी रहे हैं मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि हर एक जिले में वहाँ की हर प्रापर्टी का रेवन्सू रिकार्ड होता है लेकिन यह कह देना कि सरकार के पास रिकार्ड नहीं होता, यह कोई उचित बात नहीं है। स्पीकर साहब, टाऊन की हर बिल्डिंग का रिकार्ड होता है।

श्री बलदेव तायल: अध्यक्ष महोदय, मैम्बर साहेबान, का सवाल था कि (1) इस समय आश्रम के नाम पर जो इमारतें तथा जमीनें हैं उनका ब्यौरा क्या है तथा वे किन किन स्थानों पर

स्थित हैं। (2) क्या उक्त आश्रम को भूमि सीमा के मामले में कोई छूट दी गयी है। यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? मेरी गुजारि है कि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है क ऐसा कोई रिकार्ड नहीं होता है, यह टोटली गलत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक एक इंच भूमि का रिकार्ड रैवेन्यू रिकार्ड के अंदर दर्ज होता है और बडा सवाल यह था कि आया भूमि सीमा के मामले में कोई छूट दी गई है या नहीं ? उसका जवाब केवल हां या न में आना चाहिए था। इमारतों का तो कह सकते हैं कि गांवों के अंदर हमारे पास इसका कोई रिकार्ड नहीं है। जहां तक एग्रीकल्चर लैंड का ताल्लुक है कोई एक भी इंच भूमि ऐसी नहीं होती है जिसका रिकार्ड न होता हो।

वित्त मंत्री (चौधरी खुर गीद अहमद): स्पीकर साहब, यह जो सवाल यहां पर पूछा गया था उस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सूचना सारी स्टेट से इकट्ठी करने का सवाल है। यह आम पब्लिक रिकार्ड की बात है। खसरा, गिरदावरी का, जमाबंदी वगैरह का सारा रिकार्ड म्यूनिसिपल कमेटियों के पास उपलब्ध होता है। वहां पर फीस भर करके बडी ही आसानी से उसकी नकल प्राप्त की जा सकती है। भूमि दो एकड हो, 100 एकड हो 10 लाख एकड हो जितनी भी भूमि हो उसकी नकलें आसानी से मिल सकती हैं। हर जमीन का रिकार्ड है रिकार्ड आफ राईट्स है और यह पब्लिक डोकुमेंट्स हैं जिस आदमी को चाहिए वह जाकर दो रूपये फीस भर कर नकल ले सकता है। इसके लिए

सरकार को इस तरह से मजबूर करना कि हम जाकर जगह जगह से बात को पता रकें कि कौन कौन राइट होल्डर्स हैं और कहां कहां किस किस की जमीन है मुमकिन नहीं है। (गोर एवं व्यवधान) यह सरकार को जिम्मेवारी नहीं बनती।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल फायनैस मिनिस्टर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी नालिज मेरे से कहीं बस्ट है लेकिन मैं इस मसले पर उनसे सहमत नहीं हूँ। अगर कोई सवाल विधान सभा सचिवाल ने एडमिट कर लिया है तो उसका जवाब सरकार को हाउस में देना चाहिए। अगर मैं यह समझता कि यह इंफरमे न रेडीली अवेलेबल नहीं हो सकती है तो मैं मैम्बर साहेबान, का सवाल पहले ही एडमिट न करता। अगर मैं यह समझूंगा कि इस मामले के अंदर और सूचना को आबंटन करने के लिए दिक्कत नहीं है तो मैं उस सवाल को जरूर एडमिट करूंगा। अगर सरकार इस सवाल का पूरा जवाब देने में असमर्थ है तो मेरी डायरेक्ट न के बाद सरकार को यह चाहिए था कि कम से कम जितनी सूचना अवेलेबल है उतनी तो उसे यहां हाउस में लानी चाहिए बाकी के लिए यह कहती कि सूचना अभी अवेलेबल नहीं है हम यह सूचना बाद में दे देंगे पर मैं यह नहीं मान सकता कि सरकार के पास कतई इंफरमे न नहीं थी। तीसरी बात जो कामरेड भांकर लाल जी के सवाल में पूछी गई थी कि क्या आश्रम की जमीन को लैंड सीलिंग एक्ट के तहत माफ किया जा सकता है। इसी तरह से राव राम नारायण जी के सवाल के जवाब में भी यह आया था कि कोई

लगभग 512 एकड भूमि आश्रम के नीचे है। उनका सवाल था कि आश्रमी लैंड सीलिंग एक्ट से एग्जैम्पटिड है या नहीं इसके लिए गवर्नमेंट को कहीं से भी इंफरमे इन नहीं लेनी थी। and that information should have been available with the Revenue Department. सवाल यह है कि आश्रम की जमीन लैंड सीलिंग से एग्जैम्पटिड है या नहीं। So I am sorry to say that this information should have been available with the Revenue Department. Now I give the ruling that जो भी इंफरमे इन गवर्नमेंट ले सकती है वह सप्लाई करें। दो अप्रैल को यह सवाल सबसे पहले लगेगा। (विरोधी पक्ष की ओर से तालियां) (ओर एवं व्यवधान)

कल जब मैंने एक प्रविलिज मो इन रिजैक्ट कर दिया था तब तो आप सब लोग वाक आउट कर गए थे और आज तालियां बजा कर मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हो। इन बातों का मेरे ऊपर कोई इफैक्ट नहीं पडता है। (ओर एवं व्यवधान)

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Bus Stand at Jhajjar

***2656. Capt. Mange Ram:** Will the Minister for Transport be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a permanent Bus Stand at Jhajjar; if so, the time by which the same is likely to be constructed ?

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): जी हां। भूमि अभिग्रहण संबंधी कायवाही चल रही है। यह बताना संभव नहीं किस तिथि तक यह बस अड्डा पूर्ण रूप में बन पाएगा।

कैप्टन मांगे राम: मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब बहादुरगढ और गोहाना में तीन तीन एकड जमीन में बस अड्डे बनने लग रहे हैं तो झज्जर में क्या दिक्कत है। झज्जर फल्ड इफैक्ट एरिया है यहां पर कब तक बस स्टैंड बन जाएगा ?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, आप और कैप्टन मांगे राम दोनों सैकिण्ड वर्ल्ड वार के हीरो हैं। मैं तो फौजियों की बड़ी कदर करता हूं। ये कहते हैं कि बस अड्डा उसी जगह होना चाहिए। यह बात ठीक है कि पहले हमने तीन एकड जमीन ली थी लेकिन उसके बाद देखा गया कि ट्रैफिक प्वायंट आप व्यू से यह जगह थोड़ी है इसलिए हम 162 कैनल जमीन और ले रहे हैं। पहले जमीन थोड़ी गहराई में भी थी। इसलिए दूसरी जगह बस स्टैंड बनाने की स्कीम बनाई। दूसरी जगह जमीन एक्वायर करने

के लिये दफा 4 का नोटिस हो चुका है और हम जल्दी ही क्वार्टर्ज पर और तहसील हैड क्वार्टर्ज पर बस अड्डे बना रहे हैं। जैसे पिपली, धरोंडा, होडल है। इन जगहों पर बस स्टैंड होना तो बहुत ही जरूरी है। इनके अलावा गोहाना, नरवाना, पिहोवा, पुंडरी, लाडवा, कुरुक्षेत्र, हांसी, पलवल, नारनौल, सिवानी, आदमपुर और भट्टु ऐसी कई जगहों पर तकरीबन 6 करोड रू0 का काम चल रहा है।

श्री मूल चन्द जैन: अभी मंत्री महोदय ने एक लम्बी लिस्ट बताई जहां बस अड्डे बन रहे हैं। क्या इन्होंने कोई समय अवधि रखी है कि ये बस अड्डे कब तक बन जाएंगे क्योंकि ये बहुत देर से बनने लग रहे हैं ?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, जहां तक इनके पलवल के बस स्टैंड का संबंध है वह तो बना हुआ है पिछले दिनों इस बस स्टैंड पर कुछ काम रुका हुआ था। बस अड्डे जहां पी0डब्ल्यू0डी0 वाले बनाते हैं हम उनको धीरे धीरे पैसा देते रहते हैं। इस सारे काम के लिए मैं कोई समय निर्धारित नहीं कर सकता। समय तो नेचर भी निर्धारित नहीं कर सकती क्यों कोई बच्चा 7 महीनों के बाद हो जात है और कोई 9 महीने के बाद हो जाता है। (हांसी)

चौधरी अजीत सिंह: मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि झज्जर बस अड्डे के लिए वर्तमान अड्डे वाली जगह ही एक्वायर की जा रही है या कहीं पर और भी की जा रही है ?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, मैंने अभी बताया था कि पहले वाली जो तीन एकड़ जमीन थी वह बहुत गहरी जगह थी और उस में खड्डे थे। हम दूसरी जगह ले रहे हैं जिसके लिए दफा 4 का नोटिस जारी हो चुका है और दफा 6 का नोटिस अभी जारी करेंगे।

श्री देवी दास: स्पीकर साहब, अभी मन्त्री जी ने बातया कि जो तीन एकड़ जमीन थी वह थोड़ी थी और उसमें खड्डे थे इसलिए ये अब दूसरी जमीन एक्वायर कर रहे हैं क्या इनको पहले नहीं पता था कि यह जमीन थोड़ी है और इसमें खड्डे हैं इसके पीछे कहीं कोई और कारण तो नहीं है ?

श्री जगन नाथ: इसके पीछे कोई और कारण नहीं हैं आपको पता है कि 1974 और 1982 के ट्रैफिक का बहुत अंतर हो गया है। यानि उस टाईम हमारे पास कितने व्हीकल्ज थे और आज कितने हैं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम दूसरी जगह ले रहे हैं।

चौधरी कर्म सिंह: यहां पर टोहाना का भी जिक्र आया। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि टोहाना में भी बस अड्डा बनाने जा रहे हैं ?

श्री जगन नाथ: टोहाना में तो पहले ही बना हुआ है हम तो जाखल में भी बना रहे हैं

चौधरी भाकरुल्ला: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि फिरोजपुर झिरका में भी बस अड्डा बनाने का कोई विचार है ?

श्री जगन नाथ: मैंने पहले ही कहा कि जो इम्पोटेंट जगह हैं और ट्रैफिक ज्यादा रहता है पहले वहां बनाने जा रहे हैं। मेवात एरिया में तो हम बस बाड़ी बनाने का कारखाना बना रहे हैं।

Tourist Centres at Hathin and Palwal

***2663. Swami Aditya Vesh:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct tourist centres at Hathin and Palwal; and

(b) if so, the time by which such centres such centres are likely to be constructed ?

स्वास्थ्य मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर):

(क) अभी नहीं।

(ख) प्र न पैदा नहीं होता।

स्वामी अग्निवे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे सवाल का जवाब दिया है कि अभी कोई विचार नहीं है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पलवल और हथीन पर्यटक केन्द्र खोलने के लिए सरकार कब विचार करेगी

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, पलवल और हथीन में अभी पर्यटक केन्द्र खोलने के कोई विचार नहीं है और अगली पांच साला योजना में भी इन जगहों को इंकलूड नहीं किया गया है।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने पलवल और हथीन के लिए यह कहा है कि वहां पर पर्यटक केन्द्र खोलने के लिए अभी कोई विचार नहीं है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार इस वर्ष पूरे हरियाणा पट्टे के अंदर कहां कहां तक पर्यटक केन्द्र खोलने जा रही है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, आज तक हरियाणा के अंदर 31 टूरिस्ट काम्पलैक्स बनाए जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: क्या रिवाडी में टूरिस्ट काम्पलैक्स बन कर तैयार हो चुका है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: जी हाँ। रिवाडी टूरिस्ट काम्पलैक्स बन कर तैयार हो चुका है और इसी महीने की 12

तारीख को उसका उदघाटन होने जा रहा है स्पीकर साहब, मैं बता रहा था कि हरियाणा के अंदर आज तक 31 टूरिस्ट कांप्लैक्स बन चुके हैं। और अम्बाला, डबवाली, बहादुरगढ़, नरवाना, दमदमा और यमुनानगर के अंदर इस साल से टूरिस्ट कांप्लैक्स बनाने जा रहे हैं।

स्वामी आदित्यवे T: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब दिया है कि पलवल और हथीन में पर्यटक केन्द्र बनाने का अभी कोई विचार नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यदि अभी कोई विचार नहीं है तो कब तक विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी, मंत्री जी कह रहे हैं कि अगली पांच साला योजना में भी इन जगहों को टूरिस्ट कांप्लैक्स बनाने के लिए इंकल्यूड नहीं किया गया है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इनके पास पलवल और हथीन के लोगों की तरफ से या वहां के विधायक की तरफ से वहां पर टूरिस्ट कांप्लैक्स बनाने के लिए कोई रीप्रैजेन्टे इन आई है।

चौधरी गजराज बहादुर नागर: अध्यक्ष महोदय, न ही वहां के लोगो की तरफ से मेरे पास कोई रीप्रैजेन्टे इन आई है और न ही वहां के विधायक की तरफ से कोई रीप्रैजेन्टे इन आई है।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यदि किसी इलाके के लोग मंत्री जी के पास यह रीप्रैजेन्टे इन भेजे कि हमारे यहां टूरिस्ट काम्पलैक्स नहीं होना चाहिए क्या मंत्री जी वह से टूरिस्ट काम्पलैक्स हटा देंगे ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, बहुत विचारणीय बात है जो हुड्डा साहब ने रखी है। आज तक मेरे पास हरियाणा के किसी भी इलाके से ऐसी कोई रीप्रैजेन्टे इन नहीं आई है कि यहां से टूरिस्ट काम्पलैक्स हटा दिया जाए। जितनी भी रीप्रैजेन्टे इन आई हैं उनके अंदर तो टूरिस्ट काम्पलैक्स बनाने के लिए मांग की गई है। जो टूरिस्ट काम्पलैक्स बनाए गए हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। इस बारे में पूछें तो ठीक है लेकिन हरियाणा में टूरिस्ट काम्पलैक्स बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पीकर साहब, हरियाणा टूरिस्ट काम्पलैक्स ने एरिया में हरियाणा का ना ऊंचा किया है। और हरियाणा टूरिस्ट काम्पलैक्स नम्बर वन पर है। इसलिए टूरिस्ट काम्पलैक्स बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा।

Mr. Speaker: In this particular case, I am in entire agreement with the Minister that the Haryana Tourism has achieved a world wide name. I must congratulate him for this.

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि भिवानी टूरिस्ट काम्पलैक्स का वैन्यू चेंज

करने की प्रपोजल सरकार के विचाराधीन थी क्या वह प्रपोजल अभी भी सरकार के विचाराधीन है या ड्रॉप कर दी गई है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, वह प्रपोजल ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। भिवानी में टूरिस्ट काम्पलैक्स के लिए हमारी सी०एम० साहब, के साथ दो तीन बार मीटिंग हो चुकी है। हम भिवानी के अंदर बड़ा टूरिस्ट काम्पलैक्स बनाने के लिए दूसरी जगह साइट देख रहे हैं। भिवानी का टूरिस्ट काम्पलैक्स बनाने के लिए मामला सी०एम० साहब, के जरे गौर है। हम सी०एम० साहब, के साथ इस बारे में मीटिंग करके जल्दी ही इसका फैसला करेंगे।

चौधरी गुलजार सिंह: स्पीकर साहब, अभी मन्त्री जी ने बताया कि हम हरियाणा के अंदर फलां फलु जगह टूरिस्ट काम्पलैक्स बनाने जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर बहुत सा ऐसा एरिया है जहां पर 100-100 किलोमीटर के फासले पर कोई टूरिस्ट काम्पलैक्स नहीं है। मैं मन्त्री जी यह जानना चाहता हूं कि टूरिस्ट काम्पलैक्स बनाने के लिए क्या नार्म्ज हैं और जहां पर 100-100 किलोमीटर के फासले पर कोई टूरिस्ट काम्पलैक्स नहीं है। क्या वहां पर टूरिस्ट काम्पलैक्स बनाए जाएंगे ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, मेरे फाजिल दोस्त ने टूरिस्ट काम्पलैक्स बनाने के नार्म्ज पूछे हैं वह मैं बता देता हूं जिनका ख्याल करके टूरिस्ट काम्पलैक्स बनाए जाते

हैं। राज्य मार्गों पर यातायात की सुविधाएं देना, जिला तथा उपमंडलीय मुख्यालयों पर पर्यटन की सुविधाओं की व्यवस्था करना ऐतिहासिक तथा धार्मिक जगहों को लोकप्रिय बनाना तथा किसी सेंटर की प्राकृति पर्यटन क्षमता का विकास करना।

कामरेड भांकर लाल: अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल की सरकार के समय में अबूब भाहर की नहर पर एक काला तीतर टूरिस्ट काम्पलैक्स बना था और आसा खेडा में भी टूरिस्ट काम्पलैक्स बनाया गया है हरियाणा के अंदर जितने भी टूरिस्ट काम्पलैक्स बनाए गए हैं। वे सारे भाराब पीने के लिए, अय्या पी करने के लिए और फिजूल खर्ची करने के लिए बनाए गए हैं। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या टूरिस्ट काम्पलैक्स के अंदर जो फिजूल खर्ची होती है क्या इस किस्म के कोई काम होते हैं, उनको खत्म किया जाएगा ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: सर, मेरे फाजिल दोस्त ने दो तीन बातों का जिक्र किया है। स्पीकर साहब, काला तीतर और आसा खेडा के अंदर टूरिस्ट काम्पलैक्स खोले हुए हैं। काला तीतर के अंदर जो काम्पलैक्स खोला गया था वह चौधरी देवीलाल जी ने खोला था। इसकी मेरे को नालेज भी नहीं थी कि वहां पर कोई टूरिस्ट काम्पलैक्स खोला जा रहा है। आसा खेडा के अंदर इसलिए खोलना पडा क्योंकि वह जी०टी० रोड पर पडता था। वहां पर लोगों को सुविधा देने के लिए खोला गया है। सिरसा के अंदर इसलिए खोलना पडा क्योंकि वह डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है

इसलिए वहां पर खोलना जरूरी था। एक बात इन्होंने अय्या पि और फिजूल खर्चों के बारे में कही है। स्पीकर साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इन टूरिस्ट काम्पलैक्सों के अंदर गरीब से गरीब आदमी को भी खाना मिलता है। वहां पर ठहरने के लिए जहां 200 से 250 रुपये तक किराया लिया जाता है उसके साथ साथ 10-15 रुपये तक का किराया भी गरीब आदमियों से लिया जाता है। जो आदमी जैसा कमरा चाहे उसे मिल जाता है। वहां पर खाना 200 रुपये की एक थाली मिलती है लेकिन कोई गरीब आदमी खाना चाहे तो उसको अढ़ाई रुपये में भी थाली मिल सकती है। ऐसा कोई टूरिस्ट काम्पलैक्स नहीं है जहां पर अढ़ाई रुपये की थाली न मिलती हो।

श्री अध्यक्ष: साहेबान अब क्वै चन आवर समाप्त हुआ।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Electricity Connectioni for Harijan Bastis

***2675. Shri Bhagi Ram :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-the village wise number of eletrictiy connection given in Harijan Bastis under the area of Rania power sub station, durinig the year 1981 ?

Irrigation & Power Minister (Sardar Tara Singh):

The village wise number of domestic connection given in Harijans bastis during the year 1981 in the area getting power from Rania Sub Station ara as below:-

Sr. No.	Name of Harijan Bastis	No. of domestic connections
1	Nakora	7
2	Balasar	20
3	Ottu	25
	Total	52

Printing of Tickets of Haryana Roadways

***2684. Ch. Jagdish Kumar Beniwal:** Will the Minister for Transport be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a new printing press for the printing of fare tickets of Haryana Roadways; if so, total amount of expenditure likely to be incurred for setting up the new printing press ?

Transport Minister (Sh. Jagan Nath): Yes, a printing press at a cost of Rs. 60 lacs (approximately) is proposal to be set up for the printing of fare tickets of Haryana Roadways.

Separate High Court for the State

***2687. Ch. Jagjit Singh Pohloo:** Will the Chief Minister for Transport be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Government to approach the Central Government for the setting up of separate High Court for the State of Haryana; is so the time and the station for which the proposal to set up a separate High Court is being made ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकारा के विचाराधीन नहीं है।

Rural Area Education allowance to the Teachers

***2704. Sh. Ran Singh Mann:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to give Rural Area Education allowance and Medical allowance at flat to the Teachers working in the Government schools; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to materialize

Education Minister (Ch. Des Raj):

(a) No.

(b) The question does not arise.

Buses looted in the State

***2749. Dr. Mangal Sein, Smt. Dr. Kamla Verma:**

Will the Minister for Home be pleased to state-the number of buses, if any, looted in the limits of Haryana State, together with the number of dacoities, if any, Committed in running trains within the limits of Haryana State during the year 1981 and to-date ?

Home Minister (Sh. Kanhiya Lal Poswal): 7 cases of robberies/dacoities in the buses and 2 cases of dacoities in the running trains were Committed in Haryana during 1981 and 1982 up to date.

Felling of Trees in Morni Hills

***2902. Sh. Hira Nand Arya, Ch. Ajit Singh:** Will the Minister of State for Irrigation and Power be pleased to state-whether any case of illegal felling of trees in Monri Hills has come to the notice of Government if so, the steps, if any, taken to stop the said illegal felling ?

Minister of State of Irrigation & Power (Sh. Devender Sharma): 85 cases of illicit felling involving felling of 397 trees have come to the notice of Government during 1981-82. 64 cases out of the 85 involving felling of 284 trees have been compounded under the Indian Forest Act, 1927 and a compensation of Rs. 17227.00 has been realised by the Forest Department 10 cases involving the felling of 29 trees were sent for prosecution of Courts. Remaining 11 cases involving felling of 84 trees are at different stages of legal

proceeds like issue to notice etc. for taking a decision about their compounding or prosecution.

Under the provisions of the Indian Forest Act, Divisional Forest Officers are authorised to compound cases of illicit felling in Reserved or Protected Forest by realising adequate compensation from the offenders. Cases are sent up for prosecution to Courts in case the offender refuses to pay the compensation as determined by the Department. Extensive patrolling is being done by the staff to check illicit felling and prompt and strict action is taken against the defaulters.

Construction of Thokars on the Banks of Yamuna River

***2798. Sh. Lehri Singh Mehra:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the Govt. is aware of the fact that due to non construction of thokars on the banks of Yamuna River serious damage is being caused to the land of the State;

(b) whether the Govt. is also aware of the fact that the Uttar Pradesh Govt. has constructed about 100 to 150 feet thokars in length on account of which River Yamuna has been diverted for a number of miles into the Territory of the State;

(c) if the reply to part (a) and (b) above be in affirmative, the steps taken or proposal to be taken by the Govt. to save the land from the aforesaid havoc being caused by River Yamuna; and

(d) whether the Haryana Govt. proposal to increase the present length of thokars from 50 feet to 100 feet or 150 feet immediately like that of Uttar Pradesh; if so, the time by which it will be done ?

Irrigation & Power Minister (Sardar Tara Singh):

(a) Thokars are made by the Irrigation Department wherever required. therefore, no serious damage is being caused to the land of the State.

(b) Yes, these long thokars were made prior to 1980.

(c) The violations done by the U.P. Government have been brought to the notice of the Govt. of India. Surveys are also undertaken every year after the monsoon, and construction of new and repair of old thokars and other river protection works, wherever necessary, are carried out.

(d) The approved length of a thokar is 80ft. Where necessary a longer thokar can be made only with the approval of the Yamuna Committee. Government will seek approval of this Committee wherever it is necessary to have a thokar longer than 80 feet.

Confidential Report of the Employees

***2903. Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that According to the provisions of Punjab Reorganisation Act, 1966 the service

condition of the employees of composite Punjab State Could not be changed to their detriment without the previous approval of the Central Government

(b) Whether the Haryana Government by executive instruction has laid down that average confidential reports of employees will be treated as adverse reports even though these are not communicated to the concerned officials;

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative whether such instructions are violative of the provisions contained in the Punjab State Reorganization Act, 1966; and

(d) if so, whether the Government propose to reconsider the matter in the light of the provisions of the above said Act ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): (क) जी हां

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्र न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(घ) प्र न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

Leasing out of Panchayat Shamlat Land in Tehsil Jagadhri

***2868. Smt. Dr. Kamla Verma:** Will the Minister for Development and Panchayat be pleased to state- the names of persons given shamlat land of Panchayat in Yamunanagar and Chhachhrauli (Tehsil Jagadhri) on lease during the last two years together with the tenure and lease money fixed therefore, and the criterion, if any fixed for giving such land on lease ?

Development Minister (Rao Dilip Singh): Both Yamunanagar and Chhachhrauli are municipal areas having no Panchayat. Question of leasing out os Shamlat lands of Panchayat therefore, does not arise.

Murders Committed in the State

***2851. Master Shiv Prashad:** Will the Minister for Home be pleased to state-

(a) the district wise number of the murders Committed in the State during the period from 1.1.81 to date together with the number of Harijans and women out of them separately; and

(b) the reasons for which the above said murders were committed together with the steps, if any; taken by the Government to check such murders ?

Home Minister (Sh. Kanhiya Lal Poswal):

(a) & (b): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The District wise number of murders committed in the State during the period from 1.1.81 to 28.2.82 together with the number of Harijans and women out ot them are given below :-

Distt.	No. of Murders Committed	No. of Murders of Harijans	No. of murders of women
Ambala	23	3	6
Kurukshetra	38	6	6
Karnal	55	18	8
Jind	39	1	12
Hissar	74	2	22
Narnaul	19	2	5
Bhiwani	21	3	8
Sirsa	31	3	4
Gurgaon	27	1	5
Faridabad	33	1	5
Rohtak	49	2	14
Sonepat	36	1	4
Total	445	43	99

(b) On analysing the motives for murders, it is found that land & property disputes, old enmity, infidelity of the spouse, demand for dowry and disputes over moveable/immoveable property are the main causes due to which these murders have been committed.

The District S.S.Ps. have been asked to take immediate preventive measures under the appropriate sections of law. All murder cases are treated as special Report cases. Scientific methods for investigation are adopted for apprehending the culprits. All possible efforts are being made to bring the culprits to book.

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Khadei & Village Industries Board Haryana

654. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the names of Chairman Managing Director, and Secretary of the Khada and Village Industries Board, Haryana together with the conditions of their service and monthwise total amount of emoluments and T.A. drawn by them during the years 1980-81 and 1981-82 (to-date) separately;

(b) the category wise number of employees recruited on daily wages, adhoc basis and on regular basis by the Khadi & Village Industries Board, Haryana during the period, as referred to in part (a) above, separately and

(c) the number of applications together with the names of applicants with addresses, received by the Board for loans/grants during the years, 1980-81 and 1981-82 (to date) together with the amount of loan/grant applied for amount of

loas/grant sanctioned amount of loan/ grant releaves with dates and the number of applications pending at present ?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal) :

(a) The requisite information is available at Annexure 'A'

(b) The requisite information is available at Annexure 'B'

(c) The information relating to the number of applications received by the Board, amonutn of loan/grant applied for an disbursed and number of applications pending at present for the years 1980-81 and 1981-82 (till 15.3.82) is available in Annexure 'C'. However labour and efforts involved in the collection of information relating to names & addresses of the applicants as also the dates of their applications will not be commensurate with the possible benefit to be derived therfrom.

ANNEXURE 'A'

Name & designation	Period	Honora rium drawn	Reimb useme nt of House Rent drawn	T.A. drawn	Terms & conditions
1 Sh. Jai Narain Verm,	1980-81 3/80	1000/-	1000/-		1 An honorarium of Rs. 1000/-

	M.L.A. Ex-Chairman					2	p.m. Free unfurnished accommodation at a cost not Rs. 500/- p.m.
						3	T.A. in Accordance with the rules relating to the grant of T.A. to the M.L.As.
2	Dada Ganeshi Lal, Ex-Chairman	11.4.80 to 24.7.80					He discharged the functions of the Chairman from 11.4.80 to 24.7.80 when Shri Jai Narain Verma was suspended. No. honorarium HRA/TA was paid to him. No terms and conditions have been settled
3	Sh. Ram	1980-81	225/-	158.05	125.00	1	An

	Dhari Gaur, Chairman	25.7.80 to 31.7.80					honarium of Rs. 1000/- p.m.
--	----------------------------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------

		8/80	1000/-	700/-	275/-	2	The reimbursement of actual rent not exceeding Rs. 700/- p.m. for private accommodation hired by him.
		9/80	1000/-	700/-	1924/-	.	
		10/80	1000/-	700/-	262.50		
		11/80	1000/-	700/-	250/-		
		12/80	1000/-	700/-	850/-		
		1/81	1000/-	700/-	256.50		
		2/81	1000/-	700/-	250/-		
			7225/-	508.05	4199/-		

		3/81	1000/-	700/-	262.50	3	The rate of TA/DA will be the same applicable to grade. I officers of the State Govt. drawing Rs. 1600/- and above p.m. This was enhanced with effect from 11.1.82 as same as applicable to grade I officers of the State Govt. drawing Rs. 2000/- and above but less than Rs. 2400/-
		4/81	1000/-	700/-	250.00		
		3/81	1000/-	700/-	250.00		
		5/81	1000/-	700/-	275.00		
		6/81	1000/-	700/-	2807.00		
		7/81	1000/-	700/-	275.00		
		8/81	1000/-	700/-	250.00		
		9/81	1000/-	700/-	250.00		
		10/81	1000/-	700/-	250.00		
		11/81	1000/-	700/-	250.00		
		12/81	1000/-	700/-	250.00		
		1/82	1000/-	700/-	275.00		
		2/82	1000/-	700/-	250.00		
			12000/-	8400/-	5644.50		
There is no post of Managing Director in Kahdi & Village Industries Board, Haryana. The details of post of Chief Executive which if equivalent to that of the post of Managing Director are given as under :-							

4	Sh. S.L. Dhani IAS, Chief Executive	1980-81 28.7.80 to 31.7.80 8/80 9/80 10/80 11/80 12/80 1/81 2/81 3300/- 23456- 96	422.96 3278/- 3278/- 3278/- 3300/- 3300/- 3300/- 3300/- 4701.00 8199.50				As per annexure A
---	---	--	--	--	--	--	----------------------

		1981-82					
		3/81	3400/-		1116.5		
		4/81	3400/-		0		
		5/81	3400/-		1958.0		
		6/81	3400/-		0		
		7/81	3400/-		827.00		
			540/-		1700.0		
		8/81	3490/-		0		
		9/81	3490/-		2677.1		
		10/81	3490/-		8		
		11/81	3490/-		175.00		
		12/81	3490/-		280.00		
		1/82	3490/-				
		2/82	3490/-		63.00		
			41970/-				
					9363.6		
					8		
5.	Sh. Puran Mal Bhagwaria , Ex-	1980-81 6.3.80 to	629.00			1	An honorarium of Rs. 750/- p.m.

Member Secretary	31.3.80				Reimburseme nt of actual
	1.4.80				House rent
	TO				not exceeding
	16.4.80				Rs. 500/-
	&				TA/DA as
	29.4.80				applicable to
	TO				grade I
	30.4.80				officers of the
					State Govt.
	5/80				drawing Rs.
	6/80				1600/- and
		450/-			above P.M.
	7/80				
		750/-			
	8/80				
		750/-		136.95	
	9/80				
	750/-		828.05		
10/80					
	750/-				
11/80					
	750/-				
1.1283					
TO					
24/12/80					
	750/-				
	580.65				
		6909.65		965.00	

6	Sh. Anand Sharma, HCS Ex- Member Secretary	1980-80 8.1.81 to 31.1.81 2.81	1400.45 1809.00 3209.45			As per Annexure A-II
		1981-82 3/81 4/81 5/81 6/81 7/81 8/81	1921.25 1921.25 2163.30 1981.25 1981.25 1981.25 11949.55			
7	Sh. Ram Parkash Manaktala Ex- Member Secretary	1980-81 30.10.8 1 to 31.10.8 1 11/81 12/81	153.35 2377.00 2377.00			Yet to be issued

On leave with effect from 13-1-82							
		1/81	2560.85				
		2/81	2437.00				
			9905.20				
8	Sh. Maharaj Nath, Memer Secretary	1981-82 23.2.82 to 28.2.82	539.35				Yet to be issued

ANNEXURE A-I

Annexure to Haryana Govt. Order issued vide Endst. No. 11/59/50-S(II) dated 4-11-80 regarding terms and conditions of deputation of Sh. S.L. Dhani, IAS, Chief Executive, Haryana Khadi & Village Industries Board, Chandigarh.

1	Leaves	According to the All India Services (Leave) Rules, 1955 as Amendment from time to time.
2	Joining time/ Joining Time Pay	Both on transfer to and reversion from the post under the foreign service joining time pay is to be regulated under th Haryana Government Rules and is to be paid from the funds of the foreign employer.
3	Medial Concessions	As admissible under th All India Services (Medicial Attendance) Rules and is to be provided form the funds of the foreign employer
4	Disability	The payment of leave salary in resect of disability inucrrred in or even though such daiabilty manifesta after the tgermination of foreigni services is be paid from the funds of the foreign employer
5	Compenstory	Compensatory allowance if any for the perof of leave taken during or at the

	allowance	end of foreign service will be apayble from the funds of the foreign employer. He will draw city compensatory allowance in accodance with the instruction issued by Haryana Government from time to time
6	Travelling allowance	T.A. during foreign service will be admissible According to the rules of the State Government. The transfer T.A. if any for joining the new post and on reversion thereon therfrom would be payable from the funds of the foreign employer
7	Leave Travel Concessions	According to the All India Service (Leave Travel Concession) Rules, 1975. The expenditure will be borne by the foreign employer
8	Residential Accommodation/ House allowance	(i) If the officer occupies Government owned residence, he will be rquired to pay/rent thereof at the rate of 10% of his/her pay and the difference between this amount and the rent charged by the Government, for tthat house shall be paid by the foreign employer
		(ii) If the officer vacates Government residence and shifts to the house owned by him/her or he/she arranges private accommodation, he/she shall

		be allowed house rent allowance as admissible under the rules or instruction of the State Government.
		(iii) If the officer be occupying Govt. Allotted accommodation below the category to which he is entitled, he would pay standard rent or 10% of the emoluments whichever is lower and the difference between this amount and rent charged by the Government shall be paid by the foreign employer
10	Leave Salary and pension contributions	The contributions are to be remitted by means of demand draft drawn in favour of the Accountant General, Haryana Chandigarh at the State Bank of India, Chandigarh. In case of default the penal interest as laid down under Rules 10.12 of the Punjab Civil Services Rules Volume I, Part-I, will be recoverable from the foreign employer. These contributions are to be credited under the following Heads of Accounts.
	(i) Leave Salary	“065-Other Administrative Services-other Services-Other receipt-leave Salary contributions”.
	(ii) Pension contributions	“066- Contributions & recoveries towards pension and other retirement benefit (Provl.) Subscription &

		Contributions- Contributions of officers lent on foreign services”. Sd/- Superintendent Services-II, for Chief Secretary to Govt., Haryana.
--	--	--

ANNEXURE A-II

Annexure to Haryana Govt. Order issued vide Endst. No. S-1-1/3/81-S(I) Dated 13-3-81 regarding terms and conditions of deputation of Shri Anand Sharma HCS, Member Secretary, Haryana Khadi & Village Industries Board, Chandigarh.

1	Leaves	As admissible under the State Government Rules
2	Joining time/ Joining Time Pay	Both on transfer to and reversion from the post under the foreign service joining time pay is to be regulated under the Haryana Government Rules and is to be paid from the funds of the foreign employer.
3	Medical Concessions	As admissible under the State Government Rules and is to be provided from the funds of the foreign employer

4	Disability	The payment of leave salary in respect of disability incurred in or even though such disability manifests after the termination of foreign services is to be paid from the funds of the foreign employer
5	Extra ordinary Pension/ Gratuity	This will be regulated in accordance with the Ministry of Finance (Deptt. of expenditure) Memorandum No. F-19/(23) 3V(A)/64, dated the 2 nd August 1965, circulated vide Punjab Govt. Finance Deptt. No. 7645-7FR-1-65/18952, dated 2-11-1965.
6	Provident Fund Benefits	During the period of deputation the officer will continue to subscribe to the Provident Fund of Haryana Govt. to which he/she may be subscribing when placed on deputation in accordance with the rules of such fund.
7	Travelling allowance	T.A. during foreign service will be admissible according to the rules of the State Government. The transfer T.A. if any for joining the new post and on reversion thereon therefrom would be payable from the funds of the foreign employer
8	Leave Travel	According to the All India Service (Leave Travel Concession) Rules, 1975.

	Concessions	The expenditure will be borne by the foreign employer
9	Residential Accommodation/ House Rent allowance	(i) If the officer occupies Government owned residence, he will be required to pay/rent thereof at the rate of 10% of his/her pay and the difference between this amount and the rent charged by the Government, for that house shall be paid by the foreign employer
		(ii) If the officer vacates Government residence and shifts to the house owned by him/her or he/she arranges private accommodation, he/she shall be allowed house rent allowance as admissible under the rules or instruction of the State Government.
		(iii) If the officer be occupying Govt. Allotted accommodation below the category to which he is entitled, he would pay standard rent or 10% of the emoluments whichever is lower and the difference between this amount and rent charged by the Government shall be paid by the foreign employer
10	Leave Salary and pension contributions	The contributions are to be remitted by means of demand draft drawn in favour of the Accountant General, Haryana Chandigarh at the State Bank of India,

		Chandigarh. In case of default the penal interest as laid down under Rules 10.12 of the Punjab Civil Services Rules Volume I, Part-I, will be recoverable from the foreign employer. These contributions are to be credited under the following Heads of Accounts.
	(i) Leave Salary	“065-Other Administrative Services-other Services-Other receipt-leave Salary contributions”.
	(ii) Pension contributions	“066- Contributions & recoveries towards pensioni and other retirement benefit (Provl.) Subscription & Contributions- Contributions of officers lent on foreign services”. Sd/- Superintendent Services-II, for Chief Secretary to Govt., Haryana.

ANNEXURE - 'B'

**HARYANA KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD
CHANDIGARH**

Statement showing details of category wise number of employees recruitment on daily wages, adhoc basis and on regular basis during the year 1980-81 and 1981-82 (to-date)

Class	No. of employees	Daily wages	Adhoc basi	Regular basis
Class I				
Class II				
Class -III	4		2 (in leave arrangement)	2
Class -IV	7	7		

ANNEXURE 'C'

1980-81						1981-82 (upto 15 March)							
No. of applications received	Amount applied for		Amount disbursed			No. of applications received	Amount applied for		Amount disbursed			No. of Cases Pending at present 2026	No. of cases filed
	Grant Rs. lacs	Loan Rs. lacs	No. of Cases Financed	Grant Rs. lacs	Loan Rs. lacs		Grant Rs. lacs	Loan Rs. lacs	No. of Cases Financed	Grant Rs. lacs	Loan Rs. lacs		
3585	19.62	333.87	2803	14.43	160.34	3355	21.82	391.32	1906.	9.77	96.77		205

Appointment of Superintendents and Surpervisors by

School Education Board

656. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the ditails of procedure, if any adopted by the Board of School Education Haryana to appoint Superintendents and Supervisors for Matric and other Examinations under th control of the Board;

(b) whether any complaints were receviced against such appointments during the last three years; if so, the nature of complains and action taken thereon separetaly; and

(c) the number of cases of mal-practices indulged in by students and detected by the Superintendents and Supervisors as referred to in part (a) above during the last three years (to date) and details of the aciton taken threron in each case separetaly ?

Education Minister (Ch. Des Raj):

(a) The requisite information is as per Annexure 'A'

(b) Yes, as per Annexure 'B'

(c) The requisite information is as per Annexure 'C'

ANNEXURE 'A'

The following procedure is adopted by the Board's office to appoint Superintendents and Supervisors at

Examination Centres for Matric and other examinations conducted by the Board of School Education Haryana.

1. Prescribed forms meant for appointments of Superintendents and Supervisors are sent to all the Heads of the recognized educational institutions in the State so that those who are willing to accept such appointments and fulfil the requisite conditions may send them back duly filled in and completed in all respects to the Board's office in time. On receipt of the aforesaid forms, appointments of the Superintendents and Supervisors are made by the Board's office.

2. While making such appointments the Board's office normally takes the following factors into consideration :-

(a) For the Superintendents (Male) :-

(i) The concerned Principal/Headmaster/Block Education officer should have worked as Deputy Superintendents at least once and as Supervisors for a period of two or three years or as Deputy Superintendents at least twice or as Assistant Superintendents at least three or four times. This condition of course does not apply to those who have already worked as Superintendents of an examination centre.

(ii) Block Education Officer/Headmaster/Principals / Lecturers of Higher Secondary Schools with a teaching experience of about 15 years.

(iii) experienced Master with a minimum teaching experience at 15 years.

(iv) The applicant should be around 40 or more than 40 years of age. As the number of examination centres increased during the year 1981, the age was lowered to 35.

(b) For Superintendent (Female) :-

(i) The concerned Principal/Headmaster/Block Education officer should have worked as Deputy Superintendents at least once and as Supervisors for a period of two or three years or as Deputy Superintendents at least twice or as Assisland Superintendents at least three or four times. This conditions of course does not apply to those who have already worked as Superintendents of an examination centre.

(ii) Lady lecturers with a teaching experience of about ten years.

(iii) Lady mistress witha a teaching experience of about ten yeas.

(iv) The applicant should be around 35 years or more than 35 years of age.

Normally appointment are made on the basis of the aforesaid criterion but where the appointees of the Board do not report for duty to the concerned District Education Officer, substitutes have to be arranged in emergency and relaxations have to be given both in respect of age as well as experience so that no examination centre remains unmanned.

(c) Four Supervisors :-

(i) The Teachers/Masters and Mistresses of recognized schools having 25 or above 25 years of age are appointed.

Normally appointments are made on the basis of the aforesaid criterion but where the appointees of the Board do not report for duty to the centres Superintendents substitutes have to be arranged in emergency and relaxations have to be given in respect of age.

Nature of Complaints :

1. Centre Superintendents/Supervisors with less experience under age, disqualified and debarred by the Board have been appointed.

2. Centre Superintendents/Supervisors with more age and more experience have been appointed at single Examination Centres instead of double Examination Centres, against rules.

3. Centre Superintendents/Supervisors appointed indulged in mal practices, encourage copying and unfair means at the centres and alleged to have accepted bribe for the same.

4. Centre Superintendents/Supervisors appointed have vested interest at examination centres and also their relatives are appearing at the same examination centres by suppressing information, against rules.

ANNEXURE -B

Complaints received		Action taken			
Designation	Year Number	Cases filed	Cases filed	Removed from duty/ disqualified	disqualified and remuneration forfeited
SUPERVISORS	1979	9	7	1	1
	1980	19	16	2	1
	1981	18	14	4	
SUPERINTENDENTS	1979	8	7	1	
	1980	17	16	1	
	1981	10	9	1	

ANNEXURE 'C'

Cases of Mal-practices indulged in by students and detected by the Superintendents and Supervisors and action taken thereon:-

Year	Name of the Exam.	Action taken			Remarks
		No. of Studens involved	Sisqualified	Discharged on the basis of benefit of doubt	
1979	Middle	714	442	272	
	Matric	1371	965	406	
	Higher Secondary	113	76	37	
1980	Middle	73	57	16	
	Matric	484	375	109	
	Higher Secondary	11	10	1	
1981	Middle	123	101	17	Five case are pending in the
	Matric				
	Higher				

	Secondary	567	476	82	Court.
		29	27	2	Nine case are pending in the Court.
1982	Middle	90	Information about exam. after 16.3.82 are yet to be recieved. Action in respect of the cases for the examination being currently held be initiated after the examinations are over.		
	Matric	285			
	Higher Secondary	16			

It may be mentioned that where students have been disqualified on account of use of unfari means in the above mentioned examinations the punishment awarded has varied from cancellation of concerned answer book to disqualified upto a period of three years.

Making the education system in the State as Job Oriented

657. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Education be pleased to state- whether any scheme for making the present education system as job oriented is under consideration of the Government; if so, the details thereof and the time likely to take for its change over?

Education Minister (Ch. Des Raj): Yes. The State Government is actively considering to adopt 10+2+3 system of education which has a strong emphasis on vocationalisation of education. For this end in view some job oriented courses such as Banking & Accountancy, Stenography, Marketing, Electrical repairs, Automobile servicing, Repairs of tractors and Agricultural implements, Textile Leather technology etc. have been identified as a result of surveys of all the District in the State. No final time table for the change-over has yet been drawn.

Labour Inspectors and Shop Inspectors

658. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Excise Taxation Minister be pleased to state-

(a) whether posts of Labour Inspectors and Shop Inspectors have been bifurcated recently by the State Government; if so, the details thereof together with the date of bifurcation separately;

(b) if reply to part (a) be in the negative whether there is any proposal under consideration of the Government to bifurcate the afore-said post; and

(c) if so, the time by which the afore-said proposal is likely to materialize ?

Excise Taxation Minister (Ch. Mehar Singh Rathe):

(a) No.

(b) There is no such proposal under consideration of the Government at present. However the Govt. have sanctioned separately; 25 post of Shops Inspectors vide No. 2(37)-79-1 Lab. dated 17-3-1982 with effect from 1-4-1982.

(c) In view of (b) above, question does not arise.

Educated Unemployed persons in the State

695. Sh. Mool Chand Jain: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state-

(a) the number of Middle, High, Higher Secondary, Graduates, Post Graduates, and I.T.I. trained unemployed persons registered with the Employment Exchange in the State as on 31.3.1979, 31.3.1980, 31.3.1981 and to date;

(b) the number of unemployment J.B.T.s., PTIs and DPEs as on dated mentioned in part (a) above; and

(c) whether there is any proposal under the consideration of the Government to give unemployment allowance to the persons referred to in part (a) & (b) above till such time they get some employment; is so the details thereof ?

Excise Taxation Minister (Ch. Mehar Singh Rathe):

(a) The number of unemployed persons registered with the Employment Exchange in the State is given below:

Sr. No.	Level of Education	No. of persons awaiting employment assistance as on		
		31-12-79	31-12-80	31-12-81
1	Middle	41337	44791	47442
2	High School	63698	67649	73078
3	Higher Secondary	7593	8016	7905
4	Graduates (Arts, Science & Commerce)	16048	18438	17643
5	Post-Graduated (Arts, Science & Commerce)	2633	2759	2701
6	I.T.I. trained	10912	12498	12511
(b)	i) J.B.T.	6328	7551	6300
	ii) P.T.I.	1484	1653	1441

	iii) D.P.E.	455	417	713
--	-------------	-----	-----	-----

Such figures are compiled on yearly basis only.

(c) The State Govt. has no proposal or scheme under consideration for grant of unemployment allowance to the unemployed persons. However recently it has been decided to introduce a scheme for payment of unemployment allowance to the unemployed educated Blind, Dead, and Orthopaedically Handicapped persons registered with Employment Exchange in the State by the State Social Welfare Department. The rates of unemployment allowance are Rs. 50/- for Matriculates, Rs. 100/- for Graduated/Diploma Holders andRS. 150/- for Post Graduates per month.

Deetails of assests and Habilities of the Ministers

669. Sh. Mool Chand Jain: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether the persent members of the Council of Ministers have submitted details of their assets and liabilities, their business inteests and that of the members of their families after their assuming office;

(b) if so, a copyy of the details of the particulars referred to in part (a) above be laid on the Table of the House, and

(c)if reply to part (a) above be in negative whether it is a fact that the ministers concered were reminded to submit the details as referred to in part (a) abvoe but they ingnored the reminders; if so, the action, if any, taken against them ?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal) :

(a) & (b) The requisite information has not been received from all the members of the Council of Ministers, so far.

(c) The matter is still being pursued and therefore, the question of any action does not arise at this stage.

Site Plans of Panchayat Lands inside and outside the Abadi Deh

697. Sh. Mool Chand Jain: Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that vacant sites in and outside abadi deh are being illegally occupied by influential persons in villages in the State; if so the action if any, taken or proposal to be taken to stop this illegal occupation

(b) whether it is also a fact that instructions were issued to the Block Development and Panchayats Offices in the State, in the year 1977 to prepare site plans of Panchayat lands inside and outside the abadi deh of each village; if so a copy of the instruction be laid on the Table of the House.

(c) whether it is a fact that the instructions mentioned in part (b) above were subsequently cancelled in the year 1980; if so, the reasons thereof; and

(d) whether any fresh instructions have been issued on the subject and site plans have been prepared Accordingly, if not the reasons therefore, and the time by which the site plans are expected to be prepared ?

Development Minister (Rao Dilip Singh):

(a) Gram Panchayats as custodians of shamlat lands are expected to look after vacant sites in and outside abadi deh and in the event of unauthorised or illegal occupation of such sites the legal action can be initiated under section 7 of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act 1961. While stray cases of illegal occupation of such lands keep occurring and competent authorities resort to legal action there is no specific information with the Government indicating any large scale occupation of such sites by influential persons in the village

(b) Yes. A copy of the instructions issued in the year 1977 is enclosed.

(c) Yes. After legal scrutiny was observed that such site plans do not have legal sanction. Accordingly the Punjab Gram Panchayat Act was amended and specific provisions for preparation of map of awbaid deh were incorporated and there after revised instructions for preparation of maps of abadi deh were issued on 9.12.81.

(d) The comprehensive procedure laid down for preparation of map of abadi deh is time consuming as it affords equitable opportunity to all concerned. While all out efforts are being made to get this work expedited, it is still likely to take quite some time before this work is completed all over the State.

प्रेषक

सचिव, हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग।

सेवा में

समस्त खण्ड विकास तथा पंचायत
अधिकारी,

(हरियाणा राज्य में)

क्रमांक एस-1 डी:पी:-77/7172-258 दिनांक 9.2.77

विशय : आबादी के अंदर तथा बाहर पंचायत भूमि के नक्शे तैयार करने के बारे में।

प्रायः यह देखा गया है कि गांव में आबादी देह तथा बाहर की भूमि के नक्शे तैयार करने के कारण भ्रामलात भूमि पर लोगों ने कब्जा करके मकानात बाडाजात आदि बना लिए हैं। जिससे कई स्थानों पर यातायात में असुविधा महसूस की जा रही है। पंचायतों की भूमि के नक्शे तैयार करने के बारे में पहले ही सरकार के अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक 38997-39083 दिनांक 30.9.75 द्वारा हिदायतें जारी की हैं। नक्शे तैयार करने की अदायगी के बारे में सरकार ने निम्न प्रकार की प्रणाली बनाई है :-

1. जिस गांव में 500 तक घर हैं उसमें नक 1 2/-
रूपया प्रति घर के हिसाब से बनवाया जाए।

2. जिस गांव में 500-1000 तक घर हों वहां नक 1 1.50
रूपये प्रति घर के हिसाब से बनवाया जाए।

3. जिस गांव में 1000-2000 तक घर हों तो वहां
नक 1 1/- रूपया प्रति घर के हिसाब से बनाया जाए।

4. जिस गांव में 2000 से ऊपर घर हों तो वहां नक 1 1/-
रूपया प्रति घर के हिसाब से बनाया जाए।

जो नक 1 1 तैयार करेगा वह फील्ड बुक भी तैयार
करेगा और इसकी फीस रेट में ही भामिल है। अलहदा कुछ नहीं
देना है।

घर का मतलब है, जिस घर का दरवाजा गली या
सडक में खुलता हो घर के अंदर चाहे कितने ही घर क्यों न हों
वह एक ही घर माना जाएगा।

गांव में जो स्थान खाली पडा है वह भी नक 1 1 में
दिखाया जाए और उसकी पैमाई 1 भी की जाए।

हस्ता/-

उप निदे 1क पंचायत,

सरकार,

कृते: सचिव, हरियाणा

विभाग।

विकास तथा पंचायत

पृष्ठांकन क्रमांक एस-1-डी:पी:- 77 / 7259-98

दिनांक 9.2.77

इसकी एक प्रति सूचनार्थ तथा आवेक कार्यवाही हेतु निम्न को भेजी जाती है :-

1. समस्त उपायुक्त हरियाणा राज्य में।
2. समस्त उप मण्डल अधिकारी (ना:) हरियाणा राज्य में।
3. समस्त अतिरिक्त सामान्य सहायक हरियाणा राज्य में।

हस्ता / -

उप निदेशक पंचायत,

कृते: सचिव, हरियाणा

सरकार,

विभाग ।

Dead/Damaged Electric Meters

704. Sh. Mool Chand Jain: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state-

(a) the yearwise, circle wise and category wise

(b) whether there has been any delay in detecting the cases, referred to in part (a) above; if so, the action if any, taken against the persons held responsible for the daley ?

Irrigation & Power Minister (Sardar Tara Singh):

(a) The yearwise, circlewise and categorywise number of cases of the electric meters that remianed ded stopped/damaged for over one month, during the period from 1.7.79 to 28.2.82 in the State are as under :-

Name of Circle	General	Industrial	Agricultural
From 1.7.79 to 31.3.80			
Karnal	3824	804	2290
Ambala	3039	784	1177
Rohtak	2943	612	1026

Delhi	855	225	864
Faridabad	2043	450	630
Hissar	2070	342	981
From 1.4.80 to 31.3.81			
Karnal	5564	974	2884
Ambala	3462	768	1154
Rohtak	3924	816	1368
Delhi	1140	300	1152
Faridabad	2724	600	840
Hissar	2760	456	1208
From 1.4.81 to 28.2.82			
Karnal	5428	628	2359
Ambala	3561	759	1115
Rohtak	3597	748	1254
Delhi	1045	275	1056
Faridabad	2497	550	770
Hissar	2530	418	1199

(b) The meters which get damaged/ded stop are normally detected during the course of meter reading by meter readers, or during the inspection visits of premises by technical staff.

Where the detection of damaged/ded stop meter does not take place within a month, it is generally due to one of the following reasons;

1. The premises are found locked and the meter reader or other checking staff is not in a position to inspect the meter.

2. The premises are not accessible because of floods etc. or similar abnormal conditions barring access.

3. In some cases the disc of the meter continues to rotate but the counter does not record. Such cases cannot be usually detected by meter readers during their monthly visit and come to notice only on a subsequent visit i.e. detection is after one month's period.

Though sometimes it is beyond the Board officials to detect the defect in meters within one month because of above reasons but in cases of proven persistent default action has been taken against the defaulters.

Commercial wing of the Board's operation organisation has been streamlined and periodic inspection of supervisory officers have now been focussing special attention on this question with better realization. Similarly M & P organisation has been activated to organise more thorough simple checks especially of major consumers.

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

चौधरी जय नारायण सिंह: स्पीकर साहब, मेरी यह सबमिशन कि यहां पर सरकार कह रही है तमाम हरिजनों की बस्तियों के अंदर बिजली पहुंचा दी गई है। लेकिन मैं आप की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर हरिजन बस्तियों के अंदर बिजली नहीं पहुंची है।

श्री अध्यक्ष: इस बारे में आपको लिख कर देना चाहिए।

चौधरी जय नारायण: श्री हरस्वरूप बूरा जी को कांस्टीच्युऐंसीज के अंदर भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर हरिजन बस्तियों के अंदर बिजली नहीं पहुंची है। (गोर)

चौधरी अजीत सिंह: स्पीकर साहब, आज हरियाणा के अंदर 90 से ज्यादा स्कूल और कालेज ऐसे हैं जहां पर अध्यापकों को पूरी पे नहीं मिलती है। सरकार इन स्कूलों और कालेजों को 95 प्रतिशत तक ग्रांट भी दे रही है लेकिन उन स्कूलों के अधिकारी अध्यापकों को पूरी पे नहीं दे रहे। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर 20-20 महीनों से आज तक उनको पे नहीं मिली है। स्पीकर साहब, मेरे रिकवैस्ट है कि ऐसे टीचरों को पे मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: इस काम में मैनेजमेंट का भी तो कोई फर्ज होता है उसको भी तो कोई जिम्मेवारी होती है। आज गवर्नमेंट इन स्कूलों और कालेजों को 95 प्रति सैत ग्रांट दे रही है। जिस समय में शिक्षा मंत्री था उस समय प्राइवेट स्कूलों और कालेजों को सिर्फ 40 प्रति सैत ही ग्रांट मिलती थी। अब गवर्नमेंट ने उनके घाटे को 95 प्रति सैत मेकअप किया है। (गोर)

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, कल हमने एक विशय पर वाक आउट किया था। आज आपने अपने अन्दाज में फरमाया कि हम क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जो बात आप कहते हैं वह सच्व कहते हैं। वह कई बार हमें अच्छी लगती भी नहीं लगती। स्पीकर साहब, कल हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति री ए०एस०बैन की अदालत में एक मामला आया है। स्पीकर साहब, कुरुक्षेत्र में एक श्री सतपाल भट्टे वाले के यहां पर 10 मजदूर बंधक पाए गए हैं। एक पैंटी गनर ने एप्लीके गन दी थी कि वहां पर 10 मजदूर बंधी बना रखे हैं। वहां पर वारंट आफिसर गया और उसने 10 बंधुआ मजदूरों को मौके पर पकडा है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: यह आपने अपने प्रिविलेज मो गन में भी दिया है। (गोर)

डा० मंगल सैन: चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा हे कि यहां पर कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। इन्होंने सदन के अंदर रौंग

स्टेटमेंट दी है। इन्होंने इनकी हाउस के अंदर ऐसी गलत बात नहीं कहनी चाहिए थी। (गोर)

Mr. Speaker: I have received notice of a privilege Motion from Dr. Mangal Sein and Swami Aganivesh. It has not been put up to me. As soon as it comes to me I will give my decision on it.

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, इनकी एक पार्टी के युवा कांग्रेस के एक लडके ने अखबार में लिखा है

श्री अध्यक्ष: पार्टी वाली कोई बात रिकार्ड न की जाये।

चौधरी उदय सिंह दलाल: ठीक है जी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक लडके ने अखबार में छपा है कि एक ट्रक में किसी ने 500 तारकोल के ड्रम झंझर से फरीदाबाद की किसी कम्पनी को बेच दिए हैं। यह अखबार में छपा है। चाहिए तो यह था कि जिस आदमी ने गलती की है, उस पर मुकद्दमा चलाते। इन्होंने उल्टा किया। उस लडके के घर पर बदमाश भेजे गए और उसको मारा पीटा गया। उसको आज भी परे गान किया जा रहा है ? इनकी तरफ से कार्य कार्यवाही नहीं हो रही। (गोर)

श्री अध्यक्ष: क्या आपने लिखकर दिया है ?

चौधरी उदय सिंह दलाल: मेरे को अभी तार मिला है। मैं लिखकर भी आपको दे रहा हूँ। स्पीकर साहब, इसकी इंकवायरी होनी चाहिए। मैं वहाँ का नुमायन्दा हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि यदि किसी को बिना वजह परे गान किया जाए तो उसको परे गान न होने दिया जाये।

श्री लहरी सिंह मेहरा: स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो बात दलाल जी ने कही है कि एक ट्रक के अंदर 500 ड्रम भेजे गए हैं। इस संबंध में मेरा कहना है कि एक ट्रक के अंदर तो 500 ड्रम जा ही नहीं सकते। एक ट्रक में 50 ड्रम ही जा सकते हैं।

चौधरी उदय सिंह दलाल: यह अखबार में छपा है।
(गोर)

कामरेड भांकर लाल: स्पीकर साहब, मेरे पास एक टेलीग्राम बाया है सिरसा जिले के अंदर (गोर)

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, ट्रक के अंदर 500 ड्रम्ज जा ही नहीं सकते। एक ट्रक के अंदर तो 50 ड्रम ही जा सकते हैं।

चौधरी उदय सिंह दलाल: यह अखबार में छपा है। हो सकता है कि 50-50 करके कई चक्र लगाए हों। लेकिन इतना जरूर है कि 500 ड्रम एक व्यक्ति ने बेचे हैं (गोर) ये अखबार में है। यह अखबार झज्जर से निकलता है।

सिंचाई तथा बिजली राज्य मंत्री (श्री देवेन्द्र भार्मा):
अखबार में तो यह भी छपा था कि (गोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: जेल में तो
.....

श्री अध्यक्ष: अखबार वाली बात और जेल वाली बात रिकार्ड न की जाये।

कामरेड भांकर लाल: स्पीकर साहब, मेरे पास सिरसा जिले में एक टेलीग्राम आया है वहां पर पटवारियों द्वारा किसानों की ठीक प्रकार से गिरदावारी नहीं की जा रही। वे रि वत लेकर गिरदावरी कर रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है। (गोर) जहां पर अभी हाल में ओलावृष्टि हुई है। वहां पर गिरदावरी नहीं की जा रही स्पीकर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि क्या डी०सी० और सी०एम० साहब, सारे जिले की स्पे ाल गिरदावरी करने का आदे ा देंगे। (गोर)

श्री अध्यक्ष: आप मिनिस्टर साहब को और मुख्य मंत्री को लिख कर दे दें। (व्यवधान)

चौधरी हुकम सिंह: भिवानी जिले में अभी ओलावृष्टि से चने की फसल 100 प्रति ात नष्ट हो गई है सी०एम० साहब, ने कहा था कि जिन फसलों में पानी लगता था उनका आबयाना माफ कर देंगे। लेकिन जो फसलें बैरानी हैं और ज्यादा बारि ा या

सर्दी से 100 प्रति ात खराब हो गई हैं क्या उन फसलों पर मुआवजा देंगे ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, सी0एम0 साहब, ने हेल्ज स्टोरम के विशय में आयी काल अटैन् इन मो इन का जवाब दयिा कि जहां भी गिरदावरी होगी वहां मौके पर नम्बरदार और सरपंच हाजिर होंगे। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट बाद भिवानी जिले में ओलावृशिट हुई है जिसके कारण काफी फसलें नश्ट हो गई हैं। मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि पटवारी और सरकारी अफसरों का रवैया बदला नहीं है। क्या सरकार इस बात को जेरेगोर रखेगी कि जो भी गिरदावरी हो यह ठीक हो।

श्री अध्यक्ष: रेवेन्यू मिनिस्टर साहब तहसीलदारों और डिप्टी कमिनिानर्ज हो हिदायत दे दें कि वह गिरदावरी ठीक करें।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: अभी चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट कसे बाद 4-5 दिन पहले ओलावृशिट हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भीत लहर से चने की फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी स्पे ाल गिरदावरी के आर्डर किए हैं। क्या मालगुजारी और आबियाना माफ किए जाने के भी आर्डर करेंगे क्योंकि भीत लहर से हुए नुकसान के दो तीन दिन बाद ही ओलावृशिट हुई है। सी0एम0 साहब, की स्टेटमेंट के

बाद और स्पे ल गिरदावरी के आर्डर करने के बाद जहां ओलावृष्टि हुई क्या उन्हें भी मुआवजा मिलेगा ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह बात कई दफा सदन में आई है। बार बाद सदन को वि वास दिया है कि जहां भी ओले पड़े हैं वहां स्पे ल गिरदावरी के आर्डर दिए हैं। जितनी हमदर्दी किसानों के साथ यह सरकार कर रही है आज तक किसी भी सरकार ने नहीं की होगी। खालों और माइनर्ज को पक्का करके सरकार ने किसानों के साथ पूरी हमदर्दी बरती है। जहां भी ओलावृष्टि हुई वहां स्पे ल गिरदावरी के आर्डर कर दिए हैं। आज तीन बाते इसी पर्पज के लिए डिप्टी कमि अनर्ज की मीटिंग बुला रखी हैं ताकि किसी इलाके में किसानों के साथ ज्यादाती न हो पाये। जहां किसानों का नुक्सान हुआ है वहां पूरा मुआवजा देने की कोशिश करेंगे।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, ओलावृष्टि और भीत लहर के बारे में जिक्र आया। मैं खास तौर से एक बात की चर्चा करना चाहता हूं और मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि दिल्ली ब्रांच और जवाहर लाल नेहरू कैनल के साथ साथ सीपेज हो गई है। उन खेतों का पानी निकलता नहीं है। इन नहरों के साथ साथ के रकबे में कई कई किल्ल में एक डेढ फुट तक पानी खडा है। सीपेज के कारण या नहरों डी सिल्टिंग न होने के कारण बहुत से किसानों की फसल मारी गई है। क्या सरकार उन्हें भी मुआवजा देगी ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जहां सीपेज से किसानों की नुकसान होता है वहां माइनर्ज को पक्का किया जा रहा है ताकि किसानों के खेतों में पानी न खडा हो सके। जिन खेतों में सीपेज हुई है उसका हम मुआवजा नहीं दे पायेंगे। सीपेज से सरसों या दूसरी फसलों को नुकसान हुआ है उनका सारा आबयाना और मालिया माफ करेंगे।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि अगर असैम्बली में हम कोई बात रखते हैं तो क्या हाउस के बाहर कोई आदमी अखबार में ब्यान देकर मैम्बरों को थ्रैट दे सकता है ? इस बारे में मैंने एक प्रिविलेज मोशन दी थी कि दया रावत ने चार मैम्बरों के बारे में ब्यान दिया था। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आपको भेज दिया है।

श्री भले राम: हमारे नोटिस में आया है कि जहां बरसात या ओलावृष्टि ज्यादा हुई है वहां मकानों की छतें गिर गई हैं। क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है। उन्हें भी मुआवजा दिया जायेगा ?

ध्यानाकर्षण सूचना—

राज्य में बंधुआ मजदूरों संबंधी

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज, मुझे स्वामी अग्निवे 1, एम0एल0ए0 की ओर से हरियाणा की गरीब तथा भोशित जनता की अत्यन्त भावनीय परिस्थिति के बारे में एक काल अटैन् इन मो इन का नोटिस प्राप्त हुआ है। मैं इसे मंजूर करता हूँ आनरेबल मैम्बर साहब कृपया अपना नोटिस हाउस के सामने पढ दें। उसके बाद मंत्री महोदय अपना जवाब अगर आज देना चाहें तो दे दें या टाईम मांग लें।

स्वामी अग्निवे 1: इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं सदन का ध्यान हरियाणा की गरीब तथा भोशित जनता को अत्यंत परिस्थिति की तरफ दिलाना चाहता हूँ।

हरियाणा के पत्थर खानों, ईट के भटठों तथा सडक, नहर आदि के निर्माण में कार्यरत लाखों मजदूरों का बडा निर्मम भोशण हो रहा है और उनमें हजारों मजदूरों को बंधुआ बनाकर उन पर अमानवीय अत्याचार ढाये जा रहे हैं। पिछले साल मार्च 1981 में मेरे एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री, श्री भजन लाल ने यह दावा किया था कि हरियाणा में एक भी बंधुआ मजदूर नहीं है। परन्तु उसके बाद उन्होंने सैंकडों बंधुआ मजदूरों को मुक्त किया और हरियाणा तथा पंजाब उच्च न्यायाल के आदे गों से भी बंधुआ मजदूरी की प्रथा के होने की पुश्ति हुई अभी उच्चतम न्यायालय के 5 मार्च 1982 के आदेस से करनाल, कुरुक्षेत्र के ईट भटठों से तथा फरीदाबाद जिले के पत्थर खानों से सैंकडों बंधुआ मजदूर मुक्त हुए। यह तथ्य हरियाणा

सरकार के दावे का झुठलाता है और हरियाणा में मजदूरों के भयंकर भोशण को उजागर करता है।

हरियाणा में प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। गरीब मजदूरों को भयंकर सर्दी में बिना आवास तथा बिना वस्त्रों के ठिठुरना पड रहा है तथा पेयजल की सुविधा न होने से उन्हें गंदा प्रदूषित जल पीना पड रहा है।

विशेषकर खान मजदूरों को तथा अन्य मजदूरों को साचमान्यतया ठेकेदारों तथा मालिकों के अवैधानिक हथकण्डों का शिकार होना पड रहा है। इन मजदूरों को पढाई और दवाई की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। दुर्घटनाओं से अंगहीन होने पर उन्हें कहीं कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। स्टोन क्रैशर की भयंकर धूल से हजारों मजदूरों को लंग कैंसर तथा टी0बी0 का शिकार होकर असमय में मृत्यु का ग्रास बनना पड रहा है। हरियाणा में मार्च के मध्य तक न्यूनतम वेतन का निर्धारण न हो पाना और पिछले वर्ष के निश्चित वेतन का मूल्य सूचकांक से संबंधित न किया जाना लाखों मजदूरों की जिन्दगी से खिलवाड है। इन प्रवासी मजदूरों के राशन कार्ड बनाने की और इनको डिस्प्लेसमेंट अलाउंस दिलाने के कोई व्यवस्था नहीं है।

अतः इस सार्वजनिक महत्व के पत्र के द्वारा वह इस बीस सूत्री कार्यक्रम का दम भरने वाली हरियाणा सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि वह मजदूरों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करें और

साफ साफ यह बताये कि क्या यहां मिनिमम बेजिज एक्ट, इंटर स्टेट मागग्रेट, वर्कमेंस एक्ट, कांट्रक्ट लेबर एक्ट, इक्वल वेजिज एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट तथा वर्कमेंज कमेप्नसे इन एक्ट का ईमानदारी से पूरी तरह पालन हो रहा है।

इसके साथ ही यह भी बताएं कि फरीदाबाद के थामसन प्रैस तथा एल्सन काटन मिल से अवैधानिक तरीके से निकाले गए मजदूरों का दुकारा बहान कराने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं (इस समरु श्री उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): डिप्टी स्पीकर साहब, कल हम इसका जवाब दें देंगे। जवाब तो हम आज भी दे देते लेकिन इन्होंने फरीदाबाद की कुछ फैक्ट्रीज का जिक्र कर दिया, इसलिये हम कल जवाब देंगे।

श्री मूल चन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे दो काल अटैन् इन मो इन्ज थे जो कि सरकुलेट हुए हैं। ऐसा मालूम होता है कि वे एडमिट तो हो गए हैं मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि उनकी क्या स्थिति है।

श्री अध्यक्ष: बाबू जी आज तो एक ही आ सकता था। आपका कल आ जायेगा।

चौधरी अजीत सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने भी बॉडिड लेबर के बारे में एक काल अटैन् इन मो इन दिया था। उसको तो रिजैक्ट कर दिया गया है।

क्या उस पर दोबारा गौर करके, मुख्य मंत्री महोदय स्टेटमेंट देंगे ? (व्यवधान व भाोर)

श्री उपाध्यक्ष: कल जवाब आ जायेगा ।

समितियों की रिपोर्ट पे ा करना

(1) पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 18वीं रिपोर्ट

श्री उपाध्यक्ष: अब पब्लिक अकाउंटस कमेटी के चेयरमैन साहब, राम नारायण जी वश 1981-82 के लिए कमेटी की 18वीं रिपोर्ट पे ा करेंगे।

Rao Ram Narain (Chairman, Public Accounts Committee): Deputy Speaker Sahib, I beg to present a typed copy of the 18th Report of the Public Accounts Committee for the year 1981-82 on Finance Accounts/Appropriation Accounts of the Haryana Government for the year 1978-79 and the Report of the Comptroller & Auditor General of India for the year 1976-77 (Civil and Revenue Receipts)

श्री उपाध्यक्ष: अब एस्टीमैटस कमेटी के चेयरमैन साहब, चौधरी बीरेन्द्र सिंह कमेटी की वर्ष 1981-82 के लिए 14वीं रिपोर्ट पे ा करेंगे।

Ch. Birinder Singh: (Chairman, Estimated Committee): Deputy Speaker Sahib, I beg to present a typed copy of the Fourteenth Report of the Committee on Estimates for the year 1981-82 in respect of the budget estimates of the Sports and Agriculture Department Haryana for the year 1981-82.

(3) पब्लिक अन्डरटेकिंगज कमेटी की पांचवी रिपोर्ट

श्री उपाध्यक्ष: अब पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी के चेयरमैन साहब, श्री सुमेर चन्द भट्ट वर्ष 1981-82 के लिए कमेटी की पांचवी रिपोर्ट पे आ करेंगे।

Sh. Sumer Chand Bhatt (Chairman, Committee on Public Undertakings) : Deputy Speaker Sahib, I beg to present the Fifth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1981-82 on the report of Comptroller and Auditor General of India for the years 1974-75 to 1978-79.

(4) कमेटी आन सबोर्डिनेट लैजिसले ान की तेरहवीं रिपोर्ट

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण अब कमेटी आन सबोर्डिनेट लेजिस्ले ान के चेयरमैन साहब, चौधरी सुरेन्द्र सिंह कमेटी की वर्ष 1981-82 के लिए 13वीं रिपोर्ट पे आ करेंगे।

एक आवाज: वह तो हाउस में नहीं हैं।

कुछ आवाजें: कमेटी का कोई सदस्य रिपोर्ट पे आ कर सकता है।

Ch. Rajinder Singh (Member ofv the Committee on Subordinate Legislation): Deputy Speaker Sahib, I beg to present the Thirteenth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1981-82.

(5) कमेटी आन गवर्नमेंट अ योरेंसिज की तेरहवीं रिपोर्ट

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अब कमेटी आन गवर्नमेंट अ योरेंसिज के चेयरमैन साहब, श्री फतेह चन्द विज वश 1981-82 के लिए कमेटी की 13वीं रिपोर्ट पे पढ़ा करेंगे।

श्री फतेह चन्द विज (चेयरमैन साहब, कमेटी आन गवर्नमेंट अ योरेंसिज): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं वर्ष 1981-82 के लिए सरकारी आवासनों के बारे में समिति की 13वीं रिपोर्ट की एक टाईम की हुई प्रति पे पढ़ा करता हूँ।

(5) कमेटी आन वैल्फेयर आप रिडयूल्ड कास्टस एण्ड रिडयूल्ड ट्राइब्ज की सातवीं रिपोर्ट

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अब कमेटी आन वैल्फेयर आप रिडयूल्ड कास्टस एण्ड रिडयूल्ड ट्राइब्ज के चेयरमैन साहब, कैप्टन मांगे राम कमेटी की वर्ष 1981-82 की 7वीं रिपोर्ट पे पढ़ा करेंगे।

Capt. Mange Ram (Chairman Committee on the Welfare of Scheduled Casts and Scheduled Tribes): Deputy Speaker Sahib, I beg to present the Seventh Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Casts and Scheduled Tribes for the year 1981-82 in respect of the Public Works (B&R) and Welfare of Scheduled Casts and Backward Classes Departments.

स्वामी अग्निवे T: डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बडे ही दुःख के साथ यह कहना पड रहा है कि जो रिपोर्टस पे T की गयी हैं और जिसकी कापियां हमें मिली हैं। वह अंग्रेजी में हमें मिली हैं। इसका हिन्दी अनुवाद हमें नहीं मिला हैं इसका अगर हिन्दी अनुवाद भी मैल जाये तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: हिन्दी अनुवाद भी आपको भिजवा दिया जायेगा।

स्वामी अग्निवे T: कब तक।

श्री उपाध्यक्ष: आज या कल तक।

चौधरी संत कंवर: डिप्टी स्पीकर साहब, पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी के चेयरमैन साहब, ने जो रिपोर्ट पे T की है वह केवल औडिट अकाउन्टस के बारे में की है। लेकिन यह माना गया था कि वह एग्री इंडस्ट्रीज कार्पोरे Tन की और औडिट एकाउन्टस की रिपोर्ट इकट्ठी ही पे T करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप इस बारे में मुझे लिखकर दे दीजिये। मैं एग्जामिन कर लूंगा। (व्यवधान व भाोर) आज साढे ग्यारह बजे बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है उसमें वह मामला भी तय हो जायेगां

वर्ष 1982-83 के बजट की डिमान्डज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा
मतदान

श्री उपाध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब वर्ष 1982-83 के बजट की डिमान्डज फार ग्रांटस पर विचार होगा। पहली प्रैक्टिस के अनुसार और हाउस का समय बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गयी। सभी डिमान्डज फार ग्रांटस एक साथ पढी और पेपर की गयी समझी जायेगी। आनरेबल मैम्बर किसी भी डिमांड पर डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन बोलते समय कृपया डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं। एक बजे गिलोटीन एप्लाइ होगा।

That a sum not exceeding Rs. 221956000 for Revenue expenditure and Rs. 23844400 for capital expenditure be granted to the Governoer to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of charges under **Demand No. 8- Buildings and Roads.**

That a sum not exceeding Rs. 514227780 for Revenue expenditure to the Governoer to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of charges under **Demand No. 10- Medical and Public Health.**

That a sum not exceeding Rs. 44568555 for Revenue expenditure to the Governoer to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of charges under **Demand No. 12-Labour and Employment.**

That a sum not exceeding Rs. 16251470 for Revenue expenditure and Rs. 1095243970 for capital expenditure be granted to the Governoer to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of charges under **Demand No. 14- Food and Supplies.**

That a sum not exceeding Rs. 49284165 for Revenue expenditure and Rs. 27605600 for capital expenditure be granted to the Governoer to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of charges under **Demand No. 16- Industries.**

That a sum not exceeding Rs. 630628855 for Revenue expenditure and Rs. 103750000 for capital expenditure be granted to the Governoer to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of charges under **Demand No. 23- Transport.**

That a sum not exceeding Rs. 6622035 for Revenue expenditure to the Governoer to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of charges under **Demand No. 1- Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding Rs. 92959280 for Revenue expenditure to the Governoer to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of charges under **Demand No. 6- Finance.**

That a sum not exceeding Rs. 124989010 for Revenue expenditure and Rs. 3600000 for capital expenditure be granted to the Governoer to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of charges under **Demand No. 7-Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding Rs. 854572470 for Revenue expenditure to the Governoeer to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of charges under **Demand No. 9- Education.**

That a sum not exceeding Rs. 20448875 for Revenue expenditure and Rs. 3000000 for capital expenditure be granted to the Governoeer to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of charges under **Demand No. 2- Urband Development.**

That a sum not exceeding Rs. 82206280 for Revenue expenditure and Rs. 12804000 for capital expenditure be granted to the Governoeer to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of charges under **Demand No. 13- Social Welfare and Rehabilitation.**

That a sum not exceeding Rs. 81960500 for Revenue expenditure to the Governoeer to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of charges under **Demand No. 18- Animal Husbandry.**

That a sum not exceeding Rs. 7768260 for Revenue expenditure to the Governoeer to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of charges under **Demand No. 19- Fisheries.**

That a sum not exceeding Rs. 71806660 for Revenue expenditure to the Governoeer to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of charges under **Demand No. 20- Forest**

That a sum not exceeding Rs. 117658780 for Revenue expenditure to the Governoer to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of charges under **Demand No. 21- Community Development.**

That a sum not exceeding Rs. 7136610 for Revenue expenditure to the Governoer to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of charges under **Demand No. 24- Tourism.**

That a sum not exceeding Rs. 1008565500 for Revenue expenditure to the Governoer to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of charges under **Demand No. 25- Loans and Advances by State Government.**

डा0 मंगल सैन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहब, आज सदन में बजट की डिमान्डज फार ग्रांटस पर डिस्कान होने जा रही है। मैं उसमें भाग लेने के लिये खड़ा हुआ हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे लेबर एंड एम्प्लायमेंट विभाग की अऐ मद है। डिमांड नं0 12 उसमें हमसे 4 करोड 45 लाख 68 हजार 555 रूपया मांगा गया है। हमसे यह रूपया इसलिये मांगाच गया है कि ताकि हम लेबर एंड एम्प्लायमेंट विभाग को चालने के लिये मुख्तलिफ मदों में खर्च करने के लिये इस रूपये की मंजूरी दें। डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि बार बार घोशणायें होती हैं और कई सूत्र बीच में आ गये हैं। पहले 20 सूत्र ही थे अब पांच सूत्र भी बीच में आ गये हैं। इन पांच सूत्रों का झगडा आज इतना बढ गया

है, इतना तूल पकड गया है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जैसा अब हुआ है। सास के घर से पुत्र वधु अपने मासूम बच्चे को साथ लेकर

11.00 बजे।

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, इस मामले की चर्चा यहां नहीं होनी चाहिए। either these words should be expunged or these words should be withdrawn by the member. (Interruptions).

डा० मंगल सैन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने तो इनको बीस सूत्री कार्यक्रम की याद दिलाई अगर ये पांच सूत्र से इंकार करते हैं तो इनकी मर्जी है। पहले तो ये पांच सूत्र पर लाल पीले होते थे आज ये पांच सूत्र के नाम से चिढ़ते हैं। ठीक है आज वह इस संसार में नहीं रहा। (गोर एवं व्यवधान)

कृशि मंत्री (श्री भाम गोर सिंह सुरजेवाला): डिप्टी स्पीकर साहब, डा० साहब बहुत सियाने हैं और यह सारी बात जानते हैं लेकिन इनको पता होना चाहिए कि जो बीस सूत्र हैं उनमें से पांच सूत्र भी आ जाते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

डा० मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात इन्होंने अकबर अहमद को क्यों नहीं समझा दी। (गोर एवं व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक सूत्र में कहा

है हर हाथ को काम देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप सारे बजट पर निगाह डाल लीजिए इन्होंने गांव में रहने वाले गरीब आदमी को एम्पलायमेंट देने मध्यम श्रेणी के लोगों को रोजगार मुहैया कराने, गरीब के बच्चे को जो बेकार फिर रहा है, उसको रोटी का सहारा देने और मिडिल क्लास के आदमी को रोजगाचर देने के लिये कोई प्रावधान नहीं किया है। यह सरकार तो प्रो कैपिटलिस्ट हैं और इसलिए हरियाणा में मजदूर मूवमेंट की खास दु मन है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार ट्रेड यूनियनीज्म की वि ोश दु मन है। मैं ट्रेजरी बेंचिज पर बैठने वाले मैम्बर्ज से पूछना चाहता हूं कि अगर इनमें खुददारी है तो क्या इन्होंने कभी पूछा कि सचदेवा जो फरीदाबाद में मैटल बौक्स में था उसको किसने मारा। फरीदाबाद से उसको उठाया गया और सोनीपत की लाइन के पास उसकी ला 1 मिली। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कौन उसके कत्ल का जिम्मेदार है। मुझे पूछने का इस सदन से अधिकार है कि उसकी हत्या क्यों कराई और कौन उसका कातिल है। बिजली बोर्ड में श्री साईं दास कपूर जी वहां पर ट्रेड यूनियन का लीडर था। बल्लभगढ फरीदाबाद में मुख्यमंत्री की सासजि 1 से उस पर कातिलाना हमला किया गया। इसी तरह से करनाल में अजीत सिंह खुराना जो बी0एम0एस0 का मजदूर नेता था उसको पुलिस थाने में ले जाकर टौरचर किया गया। यह सरकार पूंजीपतियों से सांठ गांठ करके मजदूर आन्दोलन को कुचलती है। यह सरकार पूंजीपतियों की हर बात को मानती है और उनके पीछे चलती है। डिप्टी स्पीकर साहब, आज सैंकडों फ़ैक्टरीज बंद पडी हैं। एटलस

के मजदूर इनकी जान को रो रहे हैं। ये विदे गों में जाते हैं कि वहां से लोग आकर यहां पर अपनी इंडस्ट्रीज खोलें लेकिन हालत यह है कि यहां पर जो फैक्टरीज हैं और जो गरीब मजदूर उनमें काम करते हैं उनके साथ कितनी ज्यादाती यह सरकार कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, धारूहेडा में एम0एम0 सहगल की एक फैक्टरी है। वह काफी दिनों से बंद पडी है। मजदूरों को निकाल दिया गया है। कहा जाता है कि वह सिक यूनिट है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वह सिक है तो वह सिक क्यों हुआ ? जैसा मैंने पहले कहा कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और उनसे मिलकर यह मजदूरों को भाशण करती है। भाहबाद मारकंडा में एक कैमीकल फैक्टरी है। वहां पर डिपार्टमेंट ने मजदूर और मालिकों का फैसला करवाया लेकिन उस फैसले को यह सरकार इम्पलीमेंट नहीं करवा सकी। आज भी वहां पर मजदूर धरने पर बैठे हैं मैं पूछना चाहता हूं कि जो फैसला सरकार ने करवाया उसको लागू क्यों नहीं करवाया गया। (गोर एवं व्यवधान) जगन नाथ जी आप बहुत होि ग्यार हैं लेकिन होि ग्यार तभी तक हैं जब तक कि आप अपोजि गन बैचिज पर बैठते हैं। जब आप ट्रैजरी बैचिज पर बैठते हैं तो सारी होि ग्यारी खत्म हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि मजदूरों के कितने मामले एजूडिके गन को गए हैं आज जगन नाथ जी ने लम्बा जवाब देकर अपनी पीछा छुडा लिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो ऐक्सीडेंट होते हैं उनको रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। आप ने एक बात कही कि लम्बे सफर की गाडियों पर दो ड्राईवर रखेंगे लेकिन मैं तो यह कहना

चाहता हूँ कि आप की गाड़ियों की पूअर मेंटीनैस क्यों है ? क्या कारण है कि यह गांवों में चलने वाली बसों की खिडकियों सर्दियों में तो बंद नहीं होती और गर्मियोंमें खुलती नहीं हैं। (गोर एवं व्यवधान) एयर कंडी नें तो दिल्ली से चण्डीगढ़ के लिए हैं हर जगह तो एयर कंडी न बस जाती नहीं हैं। ये एअर कंडी न बसें सरमायेदारों के लिए हैं। गरीब आदमी तो इन में बैठ भी नहीं सकते। गांव का जो हरिजन है वह इन बसों में सफर करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं जगन नाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि बस अड्डों की दुकानों पर इतना इंफीरियर स्टाफ क्यों मिलता है ? दुकानदार से जब हमने पूछा कि इतनी महंगी चीजें क्यों बेचते हो तो उन्होंने जवाब दिया कि महंगी क्यों न बेचें 33 हजार रूपये महीने का अम्बाला छावनी के बस अड्डे की एक दुकान का ठेका गया है।

Mr. Deputy Speaker: I am also of the opinion that this shystem of auctioning the shops at the Bus Stands should be changed.

डा० मंगल सैन: उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं नागर साहब से कहना चाहता हूँ कि टूरिस्ट काम्पलैक्सज जगह जगह खोले जा रहे हैं और सुराखाने भी खोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यह आमदनी ठीक नहीं है। इस आमदनी से तो कंगाल रहना ज्यादा अच्छा है। यहां के लोगों को भाराब पीने की आदत मत डालिए। उपाध्यक्ष महोदय, प्रान्त की विधान सभा में अन्तर्राष्ट्रीय बात करना ठीक नहीं है लेकिन सैकिंड वर्ल्ड वार के बारे में कहना चाहता हूँ

कि फ्रांस हिटलर से क्ये हारा। सिर्फ इसलिए हारा था कि वहां पर हर आदमी भाराब पीने लगा था। ये टूरिस्ट काम्पलैक्स अय्या गी का अडडा बने हुए हैं। मैं यह नहीं कहता कि जो लोग टूरिस्ट काम्पलैक्स में जाते हैं वे सब अय्या गी हैं लेकिन भाराब पीने वाला अय्या गी जरूर होता है। हमारे गीरब दे गी में हय चीज चलने वाली नहीं है। इससे दे गी और कंगाल हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज पाकिस्तान के अंदर ताना गीही हकूमत है। हम उसको पसंद नहीं करते लेकिन एक बात वहां की पसंद है कि वहां के डिक्टेटर ने कलम की एक नोक से भाराब बंद कर दी। किसी की अच्छी बात अपनाने में कोई बुराई नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आप उन टूरिस्ट काम्पलैक्स में चाय की दुकान खोलें, लोगों को सस्ता और अच्छा भोजन दें। जिससे लोग गंदी चीजें खाने से बच सकें जो उनको प्राईवेट अदारों से मिलती हैं। उन चीजों काचे खाकर लोग बीमार होते हैं। क्या जरूरत है ऐसी जगहों पर प्राईवेट लोगों को ठेका देने की। अगर टूरिस्ट डिपार्टमेंट अपनी दुकान खोले और लोगों को चाय खाना आदि दे तो लोगों की बहुत सेवा होगी और लोगों को सही तथा साफ चीज मिलेगी। इन जगहों पर आफ सीन लिटरेचर बिकता है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार तो गांधी जी को बापू के नाम से पुकारती है। क्या आप बापू का नाम केवल चुनाव के समय पर ही लेते हो या कभी बापू के आदर्शों पर चलने के बारे में आप लोगों ने सोचा है। आप इस संबंध में भी तो सोचिए कि जनता का चरित्र निर्माण कैसे करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ट्रांसपोर्ट विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ कि उसकी मैनटीनेंस बड़ी पूअर है और साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि जो दिन व दिन एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं इनकी तरफ परिवहन मंत्री को ध्यान देना चाहिये ताकि एक्सीडेंट्स की संख्या घटायी जा सके और लोगों को किसी तरह का जानी नुकसान न हों। सडकें तो चौड़ी हो रही हैं लेकिन एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं इसलिए पारिवहन मंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

अब मैं सरदार लछमन सिंह के विभाग के बाचरे में भी दो चार भाब्द कहता हूँ। बडे तेज आदमी हैं लेकिन बडे दुःख के साथ कहना पडता है कि उनके अफसर उनके दस्तखतों की कदर नहीं करते हैं इसलिए मैं इनको कहता हूँ कि इनको इफैक्टिव होना चाहिए जो बात कह जाएं वह अमल में आ जानी चाहिए और उस पर अमल अव य होना चाहिए। क्या ये बताएंगे क फेयर प्राइस भाउप्स पर एक महीने से चीनी क्यों नहीं मिली ? मैं आपके डिपुआँ के खाते देखकर आपका बता सकता हूँ। अभी परसों की ही बात है। डी०सी० ने अपने आर्डरों से सिविल सप्लाई के विभाग वालों को कहा कि बेरी के एक आदमी को गन्दम दे दो लेकिन सिविल सप्लाई विभाग वालों ने उसे गन्दम देने से इंकार कर दिया। हमने इसके विरुद्ध डी०सी० हसाब को िाकायत भी की और डी०सी० बेचारा भी चुप रह गया कि चलों क्यों झगडा मोल लें – तो इनके आर्डरों की यह हातल है जनाब।

मैं कह रहा था कि डिप्टी स्पीकर साहब, कि गेहूं नहीं मिलता और साथ ही मैं कह रहा था कि चीनी की भी बड़ी भारी प्रोब्लम है। डिपोज वालों के बारे में बूरा साहब ने भी जिकर किया था कि रोहतक के अंदर कितने ही ऐसे यूनिट्स हैं जहां पर हेराफेरी होती है। लेकिन रोहतक की ही बात क्यों लेते हो, सारे हरियाणा में ही इसी तरह का हाल है। हर जगह बेईमानी का ही सहारा लिया जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, 35 डिपोज कैंसिल कर दिए। मुझे उन डिपों वालों से कोई हमदर्दी नहीं है मुझे तो नाराजगी है केवल रोहतक के डी०सी० साहब ने जिन्होंने यह फैसला किया है और 35 डिपोज कैंसिल कर दिये हैं लेकिन उन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। यह कहां का इंसफ है कि किसी को फांसी पर लटाका दो और उसके खिलाफ जो फैसला हुआ हो, उसकी नकल भी उसे न दो कि किस कारण से आपको फांसी दी गयी है मैंने इस बारे में उनको फोन पर प्रार्थना भी कि ये लोग न ही मेरे विचारोके हैं और न ही वे मेरे मददगार हैं मैं तो केवल एक विधाय के न तो आपकाचे रिकवैस्ट कर रहा हूं कि इन लोगों के साथ बडा अन्याया किया गया है। इनकी बात तो पूरी तरह से सुननी चाहिए थी लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, पता नहीं किसने उसको कुछ सिखा रखा है उसके कान तक जूं भी नहीं रेंगती और वह किसी की भी नहीं सुनता। मैंने उनको कहास कि जिनकि खिलाफ आपने फैसला दिया हे। उनको कुछ कहने का मौका तो दिया जाना चाहिए। उनको और कुछ नहीं तो जजमेंट कापी तो दे दीजियेगा। (गोर एवं विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब,

हजारों बोरी गन्दम की खा गये चीनी खा गये लेकिन उन अधिकारियों के ऊपर कोई एकान नहीं लिया। इसलिये सरकार इस तरफ ध्यान दे।

अब मैं डिमांड नंबर 16 पर अपने विचार रखूंगा कि जो कि उद्योग विभाग से संबंधित है। कुछ दिन यह विभाग मेरे पास भी रहा है। आज कि विकास के युग में उद्योग का मामला एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है और मैं समझता हूँ कि इसका फैलाव होना चाहिये। लेकिन जब तक हम इस विभाग का फैलाव नहीं करेंगे तो हम कैसे इस प्रदेश की गरीब जनता को रोजगार दे सकेंगे ? जब तक आर्थिक स्वावलम्बन नहीं होगा तब तक हम कैसे इस प्रदेश को आगे ले जा सकेंगे और उद्योग के कामों में कैसे उन्नत हो सकेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, ग्रामीण योजना जो हमने बनायी थी वह न तो ग्रामीण ही रही है और न ही भाहरी रही है। न तितर रहा है न बटेर रहा है। हजारों इस प्रकार के यूनिट्स खोले गये थे लेकिन बहुत सारे बीच में ही सिक हो गये। कच्चा मैटीरियल नहीं मिल रहा और फिर आप ही बताएं कि जब रा मैटीरियल नहीं मिलेगा तो फिर बना बनाया माल कहां से मिलेगाच। आज डिप्टी स्पीकर साहब, कहां कहां और किस किस की बात कहूं सारे अधिकारीगण में उदासीनता है।

सदन की मेज पर रखी गई कमेटी रिपोर्ट्स की प्रति सदस्यगण को

न मिलने सम्बंधी चर्चा

श्री कंवल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांचट आफ आर्डर है कि आज यहां पर सबोर्डिनेट लेजि गले इन कमेटी की रिपोर्ट ले हुई है और हमें उसकी कापी नहीं मिली है। मैं अपने पैरुजल के लिये उस रिपोर्ट को पढना चाहता हूं और मैंने यहां पर यह रिकवैस्ट भी की थी कि उस रिपोर्ट को कापी जो कि उनके पास है मुझे दे दी जाए लेकिन अभी तक वह कापी नहीं मिली है। (गोर एवं व्यवधान) Members have a right to go through the report (Interruptions).

Mr. Deputy Speaker: Cyclostyled copies of the report are being circulated to the Hon. Members in the House shortly.

श्री कंवल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, आज टेबल पर रिपोर्ट ले हो चुकी है, इसलिए हरेक मैम्बर का यह अधिकार है कि उस रिपोर्ट की कापी उसको मिले। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे रिपोर्ट की कापी इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे इस रिपोर्ट पर बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने आपको कहा है कि साईकलोस्टाइल होने के कारण आपको रिपोर्ट की कापी पहुंच जाएगी।

श्री मूल चन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि आनरेबल मैम्बर साहब मैम्बर उस रिपोर्ट पर कमेंट करना चाहते हैं। इसलिए मेरी सैक्रेटरी साहब से आपके द्वारा दरखास्त है कि अगर उनके पास इस तरह के दस्तावेज हैं तो उन्हें मैम्बर साहेबान, को देने में क्या एतराज है ? मैम्बर केवल उसको पढना ही चाहते हैं जो कापी उनके पास है, उसे ही आप दिलवा दिजियेगा। इसमें क्या हर्ज है ? (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। मैं कंवल सिंह जी से कहूंगा कि आप इस टर्न से बाद वाली टर्न पर जरा रूक कर बोलें तब तक कापी साईक्लोस्टाइल हो कर उनको मिल जाएगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, आप सैक्रेटरी साहब वाली कापी ही दिलवा दिजाएगा हम उसको ही पढ लेते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको एक घंटे तक उस रिपोर्ट की कापी पहुंचा दी जाएगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह: हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि आपको यह कापी देने में क्या एतराज है ? (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने आपसे रिकवैस्ट की है कि आपको बहुत जल्दी ही उसकी कापी दिलवा रहा हूं।

श्री बलदेव तायल: इस बारे में मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। मेरी गुजारि । यह है कि रिपोर्ट हाउस में आ चुकी है। (गोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: तायल साहब आप से मैंने पहले ही कह दिया है कि रिपोर्ट माननीय सदस्यों को जल्दी ही दे देंगे फिर इस तरह का सवाल उठाने का क्या तात्पर्य है ? (गोर एवं व्यवधान)

Shri Baldev Tayal: The only question is that we have a right to go through that Report. Either you deny that right or give its copy to us. Once it has been laid on the Table of the House, we have a right to read it. We are entitled to know the contents thereof.

Mr. Deputy Speaker: The Hon. Members are not being denied that righth.

Shri Baldev Tayal: Then why delay it, sir.

Ch. Rizaq Ram: This is a seriour matter. When any paper has been placed on the Table of the House, it must be ensured that it is in the possession of the Speaker, Deputy Speaker Sahib, or the Secretary and is immediately circulated amongst the Members of the House.

श्री उपाध्यक्ष: कली ही यह फैसला हुआ था कि यह रिपोर्ट आज हाउस में ले होनी है। एक कापी तो प्रैस को चली गयी है औए एक साईक्लोस्टाइल हो रही है। इसमें कुछ समय

लगेगो। इसीलिये मैं कह रहा हूँ कि आप साहेबान को कुछ देर में वह कापियां मिल जाएंगी।

आवाजें: चार रिपोर्ट्स टेबल पर आई हैं
(गोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: हां, वे सारी आ रही हैं।

श्री बलदेव तायल: डिप्टी स्पीकर साहब, एक प्रति जो हाउस में ले हुई हैं वह यहां मौजूद है और वह हाउस की प्रौपर्टी है। वह एक प्रति ही आप उनको दे दें क्योंकि वह उसकी स्टडी करना चाहते हैं।

Mr. Deputy Speaker: It will be given to hem as soon as possible.

Shri Baldev Tayal: Sir, what is the diffeculty in giving that copy just now ? You may kindly order that it be handed over to the Hon. Member just now.

Mr. Deputy Speaker: Corrections are being carried out and there after it will be handed over to the Hon. Member.

Shri Baldev Tayal: Does it mean that it correct Report has been laid on the Table of the House ? Are there any interpolations ?

श्री उपाध्यक्ष: कमेटी ने जो कापी हमको दी एग्जैक्टली वह तो प्रैस में चली गई दूसरी कापी मैं आपको 15 मिनट में भिजवा दूंग।

वर्ष 1982-83 के बजट की डिमान्डज फार ग्रांटस पर चर्चा

तथा मतदान (पुनरारम्भ)

डा० मंगल सैन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ पार्टी इ लू होते हैं और कुछ ने नानल इ लू होते हैं और इनसे हम सभी कन्सर्ड हैं। जैसे परिवार नियोजन है इसकी इम्पलीमेंटेशन भी एक ने नानल इ लू है। इसी तरह से चौधरी देवी लाल की सरकार के वक्त रूरल इंडस्ट्रीज की स्कीम चली थी। उसके पीछे मुद्दा यह था कि पिछड़े हुए इलाकों और देहातों में उद्योग लगें और गरीब लोगों को रोजगार मिल सके। उस स्कीम में यह था कि गांवों में गांवाके रहने वाले लोग ही इंडस्ट्रीज लगा सकेंगे लेकिन जब यह गवर्नमेंट आई तो इन्होंने उसमें संशोधन कर दिया कि भाहर का आदमी भी गांव में जाकर उद्योग लगा सकता है। आज जो बहुत से यूनिट सिक हो रहे हैं मैं उनके बारे में मुख्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि यह महकमा उनके पास हैं मुख्य मंत्री जी को तो तोड फोड से ही फुर्सत नहीं है वे इस समय यहा उपस्थित भी नहीं हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि एक इवैल्यूएशन कमेटी बननी चाहिए जो यह देखे कि ये यूनिटस सिक क्यों हो रही हैं। हम उनको सबसिडी देते हैं और सारी बातों के लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं इस काम को तेजी के साथ बढ़ाया जाता है। एक बात

मैं आपके नोटिस में और लाना चाहता हूँ कि खानों की नीलामी के बारे में हमारे वक्त में यह नियम बनाया गया था कि जो मौके पर नीलामी पर आएगा उसकी दी जाएगी और उसके बाद किसी भी आफर को नहीं माना जाएगा। लेकिन इस सरकार ने अपने आदमियों को खुद करने के लिए और ढंग अपनाए हुए हैं इन्होंने ऐसा किया है कि अगर नीलामी 5 लाख रू० पर छुटी है और बाद में कोई इनका आदमी 5 लाख 25 हजार की आफर कर देता तो नये सिरे से उसके नाम अलाटमेंट हो जाएगी। डिप्टी स्पीकर साहब, आप इस बात को जानते होंगे क्योंकि आपके फरजंद भी इस काम में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि यह काम रुकना चाहिए। कहने को तो कहा जाता है कि हमें रा मैटिरियल भी मिलता है और कोयला भी मिलता है लेकिन हमें कोयले की पूरी एलोकेशन नहीं होती और हम फैक्ट्रीज वालों की कोयला पूरा नहीं दे पाते। किसी ने नई फैक्टरी लगानी हो तो झट से कह दिया जात है कि आ जाओ लेकिन सीमेंट इनके पास नहीं है। डैमोक्रेसी में हम इसका क्या मतलब समझें कि जो कंट्रोल का सीमेंट है वह तो 30 रू० बोरी के हिसाब से मिलेगा और खुले में 65 रू० के हिसाब से मिलेगा। तो 65 रू० बोरी वाला सीमेंट तो हरियाणा में आना भुर्रु हो गया है और बिकना भी भुर्रु हो गया है लेकिन कंट्रोल का सीमेंट किस किस को दिया जाएगा।

इसके बाद मैं एजुकेशन की डिमांड पर बोलना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन का तो

इन्होंने मजाक ही बना दिया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीह में एक कमि नर को इन्होंने वाइंस चांसलर बना दिया है। उस भले आदमी ने क्या किया कि अपनी श्रीमती को म्यूतिज में पी0एच0डी0 दिलाने के लिये दिल्ली से बुला कर एक टैम्पोमरेरी प्रौफैसर लगा दिया और बाद में उसको रैगुलकर कर दिया। जब यह मामला सिंडीकेट में गया तो उन्होंने इस बात को टर्न डाउन कर दिया। फिर इन्होंने प्रोबे इन का पीरियड दो साल की बजाये तीन साल का कर दिया। यह कौन चाहेगा कि एक आदमी पहले तो तीन साल तक गुलामी करता रहे फिर पक्का होने के लिये पुलिस की वैरिफिके इन होनी भी जरूरी है। तो हमने एजुके इन का माहौल बनाना है वहां पर पुलिस लाइन खडी करनी है ? इसी तरह से प्राइवेट टीचर्ज का मामला हैं इन्होंने खुद कई बार घोशणा की थी। (विघ्न) जो सुविधाएं सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की होंगी वहीं प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों को होंगी। एक तरफ तो आप प्राइवेट स्कूलों के रिजल्ट देखें और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों के रिजल्ट देखें लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूलों के अध्यापाकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

श्री लहरी सिंह मेहरा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांचट आफ आर्डर है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हर एक मैम्बर के लिए कितना टाईम फिकस किया हुआ है। ये काफी देर से बोल रहे हैं और मैम्बरों ने भी बोलना है और डेढ बजे हाउस उठ जाएगां

श्री उपाध्यक्ष: किसी पार्टी के लीडर के लिये आधे घंटे का समय है।

डा० मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कि अर्बन डिवैल्पमेंट अथारिटी इसलिये बनाई गई है कि भाहरों के अंदर जो स्लम एरियाज हैं उनको रोक कर डिवैल्पमेंट की जा ए लेकिन अफसोस के साथ कहना पडता है कि इन्होंने प्राइवेट कोलोनाइजर्ज को बची में डाल लिया है। मैं डैफीनित इन्फर्मे इन के मुताबिक कह सकता हूँ कि कुतब के पास पांच रू० गज के हिसाब से जमीन एक्वायर करके कोलोनाइजर्ज को दी गई और वही जमीन पूंजीपतियों ने आगे साढे तीन सौ रू० प्रति गज के हिसाब से बेची है। आज भाहरों में कई ऐसे इलाके हैं जैसे रोहतक भाहर में गांधी कैम्प हैं और हरिजन बस्ती है। ऐसे इलाको की बराबर डिवैल्पमेंट की जानी चाहिए। आज वहां पर 30 गज के एरिया के मकान में पिता भी रहता है मां भी रहती है और भाई भी रहता है बहिन तथा बच्चे भी रहते हैं। उन लोगों की बहुत बुरी हालत है इसलिये हरियाणा अर्बन डिवैल्पमेंट अथारिटी को उधर ध्यान देना चाहिए।

मैं एक बात कहूंगा कि कुरुक्षेत्र में एक आर्य कालेज हैं न तो वहां पर पूरा स्टाफ है न होल टाईम प्रिंसीपल है और न ही लडकों को वहां पर ट्रेनिंग देने के लिये पूरा अरेजमेंट है न होस्टल का अरेजमेंट है और न अपनी बिल्डिंग है। मैं पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा के साथ यह मजाक करने से क्या फायदा है।

वहां पर होल टाईम प्रिसिंपल होना चाहिए पूरा स्टाफ होना चाहिए। मैं देखता हूं कि इसमें भी कोई वैस्टिड इन्ट्रैस्ट है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे एक बात बड़े अफसोस के साथ कहनी पड रही है कि चौधरी खुर गीद अहमद के मेवाल को इलाके में गऊ हत्याएं बहुत हुई हैं। मैं यह बात नहीं कहता कि इनको इस बात का अफसोस नहीं है। मैं यह कहता हूं कि किन कारणों से यह गऊ हत्याएं हो रही हैं और सरकार को इनकी मौजूदगी में सह लेते हुए इस तरफ सख्त कदम उठाने चाहिए। गऊओं की हत्या करने वाले गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।

इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, गोहाना सिविल होस्पिटल में डा० राजे । कक्कड की बहुत पिटाई की गई है। यह समाचार गोहाना केसरी पेपर में छपा है। इसकी तरफ सरकार ध्यान दें। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान (गुड़गांव): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नंबर 9, 10, 11, 16, 20 और 23 पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं डिमांड नंबर 9 के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, एजुके ।न के लिहाज से हरियाणा प्रदे । हिन्दुस्तान में सब स्टेटों से बैकवर्ड रहा है। पिछले दो तीन सालों में कई हजार स्कूल

अपग्रेड किए गए या नए स्कूल खोले गए हैं इसके अलावा 19 प्राईवेट कालेजों को सरकार ने टेक ओवर किया जिनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। डिप्टी स्पीकर साहब, जिन कालेजों का 40 परसेंट डेफिसिट होता था उसके लिए सरकार ने 95 परसेंट ग्रांट देने का फैसला किया। यह सरकार का बहुत अच्छा स्टैप है और यह स्टैप एजुके इन के फैलाव के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मोरल एजुके इन को भी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एजुके इन हैं वह जोब ओरएंटीड नहीं है। जो लडके मैट्रिक या ग्रेजुए इन करते हैं वे काम करने के काबिज नहीं होते हैं। (इस समय सभापतियों की सूचित में से एक माननीय सदस्य चौधरी हरस्वरूप बूरा पदासीन हुए।) चेयरमैन साहब, हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़े बड़े भाहर भी नहीं हैं। हरियाणा प्रदेश में शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है। चेयरमैन साहब, भाहरों में टीचर्ज को सिटी अलाऊंस मिलता है हाऊस रेंट अलाऊंस मिलता है, मैडीकल फैसिलिटीज मिलती है और उनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में एजुके इन मिलने का प्रबंध है लेकिन देहात के टीचर्ज को ये फैसिलिटीज नहीं मिलती है। चेयरमैन साहब, मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जो मेवात का क्षेत्र है वहां पर कोई भी टीचर जाने के लिये तैयार नहीं है। इसी तरह से मैं गुड़गांव जिले का उदाहरण देना चाहता हूँ। यदि गांवों के अंदर स्कूलों में एक हजार टीचर्ज हैं तो उनमें से 990 टीचर्ज भाहरों में आना चाहते हैं इस तरह से जो एजुके इन का एडमिनिस्ट्रे इन है खास करके ट्रांसफर्ज के टाइम पर सारा

पैरेलाइज हो जाता है। हर टीचर की यही कोशिश रहती है कि भाहरों में पोस्टिंग करवा ली जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि भाहरों में रहने वाले टीचर्स को जो सिटी अलाऊंस या दूसरी फ़ैसिलिटीज दी जाती हैं वह देहात में रहने वाले टीचर्स को भी दी जाएं। यदि देहात के टीचर्स को वे फ़ैसिलिटीज नहीं दी जाती हैं तो मैं कहूंगा कि जो अलाऊंस भाहरों में रहने वाले टीचर्स को दिया जाता है वह बिल्कुल बंद कर दिया जाये ताकि फाइनेंसियल लायबिलिटी कम हो। यदि देहात में रहने वाले टीचर्स को अलाऊंस की भावना में थोडा बहुत पैसा दे दिया जाए तो शिक्षा में थोडा सुधार आ सकता है। इसके अलावा चेयरमैन साहब, देहात के स्कूलों में मैथेमैटिक्स और साइंस के टीचर्स बिल्कुल नहीं हैं। मैथेमैटिक्स और साइंस के टीचर्स देहात के स्कूलों में इसलिए नहीं हैं क्योंकि कुछ तो इन टीचर्स की कमी है और जो हैं उनको पोस्टिंग भाहरों में मिल जाती है।। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन टीचर्स को देहात के स्कूलों में भी भेजने की तरफ ध्यान दिया जाये। इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मैरिट के लिए यदि देहात के बच्चों का और भाहर के बच्चों का कम्पीटिशन एग्जाम हो तो देहात के लडके भाहरों के लडकों के मुकाबले में कम्पीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि देहात के स्कूलों की तरफ अधिक ध्यान दिया जाये।

चेयरमैन साहब, अब मैं पब्लिक हैल्थ विभाग की मांग के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ अर्बन एरियाज में पब्लिक हैल्थ का काम काफी अच्छा हुआ है। भाहरों के अंदर सिवरेज का काम काफी अच्छा हुआ है। लेकिन चेयरमैन साहब, देहातों में जो बड़े बड़े गांव हैं उनमें सिवरेज का कोई बंदोस्त नहीं किया गया है। इसलिए इस बारे में मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब, हरियाणा प्रदेश में जिन गांवों की आबादी 10 हजार या इससे अधिक है उनमें सिवरेज सिस्टम का बंदोबस्त होना चाहिए। चेयरमैन साहब, जिन गांवों की आबादी ज्यादा है उनकी हालत बहुत बुरी है और उन गांवों के अंदर गंदगी के सलमज बने हुए हैं। यदि उन गांवों की गलियों में से गुजरना पड़े तो गलियों से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है उन गांवों में रहना तो बहुत कठिन काम है। ज्यादा आबादी वाले गांवों में सिवरेज सिस्टम के लिए मेरी लोकल बाडीज मिनिस्टर साहब से बात भी हुई है। उन्होंने मुझे बताया है कि इस समस्या को हल करने के लिए एक सिवरेज बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से और सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उस बोर्ड का गठन जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि बड़ी आबादी वाले गांवों में सिवरेज का बंदोबस्त हो सके।

चेयरमैन साहब, गुड़गांव भाहर में जिसकी आबादी एक लाख भी ज्यादा हो गई है, पीने के पानी की समस्या है। जितना

पानी पीने के लिए जमीन के नीचे से निकालते हैं वह नाकाफी है। इसलिए मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि बहादुरगढ की नहर का पानी गुड़गांव को दिया जाये। वह पानी गुड़गांव भाहर के लोगों को पीने के काम में भी आएगा और इरीगे उन के लिए भी यूज होगा। चेयरमैन साहब, मारुती के नाम से एक बहुत बडी फ़ैक्ट्री गुड़गांव के अंदर बनने जा रही है। जिस वक्त उस फ़ैक्ट्री में काम भुरु हो जाएगा तो गुड़गांव की आबादी लगभग 30 हजार और ज्यदा बढ जाएगी। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि गुड़गांव में पीने का बंदोबस्त किया जाना निहायत ही जरूरी है

इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं डिमांड नंबर 16 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। डिमांड नंबर 16 इंडस्ट्रीज के बारे में हैं आर0आई0एस0 के तहत फ़ैक्ट्रीज बन रही हैं वे म्युनिस्पल कमेटीज की लिमिट से बाहर बन रही हैं और उनमें मुख्य समस्या यह है कि उन फ़ैक्ट्रीज के लगाने के लिए सरकार ने कर्ज की लिमिट दो लाख रूपये तक की रखी हुई है इससे ज्यादा कर्जा नहीं दिया जाता है। आजकी की बढती हुई प्राईस को देखते हुए फ़ैक्ट्रीज को अपनी प्रौडक् उन का कोई फायदा नहीं हो सकता है। इस बारे में मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस दो लाख रूपये कर्ज की लिमिट को बढा कर कम से कम 5 लाख रूपये कर दिया जाए ताकि फ़ैक्ट्रीज लगाने वाले आदमी को पैसे की समस्या का सामना न करना पडे।

चेयरमैन साहब, आर0आई0एस0 के सामने सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि उनको कामि यिल बैंकों से पेसा मिलात है। इस बात को सभी माननीय सदस्य जानत हैं कि हरियाणा कोआप्रेटिव बैंकों से किसानों को बहुत अच्छा लोन मिलता है लेकिन जो आदमी फ़ैक्ट्रीज लगाएंगे उनकोम कौमि यिल बैंकों से ही लोनी मिल सकता है। हरियाणा प्रान्त में स्टेट का कोई कौमि यिल बैंक नहीं है जिसको हम हरियाणा कौमि यिल बैंक कह सकें। जैसे आन्ध्रा कोमि यिल बैंक है, गुजरात कौमि यिल बैंक हैं और महाराष्ट्रा कौमि यिल बैंक है। इसी प्रकार से दूसरी स्टेटस के भी ऐसे बैंकस हैं लेकिन कोमि यिल बैंक आफ हरियाणा के नाम से हमारी स्टेट में कोई नहीं है। चेयरमैन साहब, हरियाणा प्रगति िल प्रान्त बन चुका है। इस स्टेट में बहुत अमीर लोग रहते हैं। और दूसरे लोग भी रहते हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा के अंदर भी अपनी स्टेट का कौमि यिल बैंक होना चाहिए जिससे यहां के उद्योगपतियों को बैंक की सहूलितयें मिल सकें और उनको पेसा मिल सके।

इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं मैडीकल विभाग की मांग के बारे में कुछ विचार रखना चाहता हूं। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में रैडक्रास होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज का निर्माण हुआ है और गुड़गांव के अंदर 19 डिस्पेंसरीज खाली जा चुकी हैं लेकिन इस साल के बजट में सरकार ने उन डिस्पेंसरीज की दवाई के लिए केवल 80 हजार रूपया रखा है जो कि बहुत कम है और यह पैसा

भी उन डिस्पैसरीज को मेवाल डिवैल्पमेंट बोर्ड के जरिये दिया जाएगा। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह पैसा बहुत कम है। यदि इस पैसे को बढ़ाया जा सक तो सरकार इस पर विचार कर लें। इसके अलावा चेयरमैन साहब, गुड़गांव जिले में एक जाटोली गांव हैं जो कि अपने डिप्टी स्पीकर साहब, का गांव है। उस गांव में सी०एम० साहब, ने एक हॉस्पिटल का फाउंडे इन स्टोन रखा था लेकिन उस होस्पिटल का काम अभी तक भुरु नहीं हुआ है।

इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उस होस्पिटल को बनाने का काम भुरु किया जाये। उसमें देरी नहीं होनी चाहिए।

चेयरमैन साहब, अब मैं डिमांड नं० 11 जो कि अर्बन डिवैल्पमेंट विभाग से संबंधित है के बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा। दिल्ली से लगता हुआ जो एरियसा है वहां पर काफी काम हुआ है उसके लिए मैं डिपार्टमेंट को मुबारिकबाद देना चाहूंगा। इस के साथ ही साथ मेरा एक सुझाव है कि जो उपजाऊ जमीन है वह एक्वायर न की जायें यदि उपजाऊ जमीन एक्वायर करेंगे तो इससे हमारी पैदावार घटेगी। जिस स्थान की जमीन उपजाऊ नहीं है वहां पर जमीन एक्वायर कर ली जाये इस पर किसी को कोई एतराज नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मानेसर है या दूसरा जो पहाडी एरिया है वहां पर जमीन एक्वायर कर ली जाये। यदि उपजाऊ जमीन पर मकान बनेंगे तो फिर वह जमीन कभी भी

उपजाऊ नहीं बन सकती। हुडडा की तरफ से गुड़गांव में सैक्टर 14 सन 1970-71 में बना था। इसी प्रकार सन 1978 के अंदर वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना था लेकिन इनका आज तक किसान को कोई कम्पनसै टान नहीं मिला है। कम्पनसै टान न मिलने के कारण काफी लोग परे टान हैं और उन्हीं कोर्ट में चक्कर लगाने पड रहे हैं। हमारे कुछ नीचे के अधिकारी उन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं। डा0 साहब ने यहां हर प्राइवेट कोलोनाइजर का जिकर किया। उसके बार में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्राइवेट कोलोनाइजर हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। डा0 साहब ने कहा था कि वहां पर 5 रूपये गज के भाव से ली गई इस संबंध में अपने दोस्त को बताना चाहूंगा कि वहां पर 40 रूपये से लेकर 200-250 रूपये प्रति गज के भाव से जमीन एक्वायर की गई है। डा0 साहब ने जो 5 रूपये प्रति गज की स्टैटमेंट दी है यह बिल्कुल गलत है। जब प्राइवेट कोलोनाइजर 200 और 250 रूपये प्रति गज के भाव से जमीन लेंगे तो देने वाला भी कुछ राहत महसूस करेगा। हमारी बदकिस्मती यह है कि प्राइवेट कोलोनाइजर का काम रोक दिया गया है इस बात का पता नहीं क्यों काम बंद हुआ है। इस संबंध में मेरी सरकार से गुजारि है कि प्राइवेट कोलोनाइजर द्वारा काम भुरु रहना चाहिए क्योंकि सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि आजकल मकानों के किराये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यदि वहां पर इन द्वारा काम होगा तो लोगों को ठीक किराये पर मकान मिलेंगे।

श्री सभापति: जो कोलोनाईजे इन एक्ट हैं उसके तहत कोई प्राईवेट आदमी कोई कालोनी नहीं बना सकता।

चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान: सभापति महोदय, ऐसा है कि यदि 100 एकड जमीन एक्वायर करनी है तो उसके लिए लाईसैंस लेना पड़ेगा। यदि लाईसैंस लेने वाला गवर्नमेंट से लाईसैंस की रिकवैस्ट करता है तो गवर्नमेंट को लाईसैंस इस ला के अधीन देना होता है This is the law.

श्री सभापति: आप जल्दी समाप्त कीजिए। आपका समय हो गया है।

चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान: चेयरमैन साहब, सोहना के अंदर बाई पास पर एक बस स्टैंड बनाया गया है। यह बहुत ही अच्छी बात है। इससे ट्रैफिक को आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी। लेकिन मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ जो पुराना बस स्टैंड है वहां पर 100 के करीब दुकानें हैं। उनको परिवहन विभाग आक इन करता है। आक इन के अंदर ये सभी दुकानें काफी महंगी नीलाम हो जाती हैं जिससे गरीब लोग वंचित रहे जाते हैं इन दुकानों को बाहर के लोग दिल्ली आदि से आकर खरीद लेते हैं। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इन दुकानों को नीलामी कर के परिवहन विभाग को कौमि रियल अदायरी नहीं बनाना चाहिए। इस तरह से गरीब लोगों काउे दुकानें मिलेंगी और जो नौजवान हमारे बेरोजगार हैं, उनको काम

मिलेगा जिससे बेरोजगारी काफी कम हो जाती है। इसलिए इस संबंध में मेरी दुबारा रिकवैस्ट है कि वहां के लोकल आदमियों को जो गरीब हैं और जो बेरोजगार हैं उनको ये सभी दुकानें दी जानी चाहिए। इसको कौमि रियल अदायरी नहीं बनाना चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जंगलात के महकमे ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इस महकमे ने 6 करोड दरखत लगाये हैं। मध्यप्रदे 1 जैसे बडे बडे प्रदे 10 जहां पर जंगलात ही जंगलात हैं उनसे भी हम आगे गए हैं। सभापति महोदय, जो सुझाव मैंने दिए हैं सरकार को उन पर गौर करना चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

आवाजें: हमें बोलने का समय दिया जाये। (गोर)

श्री सभापति: देखिए आपकी पार्टी के नेता की तरफ से जो जो नाम दिए गए हैं उन्हीं को बारी बारी बुलाना पडेगा। उन्हीं को बोलने के लिए समय दिया जायेगा। आप भाोर न करें आप जितना ज्यादा अब बोलेंगे उतना ही समय आपका काट लिया जायेगा। जिन जिन का नाम आया है उन सभी को इन पर बोलने के लिए समय मिलेगा।

श्री कंवल सिंह (धिराय): सभापति महोदय, हाउस में कुछ डिमांडज कल आई थी और कुछ डिमांडज आज आई है। गवर्नर साहब के अभिभाशण का भी जवाब गवर्नमेंट दे चुकी है

और बजट का जवाब भी वित्त मंत्री जी दे चुके हैं सभापति महोदय, रतिया के अंदर कुछ प्लॉट्स ओक इन किए गए थे उनके अंदर बहुत जबरदस्त घोटाला हुआ था इस बारे में यह गवर्नमेंट चुप हैं। इसका इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। चेयरमैन साहब, जनवरी के आखिरी सप्ताह में आदमपुर में प्लॉटों की ओक इन हुई और फरवरी के दूसरे सप्ताह में रतिया के अंदर ओक इन हुई। रतिया में कोई 40 प्लॉटों की ओक इन हुई थी। वह ओक इन एक लाख 20 हजार रुपये से लेकर एक लाख 50 रुपये तक हुई थी। सभापति महोदय, इससे आगे क्या हुआ वह भी मैं आपको बताता हूँ। ओक इन करने वाले जो अधिकारी थे। वे रामनिवास सेठ जी कि एक बड़ी फैक्टरी का मालिक है। उसके यहां बैठकर 40 प्लॉट्स बगैर ओक इन किए हुए कागजों में ओक इन के दिखा दिए। उन्होंने ये प्लॉट्स 40 हजार रुपये के हिसाब से दिखाये जबकि वहां पर आम ओक इन के अंदर प्लॉट 1 लाख 20 हजार रुपये से लेकर 1 लाख 50 हजार रुपये तक नीलाम हुए हैं। जब यह मामला डायरेक्टर कोलोनाईजे इन के पास आया तो डायरेक्टर साहब ने नोटिस दे दिया कि एक लाख रुपये से कम की जो ओक इन हुई है वह रद्द कर दी जाये और दुबारा ओक इन की जाये। चेयरमैन साहब, आज वह फाईल बंद है। पता नहीं क्यों बंद हैं। यह पता नहीं कि सी०एम० साहब ने दबवा रखी है और कोई कारण है। पता नहीं ये चुनाव के लिए उनसे पैसे लेना चाहते हैं।

चेयरमैन साहब, इस सरकार को सदन से पूरा बजट पास नहीं कराना चाहिए था। हमारे पड़ोसी राज्य हिमचल के अंदर वोट आन अकाउंट पास हुआ है। यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए था लेकिन यह पूरा बजट पास करवा रहे हैं। यहां पर नाजायज तरीके से लोगों को तंग किया जा रहा है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो लोगों के साथ वायदे किये हैं उनको पूरा नहीं किया। सभापति महोदय जो जिस ज्वायंट डायरैक्टर ने इन प्लॉट्स को नीलाम किया था उसके एवज में उसको डी०सी० कुरुक्षेत्र लगाया गया। उसकी छः रिपोर्ट्स एवरेज हैं लेकिन उसे इस काम का सिला देने के लिए उसको एक जिला गवर्न करने के लिए दे दिया है।

चेयरमैन साहब, हमारे यहां रेंट कंट्रोल एक्ट है। उसे पास करते हुए एक गलती हुई जिसका हमें पता नहीं था। यह सन 1978 में पास हुआ जिसके तहत जो भी व्यक्ति मकान या दुकान बनायेगा उसे नई कन्सट्रैक्शन का फायदा मिलता है। इस साल तक उसे अधिकारी है कि वह अपने मकान या दुकान को खाली करवा सकता है। गरीब लोगों की जब दुकान या अन्या बिजनैस चला जात है तो उसे मकान मालिक की तरफ से नोटिस दे दिया जाता है कि खाली करो। आठ नौ साल तक वह अपनी मर्जी से किराया बढ़ाता रहता है लेकिन जब दस साल होने के करीब होते हैं तो उसे निकालने का नोटिस दे देता है। बड़ी मेहनत करके वह बिजनैस में अपनी रैपुटेशन बनाता है लेकिनल बिजनैस चलने पर

उसको दुकान खाली करने का नोटिस दे दिया जाता है। इस कानून से बहुत जबरदस्त हैरासमेंट हो रही है खास तौर से उन लोगों के साथ जो दुकान किराये पर लेकर अपना बिजनेस भुरू करते हैं। चेयरमैन साहब, गवर्नमेंट धांधलेबाजी कर रही है और एंटी सो झल काम कर रही है। आपको पता है कि भारत बंद हुआ। हांसी में बड़ा अच्छा मिल चल रहा था। तीन साल से मुनाफे में चलता आ रहा था। 22 लाख और 29 लाख के करीब मुनाफा हर साल होता रहा लेकिन सन 1980-1981 में हांसी स्पिनिंग मिल में 84 लाख का लौस हुआ। आप हैरान होंगे कि उसी मिल में साल पहले 29 लाख का मुनाफा होता है दूसरे साल 84 लाख का घाटा होता है। वहां के मजदूर ईमानदारी से काम कर रहे थे उन्होंने एक दिन हडताल करने का काल दिया। पहले उन्होंने एस0डी0एम0 से इजाजत मांगी कि हमें प्रदर्शन की इजाजत दी जाये लेकिन एस0डी0एम0 साहब ने इंकार कर दिया। इस बात पर सरकार ने सब मजदूरों को नोटिस दिया कि जो माफी नहीं मांगेगा उसे डिसमिस किया जायेगा। सभी एम्पलाइज को नोटिस दे दिया गया और पुलिस ने बेइन्ताह पिटाई की। आज यह सरकार गरीब मजदूरों के लिए दुहाई देती है। राठी साहब और सरदार लछमन सिंह जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे किस तरह से गरीबों की भलाई कर रहे हैं ? चेयरमैन साहब, इस मिल के घाटे का कारण और भी बताना चाहता हूं। इस मिल में रूई कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसलिए घाटा होता है हांसी स्पिनिंग मिल में जितना भी कौटन इस्तेमाल होता है।

मीनाक्षी मिल का इस्तेमाल होता है। 70 परसेंट मीनाक्षी मिल से लिया जाता है। ऐसे मामलों में जो डे टू डै फंक्शनिंग होती है उसके बारे में मुझे पता है कि बाकायदा टैंडर मांगे जाते हैं। ओपन ऑक्शन होती है क्वालिटी के हिसाब से ऑफर दी जाती है यह कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट की फैक्टरी में कच्चा माल यूज होता है और उसे केवल एक ही फैक्टरी से खरीदा जायें। चेयरमैन साहब, सब से बढिया कौटन सिरसा की कौटन है। हांसी की कौटन से बढिया हिसार की है और हिसार से बढिया फतेहाबाद की है और सबसे बढिया सिरसा की है। हांसी की फैक्टरी से गवर्नमेंट मिल को माल जाता है। मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि वे इस बारे में स्पष्टीकरण दें कि इस फैक्टरी से ही इतना माल क्यों लिया जाता है ? क्या कारण है ?

चेयरमैन साहब, बहिन भान्ति राठी बडी काबिल मेंबर हैं। इन्होंने संस्कृत में एक किताब भी लिखी है उसमें इन्दिरा गांधी की तारीफ की गई है। यह किताब तो किसी डिपार्टमेंट के आदमी से लिखवायी होगी नाम इनको हो गया लेकिन हरियाणा से शिक्षा विभाग में लाखों रुपये का घोटाला पकडा गया। कई एस0डी0ओ0 और डी0ओ0 सस्पेंड किये गये। अब उन्हें न केवल बहाल कर दिया गया बल्कि एक आदमी का नाम पब्लिक सर्विस कमीशन को रिकमेंड किया गया। उस घपले में बहुत बातें हैं लेकिन एकाध केस बताना चाहता हूँ। 32 रुपये का ट्रंक अम्बाला की किसी फर्म में खरीदा गया। 32 रुपये में कोई भी व्यक्ति उस

दुकान से वह ट्रंक ले सकता है लेकिन एजुके इन महकमे वालों ने उसी ट्रंक को 140 रूपये में खरीदा। पहले यह ट्रंक गवर्नमेंट ने ट्रायल बेसिज पर खरीदा था लेकिन बाद में 32 रूपये की बजाये 140 रूपये में खरीदा हुआ दिखाया गया। उसकी प्रचेज में जो हेराफेरी हुई उस विशया में किसी अफसर के खिलाफ कोई एक् इन नहीं हुआ बल्कि एक आदमी को प्रोमो इन दी गई। इसी प्रकार से दवातें खरीदी गई। 25 पैसे की दवात 80 पैसे में खरीदी गई। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि बहिन भान्ति राठी भाशण ही देती न फिरें बल्कि उनके डिपार्टमेंट में जो हेराफेरी हो रही है उस बारे में भी सोचें। भाशण देना भी पौलिटीयन का काम है लेकिन गलत कामों की ओर निगाह रखना भी हमारा फर्ज है। चेरमैन साहब, बहिन भान्ति राठी ने अध्यापिका होने के नाते अच्छी किताब लिखी हैं पहले पेज पर प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की फोटो भी छापी है। चेरमैन साहब, वह लिखी किसी ने हो, लोगों का विचार जो भी हो लेकिन किसी पढे लिखे आदमी ने लिखी है। इंदिरा गांधी जी से इसका विमोचन कराया है इससे टिकट मिलने में सहायता मिलेगी। अगर उन्हें टिकट मिलेगा तो हमें भी आसानी होगी मैं बहिन भान्ति जी से इस बारे में उम्मीद करूंगा कि वे फौरन सदन को कॉन्फीडेंस में लें। आप लोगों ने बड़ी कृपा की कि सवार्डिनेट लेजिले इन कमेटी की रिपोर्ट दी है। एक बैंक मैनेजर 30.12.80 को रिटायर होने वाला था। उसे सुपरनुए इन के बाद एक्सटें इन दे दी। एक्सटें इन दो साल तक देने का अधिकार है। एक एक साल की एक्सटें इन दो बार मिलती है।

उस आदमी ने कोआप्रेटिव बैंक चंडीगढ़ के एम0डी0 को एप्लीके इन दी और एक ऐप्लीके इन मंत्री महोदय के हाथ में भी पकडा दी। मंत्री जी ने उसी एप्लीके इन के आधार पर ऐक्सटैं इन दे दी और लिख दिया कि जब तक नीचे से यह एप्लीके इन प्रोसैस होकर उनके पास आती है तब तक आन प्रोबे इन ऐक्सटैं इन देता हूं।

12.00 बजे।

चेयरमैन साहब, 24.12.1980 को इस मैनेजर ने ऐक्सटैं इन के लिए रिप्रेजैटे इन्ज किया और 24.12.1980 को ही मिनिस्टर महोदय ने आर्डर पास किया कि जब तक उसको केस डिसाइड न हो तब तक उसको रिटायर न किया जाए। कमेटी के सामने जब यह केस आया तो बडी कोि । । से हमने सारा रिकार्ड मंगवाया। कमेटी के सामने 14.9.1981 को रिकार्ड आया। फाइल से पता लगा कि मंत्री महोदय, ने अपने आर्डर्ज चार दिन पहले यानी 11.4.81 को वैंकेट कर दिए और वैंकेट करने के बाद ही फाईल कमेटी को भेजी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत बडा मिसयूज आफ पावर हो रहा है। चेयरमैन साहब, मेरे गांव के एक आदमी ने सरदार तारा सिंह को अपनी सस्पें इन पीरियड की पे के बारे में रिप्रिजैन्टे इन दिया था। उस रिप्रिजैन्टे इन को लेकर उसका भाई और बीवी आए थे। इस बात को लेकर उस आदमी को फरदार नोटिस दे दिया कि तुम्हारी सर्विसिज टर्मीनेट क्यों ने कर दी जाएं। सभापति महोदय, आजकल

यह हालत हो रही है। जिस मैनेजर का मैंने जिक्र किया है वह कोआप्रे इन मिनिस्टर महोदय की बिरादरी का है। बिरादरी के नाम पर यह सब कुछ हुआ है उस आदमी को सरकार ने जनवरी 1981 से लेकर सितम्बर 1981 तक की पे दी लेकिन उसका कोई लीगल बेस नहीं है। मैं आ जा करता हूँ कि मंत्री महोदय, जवाब देंगे तो इन प्वायंटस को माइंड में रखेंगे।

स्वामी आदित्यवे ा (हथीन): सभापति महोदय, सदन के सामने अठारह मांगे आई हैं। ये मांगे बहुत आव यक हैं। इन मांगों के जरिए सरकार ने विभिन्न विकास के कार्यों पर खर्च करने के लिए रूपया मांगा है। सभापति महोदय, मैं सरकार की इस बात के लिए सराहना करना चाहूंगा कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च में काफी कटौती की है और चारों तरफ से पैसा काटकर विकास के कार्यों के लिए ज्यादा खर्च बढ़ाया है। सब से पहले मैं मांग नंबर 9 जो ि ाक्षा से संबंधित है के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस सरकार ने ि ाक्षा को जितना महत्त्व दिया है आज से पहले किसी भी सरकार ने उतना महत्त्व नहीं दिया। गीता में कहा है —

सर्वशांमेव दाननाम्

ब्रह्मादानम वि ि ाशते

जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें विद्या का दान करना चाहिए हमारे प्रदे ा में कुछ समय पहले प्राईवेट ि ाक्षा

संस्थाओं में काफी ढील आ गई थी लेकिन जब से चौधरी भजन लाल की सरकार आई इसने प्राईमरी स्कूलों, हाई स्कूलों और कालेजिज की पैसे से काफी सहायता की है और उनको पुनर्जीवित किया है। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी संत कंवर: स्वामी जी आपको शिक्षा से क्या मतलब है ? (गोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: संत कंवर जी कृपया हाउस का डैकोरम कायम रखिए। आप बैठ जाईये।

स्वामी आदित्यवे I: सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि चाहे प्राईमरी स्कूल हैं, चाहे हाई स्कूल हैं और चाहे कालेजिज हैं (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी संत कंवर: स्वामी जी के कारनामे
(व्यवधान)

स्वामी आदित्यवे I: सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि सभी प्राईवेट संस्थानों को इस सरकार ने बहुत अधिक सहायता दी है। पहले इनको पैंतीस या चालीस प्रति शत सहायता मिलती थी लेकिन इस सरकार ने स्कूलों के बारे में 75 प्रति शत सहायता कर दी और कालेज के बारे में इसे बढ़ाकर 95 प्रति शत कर दी। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी संत कंवर: अपने कामों के बारे में भी बता दें ...
..... (व्यवधान)

श्री सभापति: यह बात ठीक नहीं है। चेयर की इजाजत के बगैर बोलना ठीक नहीं है।

स्वामी आदित्यवे T: सभापति महोदय, जिस पुस्तक में सारे खर्चों का विवरण है उसमें एक मद योग की भी है जिस पर पैसा खर्च किया जाएगा और उसके साथ बैंड मिंटन भी लिखा है। मुझे समय नहीं आता कि योग के साथ बैंड मिंटन का क्या संबंध है। योग एक अलग चीज है। वह कोई खेलकूद की चीज नहीं है। योग तो एक अध्यात्मिक चीज है। केवल एक्सरसाइज का नाम योग नहीं है। योग की अगर शिक्षा देनी है तो जो योग के आचार्य हैं उनकी सहायता लेनी चाहिए ऐसा करने से लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे। (तोर एवं व्यवधान) संत कंवर जी अगर आपको हल्ला मचाना आता है तो मुझे भी आता है। (तोर एवं व्यवधान)

चौधरी संत कंवर: मैं आपकी तरह से
(व्यवधान)

नेमिंग आफ मैम्बर

Mr. Chairman: I name Ch. Sant Kanwar.
(Interruptions).

(The Hon'ble Member did not withdraw from the House and continued speaking. Thereupon the Serjeant at Arms went to the member and escorted him to the Opposition lobby).

वर्ष 1982-83 के बजट की डिमान्डज फार ग्रांटस पर चर्चा

तथा मतदान (पुनरारम्भ)

स्वामी आदित्यवे I: सभापति महोदय, मैं योग के बारे में बता रहा था और कह रहा था कि योग का संबंध अध्यात्मिकता से है

चौधरी राम लाल वधवा: सभापति महोदय, इतनी सी बात पर आपने नेम कर दिया। यह तो कोई बात ही नहीं है (तोर एवं व्यवधान)

स्वामी आदित्यवे I: आदरणीय सभापति महोदय, मैं योग के संबंध में निवेदन कर रहा था। अगर योग की शिक्षा देनी है तो इसके लिए उपयुक्त स्थान ढूँढना पड़ेगा और मेरे विचार से पर्यटन केन्द्र इसके लिए अच्छा स्थान हैं अगर पर्यटन केन्द्र योग के केन्द्र बन जाएं। इनके माध्यम से शिक्षा दी जाए तो बड़ा भारी लाभ होगा। सभापति महोदय, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि टी0वी0 पर योग के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। योग के आसन और प्राणयाम के बारे में काफी कुछ बताया जाता है। इससे

हमारे युवक और युवतियों को बड़ा लाभ हो रहा है। सभापति महोदय, मेरा तो यही कहना है कि योग की शिक्षा देने के लिए ठीक स्थान होना चाहिए। प्रौपर प्लेस की व्यवस्था न होने के कारण ही योग आज भ्रमित हो रहा है। योग की शिक्षा के लिए खानपान ठीक होना चाहिए। सभापति महोदय, यहां पर भाराब का जिक्र किया गया कि भाराब लोग बहुत ज्यादा पी रहे हैं। एक बार मैंने भाराब के ठेकों को बंद कराने के बारे में उपवास भी किया था और जो लोग आज भाराब के बारे में जिक्र कर रहे हैं जैसे डा० मंगल सैन, उदय सिंह दलाल, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया था। उसके पचात मैंने इस बारे में कि भाराब बंद होनी चाहिए या नहीं काफी विचार किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि भाराब का मसला एक अन्तर्राष्ट्रीय मसला है। किसी एक प्रदेश का नहीं है। सारी दुनिया का मसला है

श्री मूल चन्द मंगला: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। सभापति महोदय, ये कह रहे हैं कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया था। सभापति महोदय, उस वक्त चौधरी देवी लाल की सरकार थी और उन्होंनेक यह एलान किया था कि अगर किसी पंचायत से यह मांग आएगी कि वहां पर भाराब की दुकान नहीं होनी चाहिए तो वहां पर भाराब की दुकान बंद कर दी जायेगी। (तोर एवं व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दलाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। (व्यवधान)

श्री सभापति: जब स्वामी जी कोई बात कहेंगे उसी पर तो आप प्वायंट आफ आर्डर उठाएंगे। पहले जो बात स्वामी जी ने कही उस पर मूल चंद मंगला ने प्वायंट आफ आर्डर कर लिया। आप किस चीज पर प्वायंट आफ आर्डर करना चाहते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दलाल: मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि आप भी आर्यसमाजी हैं और मैं भी हूँ। महर्षि दयानन्द संसार में बहुत बड़े आदमी हुए हैं। यह बाना जो इसने पहन रखा है यह उनका है। इसको चाहिए कि यह इस बाने को उतार कर सदन की पटल पर रख दें। और तब भाराब की वकालत करें। (गोर एवं व्यवधान)

स्वामी आदित्यवे T: मैं प्रार्थना करूंगा कि उदय सिंह दलाल भाराब पीना छोड़ दें। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दलाल: इसको बोलते हुए
... नहीं आती। (गोर एवं व्यवधान) इसको अपने भाब्द वापिस लेने चाहिए।

श्री सभापति: स्वामी जी मैं आपसे रिकवेस्ट करूंगा कि आप अपनी स्पीच की डिमांडज तक ही सीमित रखें और किसी भी मैम्बर के ऊपर किसी प्रकार की कोई नुक्ताचीनी न करें।

स्वामी आदित्यवे T: सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि यह भाराब का मसला सारी दुनिया का मसला है, हमारे एक

प्रदेश का मसला नहीं है। ये सारी दुनिया को कह कर भाराब बंद कर दें तो फिर हरियाणा अपने आप ही भाराबबंदी कर देगा। इस मसले पर पूरी तरह से गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि चूंकि यह एक अन्तराष्ट्रीय मसला है जब तक सारी दुनिया के लेवल पर इस पर विचार नहीं किया जाता और इसे बंद नहीं किया जाता तब तक यह मसला हल नहीं हो सकता। अगर हम अपने अकेले प्रान्त में इसको बंद भी करते हैं तो फिर नाजायज भाराब निकालने का धंधा और तेजी से उभरेगा। सभापति महोदय, पिछले दिनों आपको पता हो कि स्प्रिट मिलाकर भाराब बिकती रही और इस तरह से कई मौतें भी हुईं। गुजरात स्टेट के अंदर सरकार ने भाराबबंदी भी की और फिर भी वहां पर 6 हजार लोगों को उनके खुद भाराब पीने के लिए परमिट दिए गए और इसके बावजूद भी बहुत सारी भाराब की वजह से अप्रिय घटनाएं होती रही। इसलिए मैं सरकार से यह कहूंगा कि इस तरह की महामारी को हटाया जाना चाहिए। जब तक भाराब के खिलाफ सामाजिक वातावरण हम सभी जगहों पर नहीं बनाएंगे तब तक हमारे अकेले प्रांत में इस तरह का वातावरण कैसे बन पाएगा। उन लोगों के लिए भाराबबंदी की बात कहना कहां तक उचित है जो कि स्वयं भाराब पीते हैं। इसलिए उन लोगों को पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिये। (गौर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, कहना तो नहीं चाहता कि 1966 में दिल्ली में जनसंघ वालों का राज था और इन्होंने उस वक्त दिल्ली में बहुत सारी भाराब की दुकानें खुलवाई थीं।

मास्टर रिाव प्र ाद: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैम्बर साहेब को बोलते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर कोई जनसंघ नहीं है लेकिन फिर भी उनको जनसंघ का इतना डर लगा हुआ है कि रात को भी उनको स्वप्न में जनसंघ दिखाई देता है। (गोर)

श्री सभापति महोदय, यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। स्वामी जी आप वाइंड अप कीजिएगा।

स्वामी आदित्यवे ा: मैं कह रहा था कि जब इनका राज था उस वक्त इन्होंने दिल्ली में बहुत सी दुकानें भाराब की खुलवाई थीं और अब ये यहां बैठ कर किस मुंह से कहते हैं कि भाराबबंदी होनी चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं डिमांड नंबर 11 पर बोलना चाहता हूं। सभापति महोदय, जब से इस भजन लाल सरकार से सत्ता संभाली है उस समय से हरियाणा प्रांत में काफी सुधार हुआ है। श्री मांगेराम जी ने विकास कार्यों में काफी दिलचस्पी दिखाई है और इस ओर काफी प्रयास किए हैं। वे सचमुच ही प्र ांसा के पात्र हैं पार्क वगैरा का निर्माण करवाया है, अब से पहले पाक वगैरह बड़े गंदे रहते थे और अब इन्होंने उन सबको साफ सुथरा बनवा दिया है। पलवल के अंदर पहले कोई पार्क ही नहीं था और अब इन्होंने वहां पर अनुदान दिया है और एक पार्क भी बनवा दिया है और लोगों को इससे काफी सुविधा प्राप्त हो रही है।

सफाई वगैरह के कारण हरियाणा में स्वच्छ वातावरण लोगों को मिल रहा है। इन भाबदों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुआ यह मांग करता हूं कि इन मांगों को पास किया जाए। इसके साथ ही अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी जगदी ँ कुमार बैनीवाल (दडबा कलां): चेयरमैन साहब, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं डिमांड नं० 12, 14, 16, 23, 1, 6, 7, 8, 11 और 13 पर बोलूंगा। सबसे पहले मैं डिमांड नंबर 8 पर बोलना चाहता हूं जिसके अंतर्गत 221956000 रूप्ये की राशि रखी गई है जो कि भवन तथा सडकों के निर्माण से संबंधित है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि मुझे बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है हालांकि मैं अपनी पार्टी का लीड हूं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: पोहलू साहब डेढ बजे तक हाउस चलेगा। आपकी रिकवैस्ट को कंसिडर किया जायेगा लेकिन इस वक्त आप बैठिए। (गोर)

चौधरी जगदी ँ कुमार बैनीवाल: चेयरमैन साहब, मैं डिमांड नंबर 8 पर बोल रहा था। जितनी भी सडकें बनाई गई हैं वे सारी की सारी आदमपुर और घरौंडा के हलके में ही बनाई गई हैं। वहां पर 80-80 किलोमीटर सडकों का निर्माण किया गया है जबकि मेरे हलके दडबां कलां में केवल 1.70 किलोमीटर की

सडकें बनाई गई हैं। चेयरमैन साहब, एक गांव ऐसा है जहां मिनिस्टर महोदय का एक रि तेंदार होने के नाते वहां पर 5 किलोमीटर का रास्ता जो कि पहले ही लिंक रोड है अब उनको डबल कर दिया गया है। और जिन स्थानों पर सडकों की जरूरत है वहां पर कोई सडक प्रोवाइड नहीं की जा रही है जिसकी वजह से लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। मैं आपके ऐसी सडकों का नाम बताा हूं। 1. कुमारिया से खेतरी तक 3 किलोमीटर का रास्ता 2. बम्बुरकलां से खर्द 8 किलोमीटर का रास्ता, 3. डानीमाजरा सिर्फ 3 फरलांग का एरिया है। 4. खराती खेडा से मानांवाली केवल 3 किलोमीटर का एरिया है। 5. इसी तरह से माधो सिंगाना ऐप्रोच रोड डानी कालू तक और एक और है। 6. डिंग टू मयुवाला केवल 6 किलोमीटर का फासला है। मैं बताना चाहता हूं कि गांव भने मैं चौधरी देवी लाल जी भी और चौधरी भजन लाल जी भी अनाऊंस करके आए थे कि यह 6 किलोमीटर का रास्ता बना दिया जाएगा लेकिन अभी तक यहां पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी तरह से मानक से दिवान केवल डेढ मील का फासला है, इसलिए मेरी आपके द्वारा इस सरकार को गुजारि 1 है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। जो सडकें मैंने बतायी हैं इन सडकों को टच भी नहीं किया गया है और इन्होंने अपने हल्के में कई गांवों को तीन तीन साडडों से सडकों के साथ कवर किया है।

अब मैं डिमांड नंबर 14 पर बोलना चाहता हूँ। फूड एण्ड सप्लाइज मंत्री महोदय ध्यान देंगे कि किसी गांव में भी साढ़े तीन सौ ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं मिल रही है जबकि बाहरों में 500 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति मिल रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बाहर और गांव के लोगों में इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है, इस कमी को पूरा करवाया जाये। सभी जगहों पर एक समान 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी दिलवाने का प्रबंध किया जाए।

इसी तरह से सीमेंट का हाल है। सीमेंट भी अब खुलेआम हो गया लेकिन जब कंट्रोल था उस वक्त बोरी की कीमत 35 रूपये थी और अब कंट्रोल हट गया है तो उसी बोरी की कीमत 68 रूपये कर दी गई है। जब 35 रूपये बोरी का रेट था उस वक्त सीमेंट कहां चला गया था। मैं आपको इस सरकार की भेदभाव की नीति के बारे में बतलाता हूँ कि पानीपत के अंदर एक ही घर में 800 टन मतलब कि 16 हजार बोरी सीमेंट दी गई है और दूसरी तरफ लोगों को गरीब किसानों को एक एक कटटे के लिए तरसना पड़ता है। किसानों को अपने ट्यूबवैल्ज की थोड़ी बहुत मुरम्मत के लिए सीमेंट चाहिए होता है तो मिलता नहीं और दूसरी तरफ यह सरकार 16 हजार बोरी सीमेंट एक ही घर में दे रही है। चेयरमैन साहब, किसानों को अपनी नालियों को पक्का करवाने के लिए सीमेंट नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि वे इस तरफ ध्यान दे और सभी लोगों के साथ एक सा

व्यवहार करें। अब जो सीमेंट का भाव 68 रूपये कर दिया गया है। क्या यह गरीब आदमियों के साथ बेइंसाफी नहीं है ? एक गांव का आदमी आने ट्यूबवैल के लिए या मकान की मुरम्मत के लिए जिसको 5-10 कटटे सीमेंट के चाहिए थे वह 68 रूपये कटटे के हिसाब से तो जितने मर्जी कटटे ले ले लेकिन 35 रूपये के हिसाब से एक भी कटा न मिले। क्या यह गैर इंसाफी नहीं है ?

श्री सभापति: इस बारे में मैं भी मिनिस्टर साहब से गुजारि । करुंगा कि कंट्रोल के सीमेंट में और खुले सीमेंट के रेट में बहुत अंतर है। वे सेंटर को एप्रोच करके इस डिफरेंट को थोडा और नीचे लाएं।

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री लछमन सिंह): चेयरमैन साहब, ओपन सीमेंट का भाव 68 रूपये प्रति कटटा है। जो कंट्रोल का सीमेंट है वह कुछ लोगों को रिपेयर वगैरह के लिए भी मिलेगा और जो 80 मीटर तक के एरिया का मकान बनाएगा उसका भी मिलेगा। इस बारे में हम सेंटर को भी एप्रोच करेंगे कि इस डिफरेंट को और कम किया जाए।

चौधरी जगदी । कुमार बैनीवाल: अब मैं डिमांड नं0 16 पर आता हूं। मेरे जिला सिरसा के अंदर भटठों के इस्तेमाल के लिए कोयला बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आज देहात के आदमियों का 350 रूपये प्रति हजार के हिसाब से ईंटे लेनी पडती हैं। इनते महंगे भाव की ईंटे लेकर गरीब आदमी अपना मकान

नहीं बना सकता। अगर गवर्नमेंट की तरफ से वहां ज्यादा कोयला सप्लाई किया जाए तो ईंटों की कीमत घट सकती है। मैं चाहूंगा कि सिरसा जिले में ज्यादा से ज्यादा कोयले की गाड़ियां भेजी जाएं। सिरसा जिले के साथ जो जमीन लगती है जैसे हिसार रोड पर जमीन है, वहां पर सरकार 700 एकड़ जमीन एक्वायर कर रही है जो कि बड़ी उपजाऊ जमीन है। मैं चाहूंगा कि ऐसी जमीन को छोड़ कर टिब्बों वाली जमीन जैसे बरनाला रोड पर है एक्वायर की जाए। ऐसा करने से फसल देने वाली जमीन भी बच जाएगी और हमारी अनाज की पैदावार भी बढ़ेगी।

इसके बाद मैं डिमांड नंबर 23 पर आता हूँ। चेयरमैन साहब, सिरसा के अंदर अभी तक कोई बस स्टैंड नहीं बना है। सिरसा जिला भी है और राजस्थान और पंजाब के साथ उसका बार्डर भी लगता है। हर बार इस सदन के अंदर मंत्री जी वि वास दिला देते हैं कि इस बार उस बस स्टैंड की आधार ि ाली रख कर काम भुरु कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक वहां कुछ भी काम नहीं हुआ। सिरसा जिला के अंदर हर साल सबसे कम नई बसें दी जाती है। यह इसलिए है कि वहां की बसें सबसे कम माइलेज कवर कर सकें। मैं मांग करूंगा कि वहां पर ज्यादा बसें अलाट की जाएं इसके अलावा हमें कुछ नए रूटस भी अलाट किए जाएं। जैसे चण्डीगढ़ से सिरसा वाया रतिया और पातडां एक रूट दिन में जरूर चलना चाहिए। इसी तरह से सिरसा से देहरादून भी एक बस जरूर चलाई जाये।

इसके बाद मैं डिमांड नंबर 11 पर आता हूँ। चेयरमैन साहब, सिरसा जिला का आबादी 1971 से 1981 के दौरान 40 हजार के करीब बढ़ी है और इस बढ़ौरतरी के वजह से वहां के लोगों को काफी तकलीफ भी हुई है। उसका कारण यह है कि इस सरकार के बाद वहां पर डिवैल्पमेंट का कोई भी काम नहीं हुआ बल्कि जो काम पहले से चल रहे थे उनको भी बंद कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि सिरसा जिला और सिरसा भाहर के अंदर डिवैल्पमेंट के काम जल्द भुरु किए जाएं ताकि वहां के लोगों को सहूलियत मिल सकें। इसके अलावा भाहर के अंदर कुछ एरिया एक्वायर करके हरिजनों को भी प्लाट अलाट किये जायं।

इसके बाद मैं वाटर वर्कस स्कीम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कुछ गांवों का नाम बताता हूँ जिनका पानी बहुत गहरा चला गया है और वहां पर लोगों को पानी की बहुत किल्लत होती है। वे गांव हैं बेगु, नटार, सैदावाली, बकरियांवाली, खराती खेडा, जोडावाली और चडीवाल। इन गांवों में अगर कोई एक नलका भी लगाए तो उस पर कम से कम दस हजार रूपया खर्च आता है। चेयरमैन साहब, गरीब आदमी दस हजार रूपये लगाकर नलका नहीं लगवा सकता और जिन अमीर आदमियों ने नलके लगा रखे हैं वे उन्हें पानी भरने नहीं देते। इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी गांवों में वाटर वर्कस बनाये जाएं।

इसी तरह से पंजाब के अस्पताल के बारे में है। गुडिया खेडा, रूपावास, चांडवाल और रामआसरा वसेरा गांवों में

पुओं के अस्पताल खोले जाएं। चेयरमैन साहब, एक बात और है कि जब भी कोई मिनिस्टर उधर से जवाब देता है तो सबसे पहले बीस सूत्री प्रोग्राम का जरूर नाम लेगा। बीस सूत्री प्रोग्राम में यह कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो विपक्ष के भाई हैं उनके हल्कों में काम न किया जाये यह तो हो सकता है कि अपोजी उन के मैम्बरों के खिलाफ आज की सरकार हो सकती है लेकिन जहां से वे चुन कर आते हैं वहां की पब्लिक ने तो कोई कसूर नहीं किया कि उनके काम न हों। मैं यह कहूंगा सरकार वहां ज्यादा ध्यान दे ताकि यह हो सकता है कि आने वाले टाइम में वे थोड़ी बहुत इनकी भी सुन लें। वैसे ऐसी उम्मीद नहीं है कि जनता इनकी बात सुनेगी। दूसरी बात यह है कि आज अगर कहीं भी थोड़ी बहुत गडबड हो जाती है या किसी के घर में झगडा हो जाता है तो ये कांग्रेसी भाई यह कह देते हैं कि यह झगडा तो विरोधी पार्टियों ने उठाया है। आज श्रीमती इन्दिरा गांधी और मेनका गांधी का झगडा हुआ है तो ये कहते हैं कि यह झगडा भी इन्होंने करवाया है। आज अगर किसी को कब्ज हो जाए तो भी ये कहेंगे कि यह विरोधी पार्टियों की वजह से हुई है। इन भाब्दों के साथ मैं इन डिमांडज का विरोधी करता हूं।

श्री फतेह चन्द विज (पानीपत): चेयरमैन साहब, मैं डिमांडज नं० 10, 14, 16 पर कुछ कहना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, 15 दिन से सै उन चल रहा है और इस दौरान आपने देखा होगा कि मिनिस्टर साहेबान जब भी क्वै चन आवर के दौरान

किसी सवाल का जवाब देते थे तो यह बात आम देखने में आती थी कि अपोजि उन के हल्कों के साथ बे इंसाफी होती रही है। खासतौर पर जिस दिन बी०एंड०आरे० का सडकों के बारे में सवाल आया था तो पता चला कि मिनिस्टर साहब के हल्के में जो डबल लिंक गांव हैं वे तो 15 हैं और बाकी किसी के हल्के में एक है और किसी के हल्के में दो हैं। एक और पर्दा डाला गया है कि मिनिस्टर साहब ने जो सडकें मुकम्मल हुई थीं उनके बारे में बताया लेकिन यह नहीं बताया कि भुरु कितनी हुई हैं मेरे साथ वाले हल्के में 40 सडकें डबल लिंक की हैं उनके बारे में इन्होंने जवाब में नहीं बताया। मेरे हल्के के अंदर एक सडक सिर्फ डेढ किलोमीटर की है जो जाटौल से बिंजोल तक है। उन गांवों को आपस में जोडने के लिए उस सडक का एस्टीमेट बनवा लिया गया है लेकिन एक साल हो गया है उसकी एप्रुवल नहीं दी गई है।

चेयरमैन साहब, इसके अलावा मैं पब्लिक हैल्थ के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। हैल्थ मिनिस्टर साहब हाउस में बैठे हैं। एक दिन ये पानीपत गए थे उस समय मैं और डिप्टी स्पीकर साहब, इनके साथ थे। जिस समय इनकी गाडी पानीपत माडल टाउन से पानीपत भाहर की ओर आ रही थी तो उस समय इन्होंने यह लफज कहे थे कि धन्य हैं इस भाहर के लोग जो इतनी गंदगी में रह रहे हैं। चेयरमैन साहब, पानीपत एक ऐतिहासिक भाहर है और उसकी आबादी एक लाख 40 हजार के करीब है। पानीपत में फर्टीलाइजर फैक्ट्री, थर्मल प्लंट, भुगर मिल

और हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी काटेज हैंडलूम इंडस्ट्रीज हैं। इन सारी इंडस्ट्रीज में हर साल लगभग 60 करोड़ रुपये का माल तैयार हो कर दे आ और विदेशों में भेजा जाता है। हमारा देश इन इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए हुए सामान को विदेशों में भेज कर विदेशी मुद्रा कमाता है। चेयरमैन साहब, पानीपत की काटेज इंडस्ट्रीज को देखने के लिए सारे वर्ल्ड से लोग आते हैं। जिस समय वे इंडस्ट्रीज देखने के लिए जाते हैं तो गंदगी को देखकर अपने नाक पर कपड़ा रख कर रास्ते में से ही वापिस आ जाते हैं और कहते हैं कि बस हमने इंडस्ट्रीज देख ली, वापिस चलो, आगे नहीं जाते। चेयरमैन साहब, इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कितनी गंदगी होगी। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सरकार पानीपत की गंदगी को दूरे करने के लिये कोई कदम उठाना चाहिए। इसके साथ साथ चेयरमैन साहब, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि 1973 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश की सभी म्यूनिसिपल कमिटीज को तोड़ा था और उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किये थे। सरकार ने म्यूनिसिपल कमिटीज को तोड़ कर बहुत भारी गलती की थी और यह प्रदेश के साथ बहुत जुल्म हुआ था। चेयरमैन साहब, म्यूनिसिपल कमिटीज को तोड़ कर उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करके उनको ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर को हर दो तीन महीने के बाद तबदील कर दिया जाता है किसी को डी०सी० का जी०ए० लगा दिया जाता है और किसी को रोडवेज का जी०एम० लगा दिया जाता है तथा किसी

को लैंड इक्विजी इन आफिसर लगा दिया जाता है। इस तरह से दो दो तीन तीन महीने एडमिनिस्ट्रेटर को म्यूनिसिपल कमिटीज में ट्रेनिंग दे कर दूसरे डिपार्टमेंट में तबदील कर दिया जाता है। इस कारण से म्यूनिसिपल कमिटीज ट्रेनिंग सेंटर बनी हुई है। और उनका काम बिल्कुल ठप्प हो चुका है।

इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। कल क्वै चन आवर के दौरान हाउस में ज्यादा एक्सीडेंट्स होने के बारे में बात आई और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने हरियाणा प्रदेश में ज्यादा एक्सीडेंट्स होने के कई कारण बताए। उन कारणों में से एक कारण मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने भाम रंगीन बनाने के लिए एक पीने का मैथड अपनाया हुआ है जिसके कारण इनके बस ड्राइवरों और कंडक्टरों ने वह आदत 24 घंटे की डाल ली है जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश में ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसलिए चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी आदत पर कंट्रोल करना चाहिए। कल सवाल के जवाब मैं बताया गया कि 5 महीने में पानीपत नगरपालिका की सीमा के अंदर 15 एक्सीडेंट्स हुए हैं और उनमें 5 मौते हुई हैं। इसलिए मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इस तरफ कोई न कोई ठोस कदम उठाएं जिसके कारण एक्सीडेंट्स कम से कम हों। इसके इलावा चेयरमैन साहब, हुडडा ने पानीपत के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर

के लिए जमीन एक्सवायर की थी और उस जमीन का 1979 में एवार्ड भी हो चुका है। वह ट्रांसपोर्ट नगर खादी आश्रम के साथ 25 एकड़ जमीन में बनेगा। आज तीन साल हो गए लेकिन अभी तक उसको कोई भी काम नहीं हुआ है। यदि सरकार वह ट्रांसपोर्ट नगर बना दे और ट्रक वहां पर स्टैंड करें तो सड़क पर ट्रक खड़े होने के कारण जो भीड़ होती है वह कम हो जाएगी और एक्सीडेंट्स होने बंद हो जाएंगे। लेकिन अभी तक सरकार ने उस ट्रांसपोर्ट नगर को बनाने के लिए कोई डिवेलपमेंट नहीं की है।

चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि उस ट्रांसपोर्ट नगर को जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि एक्सीडेंट्स कम हों। इसके साथ साथ चेयरमैन साहब, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जिस समय लैंड मॉर्गेज बैंक की तरफ से किसानों को अपनी खेती के लिए औजार खरीदने के लिए कर्जा मिलता था उस समय वे अपनी मर्जी से कम्पीटी इन में किसी प्राइवेट फैक्ट्री से या दुकानदार से ले लेते थे और अच्छा माल खरीदते थे लेकिन सरकार ने किसानों को अपने खेती के औजार हैफेड से लेने के लिए रूल बना दिया है। चेयरमैन साहब, यदि एक चीज व हर मार्केट में एक हजार रुपये में मिलती है तो वही चीज हैफेड से 1400-1500 रुपये की मिलती है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि किसानों के लिए यह छूट होनी चाहिए कि वे जहां से मर्जी अपनी खेती के औजार खरीदें।

चेयरमैन साहब, आपने दिल्ली जाते हुए देखा होगा कि पानीपत में जो स्काईलार्क नाम का टूरिज्म कार्पोरेट इन का होटल बना हुआ है

उसने भाराब बेचने के लिए सडक पर अपनी दुकान खोल दी हैं पहले वह दुकान उस हॉटल से 40-50 कदम पीछे की ओर हुआ करती थी लेकिन अब बिल्कुल सडके के ऊपर खोल दी है ताकि लोग आसानी से भाराब ले सकें और उनकी देर न हों। लोग सडक पर अपनी गाडियां खडी करके भाराब लेते हैं और पीते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और हो रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भाराब की दुकान सडक से कम से कम 500 गज की दूरी पर होनी चाहिये ताकि लोग वहां पर अपनी गाडियां खडी न करें और एक्सीडेंट्स न हों। चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि सैक्रेटरी आर0टी0ए0 जब सडक पर ट्रकों वगैरह के चालान करते हैं तो वे चालान कोर्ट में पे 1 होने चाहिए और कोर्ट को उन पर जुर्माना वगैरह कना चाहिए लेकिन उस हरियाणा प्रदे 1 के अंदर सैक्रेटरी आर0टी0ए0 खुद चालान करता है और उसी को उन चालानों का फैसला करने के अख्तियार दिए गए हैं इसका मतलब यह हुआ कि -

वही कातिल वही मुखबर वही मुनसब ठहरे,

अकरबा मेरे करे खून का दावा किस पर।

चेयरमैन साहब, वही जज हो, वही मुखबर हो, वही मुनसब हो और वही कातिल हो तो यह बात कहां तक ठीक है ? इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ट्रकों वगैरह के चालान

कोर्ट में पे 1 होने चाहिए और सैक्रेटरी आर0टी0ए0 को उनका फैसला करने की पावर नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा फूड एंड सप्लाइज मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के अंदर सीमेंट वितरण के लिए जो लेवी की सीमेंट आती है उसकी एक भी बोरी हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं आई। आज मार्किट में 60—70 रूपयों की फी बोरी सीमेंट की मिल रही है। लेवी की 100 बोरी सीमेंट आती तो वह सीमेंट गरीब आदमीयों को 35 रूपये बोरी के हिसाब से मिल जाता है, लेकिन लेवी की एक भी बोरी सीमेंट हमारे प्रान्त में नहीं आई है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में लेवी की सीमेंट जरूर आनी चाहिए। इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ।

चौधरी राजेन्द्र सिंह (बल्लभगढ़): चेयरमैन साहब, सदन में सभी महत्वपूर्ण डिमांडज पर चर्चा चल रही है। मैं सबसे पहले डिमांड नम्बर 14 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। जो फूड एंड सप्लाइज महकमे से संबंधित है। यह डिमांड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस डिमांड के बारे में अपने विचार प्रकट करने से पहले मैं फूड एंड सप्लाइज मिनिस्टर साहब सरदार लछमन सिंह जी की सराहना करते हुए उनको बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने इस महकमे में बहुत अच्छा काम किया है। चेयरमैन साहब, हमारे विपक्ष के साथियों ने कभी सीमेंट के बारे में और कभी चीनी के

बारे में फूड एंड सप्लाइज विभाग की बहुत आलोचना की है।
चेयरमैन साहब, जहां तक सीमेंट की बात है। वह काफी मेहनत के
बाद तैयार होती है। आज सीमेंट की सारे हरियाणा में किल्लत है।
(इस समय उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस डिमांड
पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन आप के माध्यम से मंत्री महोदय
से निवेदन करूंगा कि इस दिना में और ठोस कदम उठाने
चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, बस स्टैंड पर खाने पीने की जो
चीजें दी जा रही हैं वे ठीक नहीं दी जा रही। इन खाने की चीजों
पर मक्खियां बैठी रहती हैं और देहात के लोग उन चीजों को
सस्ती समझ कर खा लेते हैं। हमारे देहात के भोले भाले किसान
भाईयों को भाहर के लोगों की अपेक्षा सफाई का पूरा ज्ञान नहीं
होता। इसलिए वे इन्हें सस्ती चीज समझ कर खा लेते हैं और
बाद में बीमार हो जाते हैं। इस संबंध में जब हम पब्लिक हैल्थ
और फूड एंड सप्लाइज से बातें करते हैं तो ये कहते हैं कि वह
हमारे अदायरे में नहीं हैं इस संबंध में मेरी इनसे गुजारि है कि
इस और विशेष ध्यान दिया जाये ताकि गंदी चीजें वहां पर न
बेची जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के अंदर पीने के
पानी की सुविधाओं के बारे में बहुत डिवलपमेंट हुई है। उपाध्यक्ष
महोदय, मेरे क्षेत्र बल्लभगढ में पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा
रही है। मेरे क्षेत्र के साथ नागर साहब का भी क्षेत्र है। वहां पर

बहुत गहरे ट्यूबवैल्ज लगाये जा रहे हैं। इन ट्यूबवैल्ज के जरिए पानी निकाल कर दूसरे क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है। दूसरे क्षेत्रों में भी पानी जाना चाहिए। उन लोगों को भी पानी की आवश्यकता है लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गहराई में ट्यूबवैल्ज लगाने से और पानी दूसरे इलाकों में भेजने से हमारे वहाँ पर काफी गहराई तक पानी नहीं रहा। इससे वहाँ की जनता काफी परेशान है। अब वहाँ पर हैंड पम्पस और ट्यूबवैल्ज को काफी गहरा लगाने पर भी पानी नहीं मिलता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सभी गांवों में पीने के पानी का भीघाति पीघ प्रबंध करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, क्वैचन आवर के दौरान भी यहाँ पर बताया गया था कि जहाँ पर पीने के पानी की समस्या है वहाँ पर पानी उपलब्ध कराया जायेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में पानी की इतनी दिक्कत हो गई है कि मीठा पानी तो क्या खारा पानी भी नहीं मिल रहा। इसलिए मेरी दुबारा प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं 25 जो टूरिस्ट के बारे में है उसके संबंध में भी कहना चाहता हूँ। आज हरियाणा के अंदर हरियाणा टूरिज्म ने अपने देश में ही नहीं बल्कि सारे संसार में अपना नाम कमाया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए कि हमारा काम अच्छा है और हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जायें अभी इस दिशा में बहुत काम करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़े भार्म की बात है

और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड रहा है कि जो टूरिस्ट हमारे टूरिस्ट काम्पलैक्स के अंदर जाते हैं उनको गंदे से गंदा लिट्रेचर दिया जाता हैं। उसमें कुछ इस तरह की बातें होती हैं जिससे हमारे नौजवानों पर बुरा असर पडता है। इसमें स्त्रियों के नंगे चित्र भी होते हैं जिनको पढने हमारे नौजवानों पर बुरा असर पडता है। इसलिए मेरी सरकार से और टूरिज्म मिनिस्टर से प्रार्थना है कि इस और खासकर ध्यान दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भुरु से ही हमारा प्रांत संस्कृति के क्षेत्र में सारे दे । में पहले नंबर पर हैं। हमारा प्रांत हमारे दे । की प्राचीन कला का भुरु से ही केन्द्र रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है कि कुरुक्षेत्र जिले के अंदर हमारा जो टूरिस्ट काम्पलैक्स है उसके अंदर गीता का अनुवाद करके दिया जाना चाहिए। यह अनुवाद कम से कम कीमत पर लोगों को देना चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीद सकें ताकि इसको पढने से हमारी संस्कृति का प्रचार हो सके। कुरुक्षेत्र की धरती पर श्री कृष्ण जी महाराज नेम अपना उपदे । दिया था। इसी प्रकार से रोहतक के अंदर जो हमारा टूरिस्ट काम्पलैक्स है वहां पर महर्षि दयानन्द की जीवनी पर आधारित बुकलैट देनी चाहिए ताकि हमारी संस्कृति का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके। बाहर के लोग बे ।क इन टूरिस्ट काम्पलैक्स में भाराब पीने के लिए आएँ लेकिन जब वे इन बातों का पढेंगे और समझेंगे तो वे अपनी भाराब पीना छोडने की भी सोचेंगे। इसके साथ साथ में इसके मुताल्लिक एक बात और कहना चाहता हूं कि

मेरे इलाके के लोगों ने और मैंने स्वयं मंत्री महोदय से बल्लभगढ के अंदर एक कम्पलैक्स खोलने के लिए कई बार कहा है और दरखास्त भी लिख कर दी है। बल्लभगढ के अंदर हजारों आदमी देहली से और होडल आदि से आते हैं देहली और होडल के बीच 100 किलोमीटर का फासला है। बल्लभगढ में काफी संख्या में लोग आने से उस स्थान का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। टूरिस्ट कम्पलैक्स न होने की वजह से बंबई और आगरा जाने वाले यात्रियों को भी कठिनाई होती है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बल्लभगढ के अंदर टूरिस्ट कम्पलैक्स अब य खोला जाना चाहिए।

13.00 बजे।

सबसे महत्वपूर्ण डिमांड नौ नम्बर पर अब मैं बोलना चाहता हूं। यह एजुके िन विभाग से संबंधि है। उपाध्यक्ष महोदय, सारे प्रान्त के लिए फखर की बात है कि इस सरकार ने ि िक्षा के क्षेत्र में बडा भारी कार्य किया है। हर गांव में प्राईमरी स्कूल, दो किलोमीटर के फासले पर मिडिल स्कूल और तीन चार किलोमीटर के फासले पर हाई स्कूल का प्रबंध किया है जिसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। अभी दो चार दिन पहले हमारे विपक्ष के तथा रूलिंग पार्टी के सदस्यों ने नैतिक ि िक्षा पर अपने विचार रखे थे। नैतिक ि िक्षा का रैजोल्यू िन विपक्ष के नेता श्री मूल चन्द जैन जी लाये थे। उस पर स्वामी अग्निवे ि तथा मूल चन्द जैन जी की ओर से बहुत ही मूल्यवान सुझाव सदन में आये। मैंने

उस दिन भी अपने विचार रखते हुए कहा था कि पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है जिनसे भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनके जीवन चरित्र को पाठ्यक्रम में अवश्य जोड़ा जाना चाहिए। स्वामी दयानन्द जी के विषय में सारा देश जानता है। स्वामी दयानन्द का हमारे राष्ट्र को ऊंचा उठाने में महान योगदान है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के बच्चों के पाठ्यक्रम में स्वामी दयानन्द जी का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। उनके महान योगदान के विषय में जब बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चों पर असर पड़ेगा। जब हम देश के इतिहास को उठा कर देखते हैं तो स्वतंत्रता के संग्राम में महर्षि दयानन्द का बहुत बड़ा योगदान था। जिन नेताओं ने महात्मा गांधी के साथ सहयोग देकर देश का स्वतंत्र कराया था उस पर महर्षि दयानन्द जी की शिक्षा का बहुत असर था। संघर्ष के परिणामस्वरूप देश आजाद हुआ। जिन लोगों ने देश को आजाद कराया उनके जीवन चरित्र अवश्य पाठ्यक्रम में आने चाहिए। आप यह भी जानते हैं कि देश को आजाद कराने में आर्य समाज का भी बड़ा भारी योगदान रहा है। आर्य समाज से शिक्षा लेकर ही उन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। मैं और अधिक न कहता हुआ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र के विषय में अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं भावों के साथ मैं आपको धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

चौधरी भागी राम (एलनाबाद, अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, समस्या बजट पर बहस हुई। उसके बाद डिमांडज पर आज बहस हो रही है। सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार हाउस के सामने रखें मैं भी पांच सात डिमांडज पर दो दो मिनट के लिए अपने विचार रखना चाहता हूँ। सब से पहले मैं सडकों के विषय में अर्ज करना चाहता हूँ। सडकों के विषय में मेरा क्वै चन भी था लेकिन सरकार की ओर से कोई तसल्लीबख्भा जवाब नहीं मिला। मेरे हलके में धर्मपुरा, संतोकपुरा, भाहीदा मजील थोड, घमोड थोड, रामपुर थोड आदि आदि गांवों की सडकें अधूरी पडी हैं। इन सडकों पर मिटटी डाल दी गई है। लेनि उन्हें पक्की नहीं बनाया जा रहा है। चौधरी देवी लाल जी ने इन सडकों को मंजूर किया था लेकिन आजकल सरकार भेदभाव का बर्ताव कर री है। अपोजि इन मैम्बर्ज के हल्कों की ओर यह सरकार कोई ख्याल नहीं करती है। उनके हल्कों में एक भी सडक पक्की नहीं बनायी है। आपको यह भी पता होगा कि चेयर की ओर से कई बार मंत्रियों को ताडा गया है कि आप अपोजि इन के मैम्बर्ज के हल्के की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। यहा हाउस में कहते हैं हम बहुत काम कर रहे हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नंबर 14 के विषय में अर्ज करना चाहता हूँ। सरकार की चीनी वितरणर की नीति बहुत ही गलत है। दिल्ली में गरीब आदमी को 900 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी दी जाती है जबकि चण्डीगढ़ में 500 ग्राम प्रति

व्यक्ति दी जाती है और गांव में 250 और 300 ग्राम प्रति व्यक्ति दी जाती है। आप ही अन्दाजा लगायें कि गांव के गरीब हरिजनों और मजदूरों के साथ कितना खिलवाड किया जा रहा है गरीब लोगों को यह सरकार बेवकूफ बना रही है। अगर हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तो सरकार कहती है कि ठीक ढंग से बात नहीं करते। हम यह नहीं कहते कि दिल्ली में 900 ग्राम क्यों मिल रही है ? हम चाहते हैं कि गांवों में भी नौ सौ ग्राम मिलनी चाहिए।

अब मैं डिमांड नंबर 13 पर जो समाज कल्याण विभाग के विशया में है, अर्ज करना चाहता हूँ। चण्डीगढ़ में हरियाणा हरिजन कल्याण निगम बनी हुई है। इस नाम पर बड़ा भारी कलंक है। इसके नाम के बारे में मेरा सुझाव है इसका नाम बदल कर हरिजन मांग निगम रख दिया जाये। हरिजनों के साथ इनता खिलवाड किया जा रहा है जिसके विशय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस निगम की डेढ साल से कोई भी मीटिंग नहीं हुई। आज से तीन साल पहले जिन लोगों के दो दो हजार रूपये मंजूर किये थे उन्हें आज तक भी नहीं दिये।

इसी प्रकार से प्लाटस के मामले में भी बड़ा भारी स्कैंडल हुआ है। बड़े बड़े लोगों काचे प्लाटस दिए जा रहे हैं। किसी मिनिस्टर के रि तेदार को दिया गया है लेकिन हरिजनों को प्लाटस नहीं दिये जा रहे हैं। मैं एलनाबाद की घटना की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। 22.3.82 को यह खबर अखबारों में भी छपी थी कि प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी पटियाला में

नहर की खुदाई का िालान्यास करने के लिए आ रही हैं। जिस प्रकार से चौधरी भजन लाल जी एलनाबाद में एक पुल का उदघाटन करने जा रहे हैं और उनके लिए सडक बनायी जा रही है। सडक बनाते समय चीफ मिनिस्टर साहब के लिए रास्ताच देने हेतु जो रास्ते में मकान आये उन्हें गिरा दिया गया है। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी िालान्यास कर रही हैं और उसी तरह से उनके रास्ते में आने वाले मकान गिरवा दिये हैं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह): ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं डिप्टी स्पीकर साहब, आप ही देखिए ये हरियाणा के खौरखाह बोली रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं।

चौधरी भागी राम: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड पर ही बोल रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि एलनाबाद में चौधरी भजन लाल जी एक पुल का उदघाटन करने जा रहे हैं उनके लिए सडक बनायी जा रही है। उस सडक पर पांच छः घर कुम्हारों के पडते थे जिन्हें चीफ मिनिस्टर साहब के लिए रास्ता देने हेतु गिरा दिया गया है। एलनाबाद में सरकार ने एमरजेंसी लगा रही है।

सरदार तारा सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सारी जगह देख कर आया हूं मैंने वह रास्ता भी देखा है जिससे आकर उन्होंने िालान्यास करना है। कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपके द्वारा पूछना चाहूंगा कि जो

जगह पंजाब में एक्वायर की जा रही है उसके बारे में क्या इस हाउस में बात हो सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं हो सकतीं

चौधरी भागी राम: हरिजनों के साथ खिलवाड हो रहा है। सरकार ने नीति बनाई है कि बीस सूत्री प्रोग्राम के तहत गरीबी दूर करेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे ब्लॉक में एक एस0डी0ओ0 ने हरिजनों की बस्तियों में लाइट लगवाने के लिये तार और दूसरा बिजली का सामान ले लिया लेकिन उसने कहीं भी बिजली नहीं लगवायी। एस0डी0ओ0 पांच दस लाख का सामान बेच कर खा गया परन्तु सरकार ने आज तक उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की, बल्कि उसको इनाम दिया गया। (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: आप लिखकर दे दें

चौधरी भागी राम: इनाम यह मिला कि पहले तो एक बार उसको सस्पेंड कर दिया लेकिन फिर बहाल कर दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, आप ही देखिए कितना अन्याय है

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपका समय हो गया है। आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान व भाोर) माननीय सदस्यगण डिमांडज पर बोलने वाले सदस्यों की संख्या अभी काफी है। यदि

हाउस सहमत हो तो हाउस का समय 30 मिनट बढ़ा दिया जाए।
(व्यवधान व भाोर)

आवाजें: नहीं जी, 15 मिनट ही काफी है। (व्यवधान व
भाोर)

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है। हाउस का समय 15 मिनट
बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1982-83 के बजट की डिमान्डज फार ग्रान्टस पर चर्चा

तथा मतदान (पुनरारम्भ)

स्वामी अग्निवे 1: उपाध्यक्ष महोदय, आज जो मांगे हाउस में पे 1 की गई हैं, मैं उनमें से मांग संख्या 12, 16 और 9 पर बोलना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का विशेषकर खेद है कि सरकार ने करोड़ों रूपये की मांगें तो इस सदन के सामने पे 1 कर दी हैं लेकिन अभी तक भी सदन के सामने अपनी औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति स्पष्ट नहीं की है। औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति अभी तक भी अस्पष्ट रहने का नतीजा यह है कि करोड़ों रूपया इस प्रदेश का खर्च हो जाएगा लेकिन उसको परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। हरियाणा के अंदर आर्थिक और सामाजिक विशमताएं यों की यों ही बनी रहेंगी। मैं सरकार को आज औद्योगिक नीति के बारे में आपका

ध्यान कुछ समय के लिए आकर्षित करना चाहता हूँ। हरियाणा में एक स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट कार्पोरेट इन है। हमें बड़ी भारी महसूस होती है जब इसके बारे में हमें तरह तरह की चर्चाएं सुननी पड़ती है। आप स्वयं भी उपाध्यक्ष महोदय, जानते हैं कि इसके अंदर जो चेयरमैन साहब, या एम0डी0 होते हैं वे क्या काम करते हैं वे सिवाये विदे गों में घूम कर बड़े बड़े होटलों में ठहरने के और हरियाणा की जनता का पैसा बरबाद करने के दूसरा कोई काम नहीं करते। वे विदे गों में आर्डर लेने के नाम पर जाते हैं लेकिन वहां पर सिवाये अपने काम करने या घूमने के दूसरा कोई काम नहीं करते। पता नहीं उन्होंने आज तक क्यों कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखाया है। अभी जो सदन में एक रिपोर्ट पे गयी, उसके अंदर आडिटर जनरल ने बाकायदा यह आबजव इन किया है कि यह जो विदे गों में इतना पैसा खर्च किया गया है यह सब बेकार है क्योंकि एक भी आर्डर वहां से यह लाने में असफल रहे हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इस कार्पोरेट इन को वाईड आप कर देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस कार्पोरेट इन में जो दूसरे स्कैंडल हुए हैं, मैं उनकी चर्चा आज नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसके लिए अलग से मोड इन लाना चाहता हूँ। लेकिन वह बुनियादी नीति जिसकी सरकार को घोशणा करनी चाहिए थी वह अभी तक नहीं की। सरकार द्वारा यह घोशणा पहले कई बार की जा चुकी है कि हम गांवों में उद्योग लगायेंगे। गांवों में जो कपडा बनाने का काम पहले होता था। वह अब भाहरों में हो रहा है। पहले जो छोटी मोटी रोजमर्रा की चीजें गांव में बनती

थीं, वह उद्योग अब गांवों में नहीं चल रहे हैं। वह अब कहां पर बन रही हैं ? वह बड़े बड़े कारखानों में बन रही हैं। इन्होंने उनके मुंह की रोटी छीन ली और उनसे रोजगार भी छीन लिया। होना तो यह चाहिए था कि जनता पार्टी ने जो नीति लागू की थी कि गांव वाली ही गांवों में उद्योग लगायें वही जारी रहनी चाहिए थी लेकिन इन्होंने उसको बदल दिया। चौधरी चरण सिंह इस के बारे में 15/20 साल से जोर देकर कहते चले आ रहे हैं कि ऐसे उद्योग गांव में ही लगाए जाने चाहिये। पहली पालिसी को बदल दिया गया है। हमारी कोई कैपिटल इन्टैंसिव इकौनोमी नहीं है हमारी तो लेबर इन्टैंसिव इकौनोमी है। जहां पर पैसा बहुत होता है जैसे इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका कंट्रीज तो कैपिटल इन्टैंसिव इकौनोमी को चला सकते हैं लेकिन हम इस इकौनोमी को नहीं चला सकते। हमें तो लेबर इन्टैंसिव इकौनामी को चलाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। हम अब भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा कर बड़े बड़े अमीरों की तिजोरियों भरने लग रहे हैं। हमें चाहिए कि हम गांवों में ही छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगायें ताकि वहां के गरीब आदमी को रोजगार मिल सकें और उसका प्रोफिट उन को ही मिले। मैं यह कहता हूँ कि सरकार केवल यह सोच कर कि पहली पालिसी जनता सरकार की पालिसी थी इसलिए उप सर अमल न करें यह कोई अच्छी बात नहीं है जो कोई भी अच्छी बात हो उस पर तो अमल करना ही चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि गरीब आदमी को रोजगार मिले तो हमें लेबर इन्टैंसिव इकौनोमी के हिसाब से चलना होगा भिवानी के अंदर

टी0आई0टी0 बंद होनी चाहिए इसके इलावा जो दूसरी बड़ी बड़ी कपडा बनाने की मिलें हैं वह बंद होनी चाहियें। अगर उन्होंने बनाना ही है तो वे एक्सपोर्ट के लिए कपडा बनायें। हरियाणा के बाजारों में इन बड़ी बड़ी मिलों का बना हुआ कपडा अलाऊ नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह से जूता बनाने के बारे में बाटा की फ़ैक्ट्री फरीदाबाद में लगाई हुई हैं मेरा कहना यह है कि इन बड़ी बड़ी फ़ैक्ट्रीज को जो जूते बनाकर बाजार में बेचती है बंद किया जाना चाहिए और हमारे देहात के मोची का बना हुआ जूता बिकना चाहिए। आपको भायद पता होगा कि यह एक मल्टी नै ानल कम्पनी है। यह हमारे दे ा की नहीं यूरोप के किसी दे ा की कंपनी है जो लाखों करोड़ों रूपया कमा रही है जबकि हमारे गांव का मोची भूखा कर रहा है।

चौधरी ई वर सिंह: क्या आपने देसी कपडे पहने हुए हैं ?

स्वामी अग्निवे ा: जी हां, मैं खादी बोर्ड का बना हुआ कपडा पहनता हूं। चौधरी ई वर सिंह जी, मैं आप की तरह से नहीं हूं कि कहता कुछ और हूं करता कुछ और हूं। घडी भी मैंने एच0एम0ओ0 की बांध रखी है। जो कि पिंजौर की बनी हुई हैं
..... (व्यवधान व भाोर) उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस नीति पर अमल किया जाए तो लाखों करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा और हरियाणा के माथै से बेरोजगारी का कलंक मिट जाएगा। गांवों के लोगों की कुछ परचेजिंग पावर बढेगी वरना यह

हमारी अर्थ व्यवस्था सारी की सारी पूंजीपतियों के हाथ में चली जायेगी और गरीब यूँ ही पिसलत रहेंगे। हरियाणा सरकार ने जो अपनी मांगे इस हाउस में पे 1 की हैं इनके अंदर कहीं इस बात का परिचय नहीं मिलता कि सरकार अपनी गलत नीतियों को बदल कर ठीक रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैं तमाम हाउस से यह अपील करता हूँ कि इंडस्ट्रीज के नाम पर विशेषकर जो मांग रखी गयी हैं इसको मंजूर नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि अभी तक भी इन्होंने अपनी नीति इस बारे में स्पष्ट नहीं की है।

इससे आगे मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि आज बच्चों की पढाई के बारे में भी चन्द बातें मैं यहां पर अर्ज करना चाहूंगा। आप यह देखते हैं कि 8 साल का बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके कंधों पर किताबों का बहुत बडा बोझ लाद दिया जाता है। अरे जिस बच्चे को खेल खेल में कुछ सिखाना चाहिए था उस बच्चे को आप किताबों के बोझ से लाद कर मारना चाहतो हो। यह कौन सी अच्छी शिक्षा नीति है। यही नहीं, अध्यापकों के साथ आप ही देखिए कैसा व्यवहार हो रहा है। आज कोई भी अध्यापका गांव में नहीं जाना चाहता। आज अध्यापको भाहरों के आसपास रहना पसंद करते हैं। आज अध्यापका चंडीगढ और करनाल के अंदर ट्रांसफर करवाके उसके 5 मील के एरिया के अंदर रहता है और वह गांवोसं में हरने वाले अध्यापकों के बनिस्बत पौने दो रूपया एकस्ट्रा लेता है। मैं

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सदन में शिक्षा मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा। चाहिए तो यह था कि शिक्षा मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी इस बात की डायरेक्टिवान देते कि जो गांवों में पढाने वाले अध्यापक हैं उनको ग्रामीण भत्ता दिया जाएगा। अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ रहती है तो मैं यह कहूंगा कि यह सरकार देहात की जनता की दुःमन सरकार है। यह सरकार गांवों के लोगों को आगे नहीं बढने देना चाहती। उपाध्यक्ष महोदय, राई में स्पोर्ट्स स्कूल है। आपने भी उस स्कूल को कई बार देखा होगा। जब शिक्षा मंत्री श्री हीरा नन्द आर्य जी होते थे तो मेरे एक सवाल के जवाब में उन्होंने लिखित रूप में बताया था कि इस स्कूल के अंदर सरकार एक बच्चे की पढाई पर 6118 रूपये खर्च कर रही है और आम स्कूलों के अंदर हरियाणा में कुल मिलाकर 126 रूपये खर्च हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन बच्चा पढता है राई जैसे स्कूल के अंदर कौन पढ सकता है। देहरादून के अंदर नैनीताल के अंदर या मंसूरी के अंदर या सनावर के स्कूलों के अंदर। इनमें केवल अमीरों के ही बच्चे पढते हैं। दूसरी तरफ सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम की बात कहती है। ईमानदारी का तकाजा यह है कि सारे बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके बाद उस बच्चे की योग्यता के ऊपर होना चाहिए कि वह कितनी योग्यता रखता है। अच्छी योग्यता वाला बच्चा अपने आप कम योग्यता वाले बच्चे से आगे निकल जायेगा। यह नहीं होना चाहिए कि कम योग्यता वाला किसी मिनिस्टर साहब का बच्चा हो या किसी अमीर आदमी का बच्चा हो तो वह आगे

निकल जाए और अधिक योग्यता वाला बच्चा चूँकि गरीब आदमी का बच्चा है, वह पीछे रह जाये। इसलिए मैं चौधरी देस राज जी से यह अनुरोध करूँगा कि ऐसी शिक्षा नीति में मूल चूल परिवर्तन किए जाने चाहियें। जब तक शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक इस मांग के लिये पैसे देना व्यर्थ है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए जिसमें हाथ से काम करना सिखाया जाये। प्रौडैक्टव एजुकेशन होनी चाहिए ताकि आज के नौजवाचन प्रौडैक्टव शिक्षा लेकर अपने पांव पर खड़े हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मैडिकल और पब्लिक हेल्थ की डिमांड सदन में रखी हैं। इस सदन में सदैव ही एक जिक्र होता है कि फलां जगह पचास बैड का अस्पताल खोला जा रहा है। फलां गजग पांच सौ बैडज का अस्पताल खोला जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक प्रणाली और यूनानी प्रणाली पर भी जोर देना चाहिए। उनका भी विस्तार किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, एक और पद्धति है जिसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं और जिसमें मिट्टी और पानी से इलाज किया जाता है। महात्मा गांधी भी इसी चिकित्सा से काम चलाते थे। यह चिकित्सा काफी सस्ती है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वइ इन पद्धतियों का भी विस्तार करें। ऐलोपैथिक चिकित्सा से ये पद्धतियां काफी सस्ती हैं और लाभदायक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदे 1 में टूरिस्ट के नाम पर लाखों रूपया खर्च किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि टूरिस्ट कार्पोरे 1न के जितने भी सेंटर हैं उनको बंद करके योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए प्रयोग करने चाहिए। इस तरह से लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक नई कल्पना और नई योजना भुरू हो सकती है। इन्हीं भाब्दों के साथ मैं इन मांगों का विरोध करता हूं।

श्री जय नारायण वर्मा (बरवाला): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं डिमांड नंबर 8, 10, 12 और 23 के बारे में बोलना चाहता हूं। मैं बोलते हुए आलोचना नहीं करूंगा सरकार के सामने कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं कि ग्रामीण औद्योगिककरण के नाम पर आज हरियाणा में जो योजनाएं चल रही है। उनका दीवाला पिटता जा रहा है। आज ग्रामीण युवकों के सामने सबसे बड़ी समस्या मार्किटिंग की समस्या है। गांवों के अंदर जो यूनिटस लगे हैं चाहे कोई दस्तकारी की यूनिट है और चाहे किसानों के लीए इम्प्लीमेंटस बनाने की यूनिट है सभी को मार्किटिंग की प्रोबलम है। इसके बारे में मैं तीन सुझाव देना चाहता हूं। 1. सरकार के जितने विभाग हैं उनको ग्रामीण उद्योगों में तैयारकी गई चीजें खरीदनी चाहियें। पूंजीपतियों द्वारा बनी चीजें वे न खरीदें। अगर किसी विभाग को ऐसी चीज की आव यकता है जो

ग्रामीण यूनिट में तैयार नहीं होती उसी को बाहर मार्किट से खरीदें। 2. ग्रामीण यूनिट में तैयार चीजों को बेचने के लिए हरियाणा हरिजन कल्याण निगम और हरियाणा बैकवर्ड क्लासिज कल्याण निगम जगह जगह पर अपनी दुकानें खोले और ग्रामीण यूनिट्स द्वारा तैयार की गई वस्तुएं हमारे कंज्यूमर स्टोर्ज और इन निगमों द्वारा खोली गई दुकानों पर बिकनी चाहिए और हर सरकारी विभाग को हिदायत होनी चाहिए कि वे इन चीजों को ही खरीदें। तीसरी बात यह है कि ग्रामीण उद्योगों को जिन्दा रखने के लिए यह जरूरी है कि इन यूनिट्स को रा मैटिरियल दिया जाए। जैसे सीमेंट है लोहा है और दूसरा रा मैटिरियल है वह इनको दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, गांवों के अंदर कुछ परम्परागत उद्योग हैं उनको हम भुला नहीं सकते मेरे ऐसा कहने से यह न समझें कि मैं किसी विशेष जाति के बारे में कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में तीन लाख कुम्हार हैं और उनका उद्योग नश्ट होने जा रहा है। अपना उद्योग चलाने के लिए उनको मिट्टी चाहिए लेकिन वह उसनको नहीं मिलती है। मेरी प्रार्थना है कि मिट्टी के लिए उनको जमीन मिलनी चाहिए। (गोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, सबसिडी के मामले पर मैं पहले कह चुका हूं इसको मैं दोहराउंगा नहीं।

अब मैं बी0एण्ड आर0 के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें कोई भाक नहीं कि आज एक तरफ डबल लिंक दिए जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में ग्यारह ऐसे

गांव हैं जहां डबल लिंक क्या सिंगल लिंक भी नहीं बने हैं। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हर गांव जिसकी आबादी अठाई सौ है वहां पर सडक देंगे लेकिन मरे यहां ग्यारह गांव हैं और उनकी आबादी अठाई सौ से ज्यादा हैं लेकिन इन गांवों को कोई सडक नहीं दी गई है। ये गांव हैं ढानी

श्री उपाध्यक्ष: इनके नाम पर आप लिखकर भेज देनां

श्री जय नारायण वर्मा: ठीक है इन गांवों के नाम में लिख कर भेज दूंगा। मेरा कहना तो केवल यही है कि कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां सिंगल लिंक रोडज भी नहीं हैं और दूसरी तरफ डबल लिंक का प्रावधान किया जा रहा है।

अब मैं डिमांड नं0 23 जो परिवहन विभाग के बारे में है। कहना चाहता हूं कि परिवहन विभाग में ने अनल परमिअ देने के मामले में बहुत घोटाला हुआ है। ने अनल परमिट देने के मामले में गलत सलाह दी गई इसलिए यह घोटाला हुआ है। इसमें अधिकारियों को भी घसीटा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, पोलिटीकल आदमियों के दबाव में आकर या उनके कहने से अगर अधिकारियों ने कोई काम किया तो ऐसी हालत में अधिकारियों को घसीटना ठीक नहीं है। अब मैं डिमांड नं0 9 के बारे में कहना चाहता हूं

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बैठ जाइये। अब कंवर राम पाल सिंह जवाब देंगे।

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नंबर आठ पर बोलते हुए मेरे साथियों ने चर्चा की है

वाक आउट

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकर साहब, आप मुझे समय दीजिए। मुझे कोई समय नहीं दिया जा रहा है। सब लोग बोल चुके हैं लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बोला हूँ। मैं भी यहां चुनकर आया हूँ

श्री उपाध्यक्ष: आप अकेले 45 मिनट बोल चुके हैं।
(तोरह

आपको 45 मिनट दिए गए हैं। आप कल बोल लेना
(तोर एवं व्यवधान) आप ऐप्रोसिए इन बिल प0र कल बोल लेना।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: अगर आप मुझे आज बोलने के लिए समय नहीं देते तो मैं सदन से वाक आउट करता हूँ।

(इस समय चौधरी जगजीत सिंह पोहलू सदन से वाक आउट कर गए।)

वर्ष 1982-83 के बजट की डिमांडज फार ग्रान्टस पर
चर्चा तथा

मतदान (पुनरारम्भ)

कंवर राम पाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नंबर 8 पर बोलते हुए मेरे साथियों ने कुछ चर्चा की है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जिसने सडकों के मामले में सारे हिन्दुस्तान में पहले की है। हरियाणा में हर गांव को जो डायरैक्टरी पर है सडक से जोड दिया गया है जो कि हिन्दुस्तान में कोई स्टेट नहीं मिला सकी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी स्टेट में 6741 गांव डायरैक्टरी के हैं जिनमे से 173 गांव ऐसे हैं जिनको सडक से नहीं मिला पाए हैं। ये गांव ऐसे हैं जो या तो खाद के हैं या सैमी हिली एरिया में हैं या साहबी नदी के नजदीक के हैं। आठ गांव ऐसे हैं जहां पर जमीन के बारे में झगडा चला हुआ है। वे लोग कोर्ट में चले गये हैं और कोर्ट में अभी फैसला नहीं हुआ है। इसलिए वे गांव सडकों से नहीं मिल पाए हैं।

श्री मूल चन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने डायरैक्टरी विलिजिज तो बता दिए लेकिन यह नहीं बताया कि नौन डायरैक्टरी विलिजिज कितने हैं ?

कंवर राम पाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, नौन डायरैक्टरी विलिजिज के बारे में पिछली दफा मुख्य मंत्री महोदय ने इस हाउस के अंदर अ योरेंस दी थी कि सभी गांवों को

सिंगल लिंक देने के बाद नौन डायरेक्टरी विलिजिज जिनकी मैदानी इलाकों की आबादी 250 होगी और हिली एरिया की आबादी 150 होगी का सर्वे करवाया जाएगा और सर्वे कराने के बाद सरकार फैसला करेगी कि उनमें से किन गांवों को सड़क पहुंचानी है। डिप्टी स्पीकर साहब, नौन डायरेक्टरी विलिजिज का सर्वे कर लिया गया है और बजट पास होने के बाद इन गांवों को डुपलीकेट लिंक या सिंगल लिंक देने का फैसला किया जाएगा क्योंकि यह एक पौलिसी मैटर है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके इलावा मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि एक हजार किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं जिनका निर्माण कार्य चल रहा है उनमें से कुछ सड़कें ऐसी हैं लेकिन अभी तक अन्य काम पूरा नहीं हुआ है। इन सड़कों को पूरा करने के लिए लगभग 23 करोड़ रुपये की राशि की दरकार है लेकिन बजट में जितनी गुंजाइश होगी उसी को मद्देनजर रखते हुए हम सड़कों का काय्र करेंगे और उससे बाहर जाकर हम सड़कों का काम करने में असमर्थ हैं मैं हाउस को यह बताना चाहता हूँ कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है डिप्टी स्पीकर साहब, वर्ल्ड बैंक के पास इन प्रोजैक्ट्स की सहायता के लिए हमने प्रार्थना की हुई है लेकिन वह स्कीम अभी तक सिरे नहीं चढ़ पायी है। जब वर्ल्ड बैंक से हमारी स्कीम के मुताबिक क्लीयरेंस मिल जाएगी और हमें पैसा मिल जाएगा तो यह सड़कों के निर्माण का कार्य और तेजी से होने लगेगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर कई मैम्बर साहेबान, बोले हैं। लेकिन उन्होंने बजाये इसके कि कुछ सरकार को सुझाव दिये जायें सरकार के कामों की बिना वजह नुक्ताचीनी ही की हैं में श्री भागी राम जी के हल्के के बारे में ही यहां पर बताना चाहता हूं कि इन्होंने बोलते हुए यहां पर सरकारा को बडा ही क्रिटिसाइज किया है। कई मैम्बरों का तो यह काम है कि हमने तो सरकार के खिलाफ बोलना ही है चाहे सरकार अच्छे काम भी क्यों ने करे। जितनी सडकों का काम अकेले भागी राम जी के हल्के में किया गया है भायद ही किसी और एम0एल0ए0 के हल्के में किया गया है और फिर भी ये लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। नम्बर एक पर इनके हल्के काम किया गया है और नम्बर दो पर श्री भागमल जी के हल्के में सडकों का काम किया गया है। अगर हम यह ध्यान रखते कि यह रूलिंग पार्टी का एम0एल0ए0 है और यह अपोजि इन का एम0एल0ए0 है तो फिर काम भी उसी हिसाब से ही होता है। लेकिन हमने इस बात का कभी भी ध्यान नहीं दिया कि अपोजि इन के मैम्बरों के हलकों में कोई विकास का काम नहीं करना हैं आपको मैंने बताया कि मैक्सीमम काम हमने श्री भागी राम और श्री भागमल के हलकों में सडकों का काम किया है। इन लोगों को तो बजाये नुक्ताचीनी करने के सरकार का भुक्रगुजार होना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जो इलाके किसी डिवैल्पमेंट के मामले में पिछडे हुए थे चाहे

वह किसी भी विभाग से संबंधित हैं। सरकार ने अपनी पालिसी के अनुसार वहां पर डिवलपमेंट के काम किये हैं। यह नहीं देखा कि यह इलाके अपोजि इन सदस्यों से संबंधित है बल्कि हरेक इलाके में जरूरत के मुताबिक काम किये गये हैं

श्री मूल चन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है कि मुख्तलिफ विकास के कामों में दो भांत से काम किया गया है। यह मेरा सरकार के ऊपर खुला आरोप है क्योंकि अपोजी इन मैम्बर्ज के हल्कों में बहुत कम काम किया गया है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री दीप चन्द भाटिया: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे इलाके में कोई सडक नहीं बनाई गयी है।

कंवर राम पाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, बाबू जी दोभांत की बात करते हैं हमने अपोजि इन के मैम्बरों के हल्कों में भी मैक्सीमम सडकों का काम किया है। इसलिए मैं ज्यादा न कहता हुआ आपसे यह रिकवैस्ट करूंगा कि डिमांड नंबर 8 को पास किया जाए (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। कंवर रामपाल सिंह ने अपने हल्के में सबसे ज्यादा सडकें बनाई हैं और आदमपुर में भी सडकों का काम सबसे

ज्यादा किया गया है लेकिन हल्के में कोई काम नहीं हुआ है।
(गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा भी प्वायंट आफ आर्डर है। हमारे विपक्ष के लोगों ने ऐलीगे न लगाये हैं और बाबू मूल चंद जैन जी ने भी कहा कि अपोजि न के सदस्यों के हलको के साथ डिस्क्रीमीनेर न किया गया है। इसकी स्पोर्ट श्री भाटिया जी ने भी की है। यह जो वाटर वर्क्स की 652 स्कीमें थी उनमें 308 स्कीमें मिनिस्टरों के हल्कों में और 157 स्कीमें कांग्रेस (आई) के एम0एल0एज0 के हल्कों में और बाकी 187 सारे अपोजि न के मैम्बरों के हल्कों में बनाई गई और वे भी चौधरी देवी लाल जी के जमाने की बनाई गई है। इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो यू ही विकास के कार्यों का ढिंढोरा पीट रहे हैं।
(गोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने कैसा नंगा नाच किया है। (हंसी व भाोर)

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): डिप्टी स्पीकर साहब, अभी डाक्टर मंगल सैन जी ने बोलते हुए यहां पर यह कहा कि रोडवेज में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। मैं मानता हूं कि एक्सीडेंट्स बढ़े हैं लेकिन सारे दे 1 के हिसाब से आप अगर चलें तो भारत सरकार का पूना में एक इंस्टीच्यूट है वहां से अगर इस बारे में

आंकड़ें मंगवा कर देखे जाएं तो पता लग जाएगा कि हिन्दुस्तान में तो क्या सारी दुनिया में होते रहते हैं। अमेरिका में आप देखें सैकल्ड वर्ल्ड बार में लोग लडाईं में कम मरे थे और एक्सीडेंट्स से ज्यादा मरे थे क्योंकि वहां की आबादी बहुत ज्यादा है। डिप्टी स्पीकर साहब, जहां की आबादी ज्यादा होगी विहकल्ज ज्यादा होंगे वहां पर एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होंगे।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं राव बीरेन्द्र सिंह जी की मिनिस्टरी में था, देवी लाल की मिनिस्टरी में था और फिर भजन लाल की मिनिस्टरी में भी हम और डाक्टर साहब इकट्ठे रहे हैं जब तक हम इकट्ठे रहे उस वक्त तक तो मुझे देवता समझते थे लेकिन अब इनको पता नहीं क्या हो गया अब यह मुझे फजूल समझते हैं। इसके साथ साथ पोहलू साहब के बारे में कहना चाहता हूं कि उन्होंने जैसे कहा कि बसों का राष्ट्रीयकरण हुआ है और अब सरकार को चाहिये कि इस को खत्म करके प्राइवेट लोगों को बसों का रूट दे दिया जाए तभी समाजवाद आएगा। अगर पोहलू साहब ध्यान से पढ़ते और हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बीस सुत्रीय प्रोग्राम देखते तो इनको ज्ञान हो जाता कि समाजवाद के अंदर लोगों के पास ज्यादा प्रापर्टी नहीं होनी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमने तो लोगों की भलाई के लिये हतने काम किये हैं कि पहले लोगों को कहीं पर खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी लेकिन अब हमने जगह जगह पर बस

क्यू भौलटर्ज बना दिये हैं और लोगों को काफी सहूलियतें दी हैं लेकिन अपोजि उन के भाई तो केवल नुक्ताचीनी करने के हिसाब से ही यहा पर बोलते हैं वेसे उनके यहां पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिय अगर यह राष्ट्रीयकरण की बात करें तो उचित नहीं होग।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि मैं 1966 से विधान सभा का सदस्य चला आ रहा हूं पहले भी रहा हूं। हमें हथकड़ियां लगीं, जेलों में बंद किया गया, मीसा के तहत भी हम गिरफ्तार हुए, पुलिस रिमांड में भी रहें लेकिन हमने किसी रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर साहब के पास किसी की सिफारि नहीं कीह, किसी के आगे जाकर के हाथ नहीं जोंडें। किसी के पैर नहीं पकडै लेकिन ये जनसंघ वाले श्री विज साह रोज अपने अपने कामों के लिए हमारे पास आते रहते हैं और बैठे रहते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मैम्बरों ने मेरे बारे में और मेरे अम्बाला डिपो के बारे में कुछ बाते कहीं। श्री सूरज भान एम0पी0 मेरे दोस्त हैं उनसे इस बारे में पूछ लिया जाये। अगर मैं दोशी पाया जाऊं तो मैं मिनिस्टरी से तो क्या इस हाउस की मैम्बरि 1प से अस्तीफा दे दूंगा। मेरा महकमा सारे दे 1 में नम्बर एक पर है। महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा तीन स्टेटें ऐसी है जहां 100 प्रति 1त बसों का राष्ट्रीय करण है इन तीनों स्टेटों में सबसे अच्छा महकमा हमारा है। यह मै समझता हूं कि जो बसों लोकल

रूटस पर जाती हैं वे टूटी फूटी होती हैं। अब हम 2800 बसों का पलीट करने जा रहे हैं और अगर इसे 5600 का भी कर दें तो भी यह कमी पूरी नहीं कर सकते। एक बात यह भी कही गई कि बसों में भीड़ बहुत ज्यादा होती है हमने हैंडीकैप्ड, अंधों को, एम0एल0एज0 को और एम0पीज0 को सब फ़ैसिलिटीज दी हैं। ऐसा करने से हमारे महकमें को 5 करोड रू0 सालना के करीब नुकसान होता है। लेकिन चूकि ये जनता के हित की बातें हैं इसलिए हम और भी फ़ैसिलिटीज देंगे। हम ज्यादा से ज्यादा बस स्टैंड बनाएंगे और क्यू भौल्टर बनायेंगे और नई बसें लाकर देंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि डिमांड नंबर 23 को पास कर दिया जाये।

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):

डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नं0 12 के बारे में डा0 मंगल सैन जी ने एक दो बातें कहीं। एक तो उन्होंने किसी की मौत के बारे में जिक्र किया। मौत सेम लेबर के महकमे काच काई ताल्लुक नहीं है। इसका तो पुलिस के महकमे से ताल्लुक है। दूसरी बात उन्होंने सहगल पेपर मिल के बारे में कहीं कि वह मिल बंद हो गया। वह मिल फाइनेंस की वजह से बंद हुआ है। लेबर ट्रबल की वजह से बंद नहीं हुआ। अगर किसी भी फ़ैक्टरी में हडताल होती है तो हमारे अफसर मौके पर जाते हैं। आज हरियाणा की हजारों फ़ैक्ट्रियों में से केवल तीन में हडताल हैं। आज केवल 133 वर्कर हडताल पर हैं और 550 वर्कर ले आफ में हैं। इससे डा0 साहब

हमारे लेबर महकमे के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं इनको पता नहीं कि अपने वक्त की बातें कैसे याद आ जाती है। (गोर)

डा० बृज मोहन गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांचट आफ आर्डर है। मैं यह

चौधरी मेहर सिंह राठी: डा० गुप्ता जी, हमने 684 विकलांग लोगों को नौकरी दी है जिनमें लंगडें और अंधे ज्यादा हैं। इसलिए आप क्यों बोलते हैं। हमने 29 प्रति 100 विकलांगों को नौकरी दी है। (गोर) इन भाब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि डिमांड नं० 12 पास की जाए।

स्वास्थ्य तथा पर्यटन मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर): डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नं० 24 और 10 पर बोलते हुये मेरे साथी वीरेन्द्र सिंह जी ने कुछ सुझाव दिए उन पर गौर किया जाएगा। दूसरी तरफ डा० मंगल सैन जी ने कुछ बातें कहीं। उनकी यह बात तो गलत है कि हमने अय्या री के अड्डे बना रखे हैं। टूरिस्ट काम्पलैक्स जो बनाए गए हैं वे सबके फायदे के लिए बनाए गए हैं हर वीकर सैक 100 से लेकर ऊपर तक का ख्याल रखते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो बस अड्डे हैं वहां पर टूरिस्ट काम्पलैक्स अपनी दुकानें खोलें। डा० साहब का सुझाव बुरा नहीं है इस पर भी हम गौर कर लेंगे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब भी गौर कर लेंगे तथा जो अच्छे से अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर सकेंगे वह करेंगे।

उसके बाद स्वामी अग्निवे । जी ने एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के बारे में चर्चा की। इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने पीछे ही एक मीटिंग की है। आयुर्वेदिक पर पूरा बल देने के लिए और आयुर्वेदिक संबंधित इंस्टीच्यूट बनाने के लिए फैसला ले लिया है। और उस पर अमल भुरु होने वाला है। इन भावों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि डिमांड नं0 10 और 24 पास की जाए।

वित्त मंत्री (चौधरी खुर गिद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे काबिल साथियों ने सारी डिमांडज जो हाउस के सामने आई हैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है। मैं समझता हूं कि अब कोई ऐसी बात नहीं रहेगी है जो हाउस के सामने बताई जाये। मैं इतना कहना चाहूंगा कि स्वामी अग्निवे । जी का एक ही सिलसिला चलता है और वह लेबर से भुरु होता है और वही खत्म होता है। आज इन्होंने एक नई फिलौसफी पेश की कि जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं या कपडा मिलें हैं उन सब को बंद कर दो। अगर उनको बंद कर दिया जाये और मजदूरों को बाहर भेज दिया जाये तो पहले तो हम बॉडिड लेबर पैरा करवायेंगे फिर उसका इलाज करवायेंगे। इन कारखानों से हमें यह फायदा है कि एक तो यह हमाचरा रा मैटिरियल इस्तेमाल करते हैं और दूसरे इनमें मजदूरों को काम मिलता है। इन मिलों से जो प्रोडक्शन होती है पहले तो उससे हम अपनी जरूरत पूरी करते हैं और बाकी का माल हम बाहर के मुल्कों को भेजते हैं इनसे स्टैट को एक्साईज मिलती है और लोगों को नौकरी भी मिलती

है। इसलिए अगर हम इनकी फिलौसिफी की मानें तो इंडस्ट्रीज का सत्याना । करना पड़ेगा। ये सिवाए इस बात के और कोई बात नहीं करते क्योंकि दो चार जगह इनको बॉन्डिड लेबर के कोई केस मिल जाते हैं इनको चाहिए तो यह कि पहले ये हमारे अफसरों को बताएं ताकि अफसर उस बारे में पता कर सकें। लेकिन किसी भी चीज के लिए सन्से ।न करने के लिए हर मैटर कोम सिवाए कोर्ट के सीक्रेट रखा जाए तो मैं समझता हूं कि सिवाए स्टेट को बदनाम करने के और कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐंसा केस नोटिस में आता है जिसको हमारे अफसर नोटिस में नहीं लेते हैं

श्री मूल चन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने कहा कि स्वामी जी स्टेट को बदनाम कर रहे हैं यह स्टेट को बदनाम करने का सवाल नहीं है। सरकार की बदनामी हैं सरकार और स्टेट अलग अलग है। मैं यह कहता हूं कि गवर्नमेंट जो काल करतूत करती है इसलिए गवर्नमेंट बदनाम होती है हरियाणा स्टेट क्यों बदनाम हो। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी खुर गीद अहमद: बाबू जी जब आप सरकार में मंत्री थी उस वक्त भी आपकी तरफ से काले करतूत होते थे तो हमें बहुत भार्म आती थी। हम तो स्टेट और गवर्नमेंट को एक जैसी समझते हैं। (गोर)

डा० मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मीयां खुर गीद अहमद फरमा रहे थे कि स्वामी अग्निवे 1 अपनी बात लेबर से भुरू करते हैं और लेबर पर खत्म कर देते हैं। ये एसी बातें करके सिर्फ सन्से इन फैलाना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुकी है। लेकिन सरकार की सारी अकलमंदी का ठेका और ईमानदारी का ठेका मियां खुर गीद ने ही ले रखा है। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी खुर गीद अहमद: डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ सदस्यों ने आदमपुर और रतिया मंडी में प्लासट औक् इन करने के बारे में कुछ बातें कहीं। मैं उस बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि वहां पर 1980-81 में प्लाटस की ओपन बोली हुई है और बोली के वक्त हमने 1978-79 की प्राइसिज का बेस रखा था। उन मंडियों में दुकानों की कीमत में 540 परसेंट बढ़ौतरी है। आदमपुर मंडी के अंदर 10 मरले के प्लाटस पर 150 परसेंट बढ़ौतरी हुई है और 8 मरले के प्लाट पर 173 परसेंट बढ़ौतरी हुई है इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, रतिया मंडी के अंदर भी ओपन औक् इन में दुकानों की नीलामी हुई है। वहां पर दुकानों की ओपन औक् इन में 143 परसेंट की बढ़ौतरी हुई है। भाप कम फ्लैट की 110 परसेंट बढ़ौतरी हुई है और कौमि रियल बूथ की नीलामी में 153 परसेंट की बढ़ौतरी हुई है। डिप्टी स्पीकर साहब, जिस किसी आदमी को बोली देनी थी उसको वहां पर मौजूद होना चाहिए था। जिन आफिसर्ज ने वहां पर बोली करवाई है वे निहायत

ही ईमानदार आफिसर हैं और बडी ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। इन भाबदों के साथ मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मुखतलिफ विचार सुनने के बाद यह बाज जाहिर होती है कि जितनी डिमांडज हाउस के सामने रखी गई हैं। वे सारी प्रदे ा की तरक्की और प्रगति के लिए हैं। इसलिए इन डिमांडज को पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है -

कि राजस्व खर्च के लिए 221956000 रूपये और पूंजीगत खर्च के लिये 263844400 रूपये से अनधिक धन राशि राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाये जो मांग संख्या **8- भवन तथा सडकें** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 1982-83 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है -

कि राजस्व खर्च के लिए 514227780 रूपये से अनधिक धन राशि राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाये जो मांग संख्या **10- चिकित्सा एवं लोकस्थ्य** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 1982-83 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है -

कि राजस्व खर्च के लिए 44568555 रूपये से अनधिक धन राशि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जायें जो मांग संख्या **12— श्रम तथा रोजगार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 1982—83 के भुगतान के क्रम में आयेंगे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है —

कि राजस्व खर्च के लिए 16251470 रूपये और पूंजीगत खर्च के लिये 1095243970 रूपये से अनधिक धन राशि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जायें जो मांग संख्या **14— खाद्य एवं सप्लाई** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 1982—83 के भुगतान के क्रम में आयेंगे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है —

कि राजस्व खर्च के लिए 49284165 रूपये और पूंजीगत खर्च के लिये 27605600 रूपये से अनधिक धन राशि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जायें जो मांग संख्या **16— उद्योग** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 1982—83 के भुगतान के क्रम में आयेंगे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है -

कि राजस्व खर्च के लिए 630628855 रूपये और पूंजीगत खर्च के लिये 103750000 रूपये से अनधिक धन राशि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जायें जो मांग संख्या **23- परिवहन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 1982-83 के भुगतान के क्रम में आयेंगे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है -

कि राजस्व खर्च के लिए 6622035 रूपये से अनधिक धन राशि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जायें जो मांग संख्या **1- विधान सभा** अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 1982-83 के भुगतान के क्रम में आयेंगे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है -

कि राजस्व खर्च के लिए 92959280 अनधिक धन राशि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जायें जो मांग संख्या **6-वित्त** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 1982-83 के भुगतान के क्रम में आयेंगे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है -

कि राजस्व खर्च के लिए 124989010 रूपये और पूंजीगत खर्च के लिये 3600000 रूपये से अनधिक धन राशि राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाये जो मांग संख्या 7- अन्य प्रशासनिक सेवाएं के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 1982-83 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है -

कि राजस्व खर्च के लिए 854572470 रूपये से अनधिक धन राशि राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाये जो मांग संख्या 9- शिक्षा के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 1982-83 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है -

कि राजस्व खर्च के लिए 20448875 रूपये और पूंजीगत खर्च के लिये 3000000 रूपये से अनधिक धन राशि राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाये जो मांग संख्या 11- नगर विकास के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 1982-83 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है -

कि राजस्व खर्च के लिए 2206280 रूपये और पूंजीगत खर्च के लिये 12804000 रूपये से अनधिक धन राशि। राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जायें जो मांग संख्या **13- समाज कल्याण तथा पुनर्वास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 1982-83 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है -

कि राजस्व खर्च के लिए 81960500 रूपये से अनधिक धन राशि। राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जायें जो मांग संख्या **18- पालन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 1982-83 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 7768260 रूपये से अनधिक धन राशि। राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जायें जो मांग संख्या **19- मछली पालन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 1982-83 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 7180660 रूपये से अनधिक धन राशि। राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान

की जायें जो मांग संख्या **20— वन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 1982—83 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 117658780 रूपये से अनधिक धन राशि। राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जायें जो मांग संख्या **21— सामुदायिक विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 1982—83 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है—

कि राजस्व खर्च के लिए 7136610 रूपये से अनधिक धन राशि। राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जायें जो मांग संख्या **24— पर्यटन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 1982—83 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 1008565500 रूपये से अनधिक धन राशि। राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जायें जो मांग संख्या **25— राज्य सरकार द्वारा लिए गए कर्ज तथा पे ागियां** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 1982—83 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: अब सदन कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है।

***13.45 बजे ।**

(तत्प चात सदन बुधबार दिनांक 31.3.1982 प्रातः 9.30
बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)